खण्ड-184, अंक-2
सोमवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1879
(22 जुलाई, 1957 ई0)

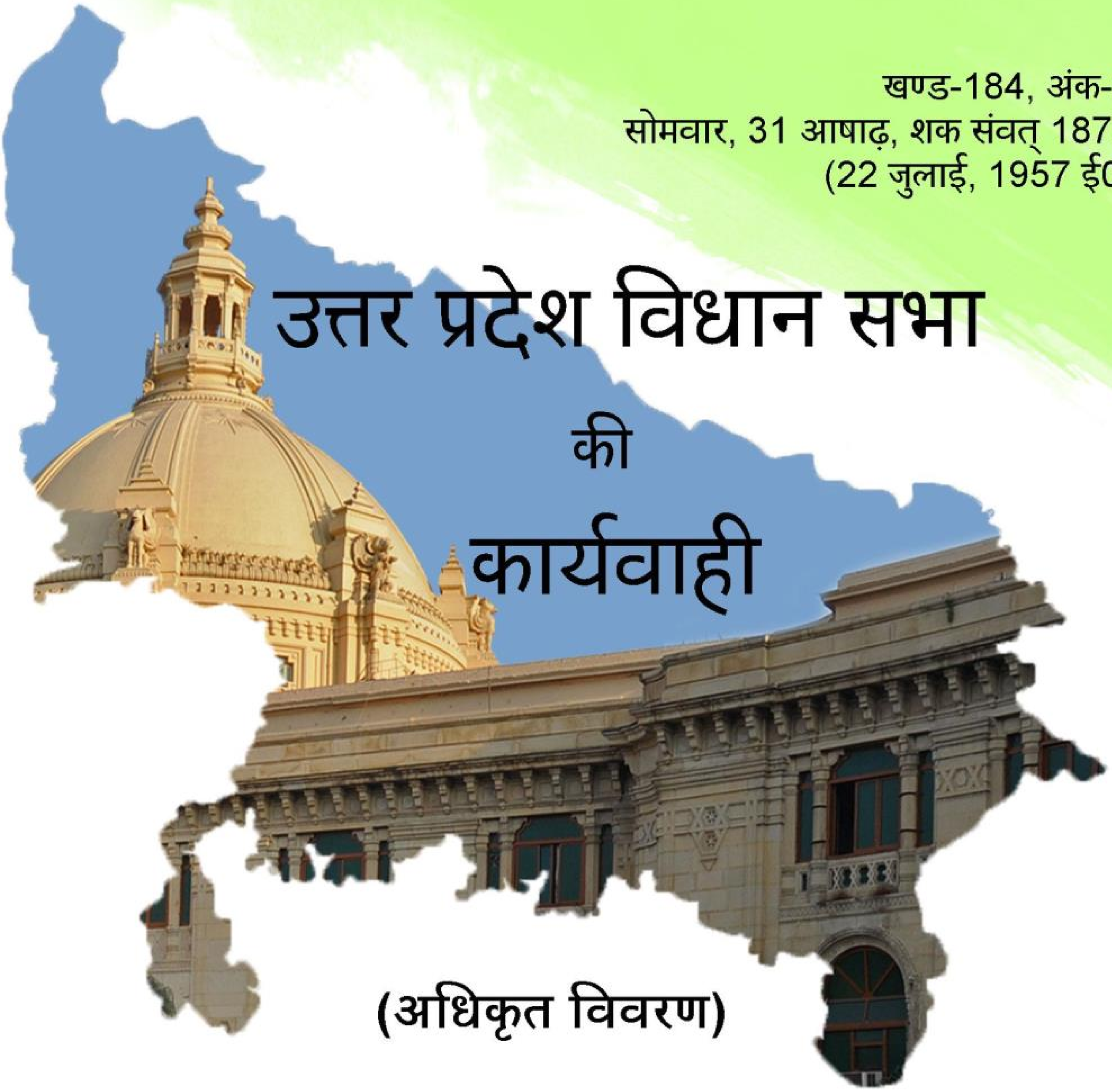

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	८१
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन स्थगित)	८१
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री बलवान सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार (स्थगित)	८१–८२
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री जयेंद्रसिंह विष्ट का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	८२
२६ जुलाई व २३ अगस्त, १९५७ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य करने के लिये संकल्प (स्वीकृत)	८२–८३
शनिवार, २७ जुलाई, ३ अगस्त तथा २४ अगस्त, १९५७ को भी सदन की बैठक करने के बंध में संकल्प (स्वीकृत)	८३
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के भाषणों के लिये समय-निर्धारण	८४
खाद्य समस्या पर विवाद के संबंध में जानकारी	८४
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	८४–१०३
विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १९९ के पालन के संबंध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा निदेश	१०४
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद का समय बढ़ाने के लिये संकल्प की सूचना	१०४
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	१०४–११२
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के भाषणों के लिये समय-निर्धारण	११२–११३
१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	११३–१२३
नत्थियां	१२४–१३६

—o—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ जुलाई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन म अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४८)

अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसैन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुद्धी सिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री

रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजगोपाल सक्सेना, श्री
वृजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शम्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री

हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ जुलाई, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर कथित लाठी चार्ज

**१--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि मई या जून, १९५७ में गोरखपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था? यदि हां, तो किसके आदेश से?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--जी नहीं, लाठी चार्ज नहीं किया गया, परन्तु कुछ सोशलिस्ट सत्याग्रही कैदियों पर जो कि अपनी बैरक से जबरदस्ती बाहर निकल आये थे और अन्दर वापिस नहीं जा रहे थे उन्हें बैरक में वापिस करने के लिये तथा उनकी गिनती करने के लिये बल का तथा बेटन (डंडे) का प्रयोग २ जून, १९५७ को गोरखपुर जेल में हुआ। इसका आदेश उस जेल के जेलर ने दिया।

**२--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जिलाधीश ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जांच का आदेश दिया था?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां।

**३--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री उस घटना का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि जिसके कारण लाठी चार्ज हुआ?

श्री मुजफ्फर हसन--बल प्रयोग तथा बेटन (डंडे) का इस्तेमाल जिस घटना में हुआ है उसका संक्षेप में वर्णन यह है कि गोरखपुर जेल में बैरक नं० २ में बन्द ३९ सोशलिस्ट सत्याग्रही कैदी बलपूर्वक बैरक से बाहर निकल आये और वे जेल के मुख्य फाटक तक पहुंच गये। फिर उन्होंने बैरक नं० १० में बन्द ९ सोशलिस्ट सत्याग्रही कैदियों को भी वार्डर को धमकी देकर बाहर निकाल लिया। यह कैदी ऐसे उग्र और बेकाबू हो रहे थे कि ऐसा मालूम होता था कि फाटक तोड़कर बाहर निकल जायेंगे। जेल कर्मचारियों के बार-बार कहने पर तथा खुशामद करने पर वापस नहीं जा रहे थे। आखिर जेलर के कहने से बैरक नं० १० के कैदी वापस चले गये परन्तु नं० २ के कैदी वापस नहीं हुये। अतएव, उनको बैरक में वापस करने के लिये बल का प्रयोग और बेटन (डंडे) इस्तेमाल हुआ।

बलिया की कथित पुलिस सुधार समिति

**४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया के पुलिस सुधार समिति से संबंधित व्यक्तियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सरकार के पास ऐसी समिति की कोई सूचना नहीं है।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि बलिया की पुलिस लाइन में कुछ पुलिस के सिपाही पुलिस सुधार समिति के नाम पर एक संस्था बना रहे थे इसी कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री गौरीशंकर (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री जी को यह जानकारी है कि बलिया पुलिस लाइन से १०,१५ के बैचेज में बहुत ही हाल में सिपाहियों का ट्रांसफर हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—संभव है हुआ हो। यह काम तो आई० जी० के यहां से होता है, इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

आजमगढ़ जिले के बार्धा थाने में श्री कमलाराय की मृत्यु

**५—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के थाना बार्धा में श्री कमलाराय की मृत्यु पुलिस हवालात में किन परिस्थितियों वश हुई और सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री कमलाराय ने पुलिस हवालात में आत्महत्या कर ली। जिन परिस्थितियों में आत्महत्या की गई तथा उसके कारण के बारे में सी०आई०डी० द्वारा जांच कराई जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है। इस सिलसिले में बार्धा थाने के समस्त कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमलाराय किस अभियोग में गिरफ्तार हुये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गिरफ्तार तो किये गये थे जैसा कि रिपोर्ट से पता लगता है चोरी के सिलसिले में।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सी०आई०डी० के द्वारा जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट इस सदन में रखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी रिपोर्ट तो सदन में रखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर इस पर फिर प्रश्न होंगे तो जो कुछ उचित उत्तर होगा, दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कमलाराय जी के द्वारा जो तथाकथित आत्महत्या का विवरण सरकार के पास आया है उसको संक्षिप्त-रूप में सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी यह सब जांच के अधीन है। अभी ऐसा करना मुमकिन नहीं है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ की सूचना सर्वश्री देवीप्रसाद मिश्र, यादवेंद्रदत्त दुबे तथा रामसुन्दर पांडेय ने भी दी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार कमलाराय गिरफ्तारी के कितनी देर बाद मरे अथवा आत्म-हत्या की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शायद वह प्रातःकाल पकड़े गये थे और दोपहर में पौने तीन बजे के करीब इसका पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या की।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि जनता में यह विश्वास है कि कमलाराय जी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि पुलिस की मार से उनकी मृत्यु हुई है, इसलिये इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जुडिशियल इंक्वायरी का कोई इरादा नहीं है लेकिन सी० आई० डी० से जांच कराई जा रही है जिसकी रिपोर्ट की अपेक्षा है।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग

६--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिकाओं के वैतनिक कर्मचारियों के कम से कम वेतन और उसका क्रम निर्धारित करने के लिये वह कोई वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार इस विचार पर पुनर्विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अभी उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं दीखता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार स्थानीय कर्मचारियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के लिये कोई सेकेंड पे कमेटी कायम करने के लिये विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसी प्रश्न का तो उत्तर करीब-करीब यह था।

श्री गौरीशंकर--क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में तनख्वाह कम होने के कारण मेहतर नहीं मिल रहे हैं और हैजा और गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से लोग मर रहे हैं जैसे कि बलिया का शहर है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आयी है।

राज्य में हैजा, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस और इन्फ्लूएन्जा से मृत्युएं

७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने व्यक्ति हैजा एवं इन्फ्लूएंजा से मई सन् १९५७ से जून तक पीड़ित हुये और कितने-कितने की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा नगरों में मई तथा जून, १९५७ के महीनों में हैजा, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं इन्फ्लुएंजा बीमारियों से ग्रसित एवं मृत्यु हुये व्यक्तियों का विवरण संलग्न सारिणी में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२४-१२६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभावग्रस्त पूर्वी जिलों में ही गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी से अधिकतर लोग मरे हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--किस वजह से मरे हैं यह नहीं बता सकता, लेकिन मरे हैं पूर्वी जिलों में।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिये इन दो महीनों में सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां पर हैजा था वहां पर लोगों को इन्फेक्शस डिजीज हास्पिटल में जितनी जगह थी या जितनी जगह बढ़ा सके एडमीशंस करके उनकी दवाइयां कीं। गांवों में कुओं को डिएइन्फेक्ट कराया, सफाई का इन्तजाम कराया और कटे हुये और सड़े हुये फल जो बिकते थे उनकी रोकथाम की। नये आदमी हमने मुकर्रर किये इन्जक्शन दिलाने के लिये लोगों को। आइस्क्रीम और कुल्फी वगैरह की बिक्री में भी रुकावट डाली और तमाम डिस्इंफेक्शन कराया गया और सफाई की ड्राइव भी करायी गयी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि ये जिले जिनमें कि हैजा और गैस्ट्रोएंट्राइटिस से ज्यादा मौतें हुई हैं वे जिले हैं जो जिले अन्न के अभाव में बताये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह ज्यादातर वे जिले हैं जहां के लोग चन्द्रग्रहण नहाने बनारस गये थे और वहीं से बीमारी का प्रसाद लाये।

श्री गेंदासिंह--क्या मेहरबानी करके स्वास्थ्य मंत्री जी उन जिलों का नाम बताने का कष्ट करेंगे जिन जिलों में ज्यादा मौतें हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ज्यादा मौतों की फेहरिस्त हमने दे दी है। बड़ी लम्बी फेहरिस्त है उसे जबानी दोहराना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह चेतावनी दी गयी है कि राज्य में द्वितीय इंफ्लुएंजा एपेडेमिक हो सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे कोई बाकायदा चेतावनी नहीं दी गयी है।

भूतपूर्व जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान

**८--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व जमींदारों को Rehabilitation Grant कब से दिया जाना शुरू होगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--भूतपूर्व मध्यवर्तियों को पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant) देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिले में घाघरा व टोंस नदियों पर पुल बनने में विलम्ब

**९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के घाघरा एवं टोंस नदी पर दोहरी घाट तथा मऊनाथ भंजन में बनने वाले पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--इन दोनो पुलों के आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उनके निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पुलों का आगणन केन्द्रीय सरकार के पास कब भेजा गया ?

श्री गिरधारीलाल--१९५६ के अक्तूबर महीने में ।

श्री गेंदासिंह--इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने रुपये की मांग की है और केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में क्या उत्तर मिला है ?

श्री गिरधारीलाल--अभी कोई उत्तर नहीं मिला । पहले पुल के लिए करीब ९० लाख और दूसरे पुल के लिए ३ लाख रुपये मांगे गये हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों के निर्माण में जो इतना विलम्ब हो रहा है इसके लिये सरकार ने फिर कोई केन्द्रीय सरकार को रिमाइंडर भेजा है, ताकि पुलों का निर्माण जल्दी हो सके ?

श्री गिरधारीलाल--जल्दी करने के लिए कोशिश की जा रही है । रिमाइंडर भी उनके पास भेजा गया है ।

श्री गेंदासिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी या उनसे भी अधिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से मिलने इस बात के लिए जायंगे ताकि इसमें जल्दी हो सके ?

श्री गिरधारी लाल--मैं समझता हूं कि अभी इस बात की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार का आखिरी पत्र इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कब गया है ?

श्री गिरधारीलाल--इस वक्त तो मुझे तारीख नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझता हूं कि दो एक महीने पहले गया है ।

मितव्ययता (एकोनामी) समिति की सिफारिशें

**१०--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बतायेगी कि एकोनामी कमेटी का कार्य किस हद तक हो चुका है और उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--मितव्ययता समिति की उपसमितियों ने विभिन्न विभागों के खर्चों की जांच करने के उपरान्त ४४ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें मितव्ययता के सुझाव दिये गये हैं और नियमों तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपाय बताये गये हैं और यह भी बताया गया है कि विभिन्न विभागों के कार्य-सम्पादन में किस प्रकार प्रगुणता लाई जा सकती है । इन रिपोर्टों में से ३० की जांच मितव्ययता (एकोनामी) समिति द्वारा कर ली गई है । मुख्य समिति की दो उपसमितियों अर्थात् उपसमिति "घ" और "च" ने अभी कुछ विभागों तथा वाणिज्यिक कारबारों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । यह काम कुछ ही महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है । मितव्ययता (एकोनामी) समिति की उप-समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों की मुख्य समिति द्वारा जांच हो जाने के तुरन्त बाद ही मितव्ययता समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जायेगी ।

**११--श्री गेंदासिंह--क्या एकोनामी कमेटी की सिफारिश में से कुछ पर सरकार ने विचार किया है और उसे कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । सरकार ने कुछ सिफारिशें मंजूर कर ली हैं जो संलग्न सूची में दी हुई हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२७ पर)

**१२--श्री गेंदासिंह--क्या उक्त कमेटी की सिफारिश के अनुसार मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ निर्णय किया था और उसे फिर बदल दिया ? यदि हां, तो क्यों और वह निर्णय क्या थे ?

श्री धर्मसिंह--मितव्ययता समिति ने राज्य में विभिन्न अधिकारियों को दी गई स्टाफ कारें या अन्य हल्की मोटर गाड़ियां उनसे वापस ले लेने के संबंध में कोई आम (general) सिफारिश नहीं की है और न सरकार ने इस सम्बन्ध में किये गये अपने पुराने निर्णयों को ही बदला है बल्कि सरकार ने हाल ही में स्थिति का पुनरावलोकन किया है जिसके अनुसार उन गाड़ियों को छोड़ कर, जो पिक-अप, डिलीवरी वैन, एम्बुलेंस गाड़ियों, लाउड स्पीकर लगी हुई सूचना देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिक अपों, आग बुझाने की गाड़ियों और पुलिस के जवानों को ड्यूटी पर लाने, ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों से भारी हों, राज्य में सरकारी कर्मचारियों के नियंत्रणाधीन सभी स्टाफ कारें, इस वर्ष पहली अक्तूबर तक उनसे वापस ले कर परिवहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग को सौंप देने का निर्णय किया है। यह निर्णय उन गाड़ियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय या विदेशी सहायता से खरीद कर नियोजन (प्लानिंग) विभाग या तत्सम्बन्धी विभागों को दी गयी हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि एकोनोमी कमेटी किस समय बनी थी और सरकार ने कितनी मर्तबा इस एकोनोमी कमेटी को अपनी तरफ से याददहानी दिलाई कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाय ?

श्री धर्मसिंह--एकोनोमी कमेटी १९५४ में बनी थी और सरकार ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री गेंदासिंह--४४ रिपोर्टस् में से केवल ३० पर सरकार ने विचार किया और जिन पर विचार किया उनमें से केवल १० पर फैसला किया, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--बाकी जो और रिपोर्ट्स हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर आगे चल कर विचार होगा जबकि और कमेटियों की भी रिपोर्ट्स आ जायंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--संक्षेप में बतला दिया जाय कि २० रिपोर्टों में से मुख्य-मुख्य क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--सरकार बतलाना चाहे तो बतला दे।

श्री धर्मसिंह--सवाल जरा दोबारा कर दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार के पास ३० रिपोर्टें आईं उनमें से उसने १० मंजूर कीं। तो उन २० रिपोर्टों में से जो विचाराधीन हैं मुख्य-मुख्य रिपोर्टें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। देखना पड़ेगा तभी बतलाया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले की खटीमा तहसील में शारदासागर तथा नानकसागर के निर्माण के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा

*१--प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार की ओर से जिला नैनीताल की खटीमा तहसील में सारदासागर और नानकसागर बनाये जा रहे हैं और कई गांवों के किसानों की जमीन लेकर उनको बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायगी कि किसानों को मुआवजा जमीन देने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--शारदासागर (प्रथम चरण) में जिन किसानों की भूमि ली गई है उन सबको दूसरी जोताई योग्य भूमि पर बसाया जा चुका है।

शारदासागर (द्वितीय चरण) के लिये भूमि की आवश्यकता लगभग तीन वर्ष बाद होगी। उस समय तक सब किसानों को उचित रूप से बसाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा।

नानकसागर निर्माण के लिये निकट भविष्य में लगभग ७८१ एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इनको बसाने के लिये जोगीथर बन-खण्ड में जंगल साफ करके भूमि तैयार की जा रही है और शीघ्र ही सम्बन्धित किसानों को वहां बसा दिया जायगा। शेष भूमि की आवश्यकता १९५९ तक होगी। उस समय तक उन किसानों को भी उचित रूप से बसाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा।

इसके अतिरिक्त किसानों के मकानों का मुआवजा देने के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि शारदासागर के प्रथम चरण में जिन किसानों से भूमि ली गई उस पर जो फसल बर्बाद हुई उसके लिये कम्पेन्सेशन किस आधार पर दिया गया ?

श्री राममूर्ति--यह बतलाना तो मुश्किल है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिन लोगों की फसलें कटती हैं उनको उनकी फसल का मुआवजा दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस नानकसागर से जो किसान विस्थापित हो रहे हैं, उनको जो जोगीखेर में जमीन दी जा रही है वह काश्त के काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने गंगापुर के पास और जमीन मांगी है ?

श्री राममूर्ति--यह पहले मालूम कर लिया गया था कि जोगीथर का इलाका अच्छी जगह है और खेती के काबिल है, इसलिए उसको ट्रैक्टराइज करके किसानों को वहां जमीन दी जा रही है। किसानों का तो यह कायदा है कि जिस जमीन को वह चाहते हैं उसी का जिक्र करते हैं। फिर भी हम इन बातों पर विचार कर लिया करते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि इस इलाके में एक बहुत पिछड़े वर्ग के थारू लोग रहते हैं जो अपनी बात भी ठीक तरह नहीं रख पाते उनकी स्थिति भी जांच करने के लिए और नानकसागर से विस्थापित किसानों की तकलीफ पर भी विचार करने के लिए वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राममूर्ति--मैं यह तो जानता नहीं कि वह पिछड़ा वर्ग है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे विभाग के लोग और डिप्टी कमिश्नर के विभाग के लोग हर गांव में जा जा करके तफसीली तरीके से मालूमात करते हैं और फिर फैसला लेते हैं।

श्री झारखंडेराय--क्या सिंचाई मंत्री यह बतलायेंगे कि इस प्रकार से सागर के निर्माण के बाद कितने किसान अपने पैतृक स्थानों से विस्थापित किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति--शारदासागर में तो १३३ फैमिलीज हैं और नानकसागर में १५३ फैमिलीज हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उपरोक्त दोनों सागरों के निर्माण में वहां के थारुओं के ऊपर जो सिंचाई विभाग के द्वारा अनियमितताएं बरती गयीं, उसकी शिकायत सरकार को पहुंची है तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास कोई इस किस्म के कागज नहीं आये।

चन्दौली, जिला वाराणसी तथा हंडिया, जिला इलाहाबाद में ओवरसियरी के नये स्कूल

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तथा इलाहाबाद जिले में सरकारी सहायता प्राप्त ओवरसियरी स्कूल अग्रिम जुलाई ९ से खोले जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, ये स्कूल चंदौली, जिला वाराणसी, तथा हंडिया, जिला इलाहाबाद में आगामी शैक्षणिक सत्र (Educational Session) से खोले जा रहे हैं ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री उक्त दोनों स्कूलों के संबंध में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—ओवरसियर स्कूल, चंदौली, वर्तमान महेन्द्र टेक्निकल इन्टरमीडिएट कालेज, चंदौली, की इमारत में खुलेगा तथा ओवरसियर स्कूल हंडिया वर्तमान टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, हंडिया, की इमारत में खुलेगा । चंदौली के स्कूल में ३०० और हंडिया के स्कूल में १०० विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शिक्षा दी जायेगी । दोनों ही स्कूलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा बनाई गई मैनेजिंग कमेटियों द्वारा किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों स्कूलों में सरकार का मासिक व्यय क्या है ?

श्री धर्मसिंह—मासिक व्यय का तो पता नहीं, लेकिन चन्दौली स्कूल के लिए जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ९,२७,००० रुपये के करीब है और हंडिया में ४,४३,००० रु० के करीब है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो स्कूल खोले गये हैं, ये बनारस और इलाहाबाद शहर में न खोल कर देहाती क्षेत्र में क्यों खोले गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह तो सरकार की सहूलियत पर है कि जहां पर हम आसानी से अच्छे से अच्छे स्कूल खोल सकते थे, वहां पर प्रबन्ध किया गया है ।

वस्त्र व्यवसायियों की लाइसेन्स फीस के बकाया की वापसी

*४—श्री जमुनासिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के व्यवसायियों का लाइसेंस शुल्क सितम्बर सन् १९५६ में होल सेलरों से ८० रुपया, फुटकर विक्रेताओं से ४० रुपया तथा फेरी करने वालों से १० रुपया जमा कराया गया था ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां ।

*५—श्री जमुनासिंह—क्या सरकार ने उसी माह के अन्त में उपर्युक्त व्यवसायियों की लाइसेन्स फीस क्रमशः ३१ रु०, १० रु० व २ रु० कर दी तथा शेष धन मुक्त कर दिया ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां ।

*६—श्री जमुनासिंह—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त धनराशि कम करके बाकी बचा हुआ धन व्यवसायियों को लौटा दिया गया है या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—जिन व्यवसायियों के प्रार्थना-पत्र इस विषय में जिला अधिकारियों के पास आये हैं उनमें से बहुतों की अतिरिक्त धनराशि लौटाने की आज्ञा प्रदान कर दी गयी है । अन्य प्रार्थना-पत्र भी विचाराधीन हैं ।

श्री जमुनासिंह—बाकी लाइसेंस फीस जो व्यवसायियों के ऊपर अब तक है क्या सरकार उसके माफ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार जो रुपया वापस करती है वह उनके प्रार्थना-पत्रों पर करती है या सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि सरकार स्वयं रुपया वापस कर दे ?

श्री रऊफ जाफरी--वह तो जितनी ज्यादा रकम है वह सब वापस होगी लेकिन उसी वक्त होगी जब वह प्रार्थना-पत्र देंगे ।

कुटीर दियासलाई योजनान्तर्गत खोले गए केन्द्र

*७--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--क्या सरकार ने हाथ से दियासलाई बनाने के गृह उद्योग को प्रोत्साहन के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री रऊफ जाफरी--अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई गई कुटीर दियासलाई योजना इस राज्य में कार्यान्वित की जा रही है ।

*८--**श्री जगदीश शरण अग्रवाल**--क्या सरकार हाथ से दियासलाई बनाना सिखाने के कोई training centres खोल रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री रऊफ जाफरी--डालीगंज (लखनऊ), बीकापुर (फैजाबाद), तथा कालपी (जालौन) में दियासलाई बनाने के शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । इस वर्ष पुखरायां (कानपुर), नवाबगंज (कानपुर), कैसरगंज (बहराइच) तथा सलीमपुर (देवरिया) में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का आयोजन है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आयोजना कब से कार्यान्वित हो रही है और इस पर अनुमानित व्यय कितना होता है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो जैसा कि कहा गया है दो जगहों में हो रहा है । मेरे पास इस वक्त यह आंकड़े नहीं हैं कि कितना व्यय हो रहा है, इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी और जैसा कि बताया गया है कि वहां एक खादी कमीशन है उसका एक मेम्बर इंचार्ज है और उसके कंसल्टेशन से यह योजना चलाई जा रही है ।

बाजपुर चीनी मिल का निर्माण-कार्य

*९--**श्री नारायदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाजपुर चीनी मिल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि बाजपुर चीनी मिल इस सीजन में काम करना शुरू कर देगी ?

श्री रऊफ जाफरी--हमें बहुत उम्मीद है कि अगले सीजन में जरूर कुछ न कुछ काम हो सकेगा ।

खीरी जिले में ओयल के बर्तन उद्योग को सहायता देने के लिए प्रार्थना

*१०--**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओयल (खीरी) के बर्तन उद्योग पर सरकार गुणांकन (Quality marking) की योजना लागू करने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--फिलहाल नहीं ।

*११--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ओयल के उक्त कुटीर उद्योग हेतु सरकार कुछ वित्तीय सहायता भी करने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी--सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योग के विकास अथवा विस्तार के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन-पत्र देने पर ओयल वर्तन उद्योग को भी आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।

खतौली मिल में अन्य क्षेत्रों का गन्ना पेरने पर आपत्ति

*१२--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि गन्ना विभाग द्वारा ३१ मार्च, १९५७ तक खतौली मिल एरिया के गन्ने का सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो क्या आंकड़े अभी तक शेष गन्ने के प्राप्त हुये हैं और इस सीजन में मिल ने किस तिथि से प्रारम्भ होकर ३१ मार्च तक कितना गन्ना पेरा ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, सब फैक्ट्रियों के एरिया के गन्ने का सर्वे (survey) किया जाता है और उसी तरह खतौली के एरिया के गन्ने का भी सर्वे (survey) किया गया था।

१-५-५७ को सप्लाई किये जाने के लिये शेष गन्ने का तखमीना १४ लाख मन के करीब बताया गया है। खतौली मिल इस सीजन में ७ दिसम्बर, १९५६ को चालू हुई और उसने ३१ मार्च, १९५७ तक ३५·९५ लाख मन गन्ना पेरा था। ३० अप्रैल, १९५७ तक मिल की कुल पेराई ४४.०६ लाख मन बताई गई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जैसा कि उत्तर से विदित है, क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में गन्ना रहने पर भी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी कि खतौली मिल एरिया के अतिरिक्त दूसरी मिलों का गन्ना भी उसके ऊपर लगा दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--माननीय सदस्य को शायद यह तो मालूम होगा कि वहां कोई गन्ना रह नहीं गया, सब पिर गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि जो दूसरी मिलों का गन्ना इसके ऊपर लगाया गया था उसकी वजह से ८ दिन तक वहां के किसानों ने हड़ताल की थी कि उनके ऊपर और गन्ना न लगाया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--आठ दिन तक हड़ताल रखी, यह तो मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है कोई गन्ना बाकी नहीं रह गया।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय दूसरा गन्ना खतौली मिल पर भेजे जाने का फैसला किया गया उसके पहले भी यह बात मालूम हुई थी कि इस साल खतौली मिल में यह गन्ना भेजने की जरूरत पड़ेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--सप्लाई का सब काम वक्तन फवक्तन केन कमिश्नर खुद देखते हैं और रेव्यू करते रहते हैं और जहां कहीं मालूम होता है कि ज्यादा पिराई हो सकती है वहां भेज देते हैं।

बिक्री-कर से वसूल धन

*१३--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक इस प्रदश में कुल कितना धन सेल्स टैक्स के रूप में वसूल हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--राज्य में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक बिक्री-कर से ९,१९, ५८, ४४६ रुपये की धनराशि वसूल हुई।

*१४--श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--१ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक कितनी धनराशि सेल्स टैक्स में वसूल हुई थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--१ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक बिक्री-कर से ५,९४,९०,३६६ रु० की धनराशि वसूल हुई ।

*१५--श्री विश्रामराय--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया]

उद्योगों के सम्बन्ध में फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट की मांग

*१७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा उद्योग के सम्बन्ध में Fact Finding Committee की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्य हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी--Fact Finding Commitee Report (Large Scale Industries) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

*१८--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेगी और सदन को उस पर विचार करने का अवसर देगी ?

श्री रऊफ जाफरी--उक्त रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को बांटी जा चुकी हैं । चूंकि अधिकतर सिफारिशें विचाराधीन हैं, इस रिपोर्ट पर इस समय सदन में विचार करने से कोई लाभ न होगा ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अभी इस बात पर कोई विचार किया है कि हैवी, मीडियम और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का कोआ-डिनेशन करके कोई कामन प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो आपने फर्माया है उस मामले की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--इस कमेटी की रिपोर्ट हिन्दी में क्यों नहीं बटवाई गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो मेम्बर उसके थे, मुझे माफ करेंगे उनकी गैबत मैं कह रहा हूं उनमें शायद इतनी काबलियत नहीं रही हो और जो रिपोर्ट लिखने वाले थे उनमें इतनी काबलियत नहीं रही हो कि वे हिन्दी में रिपोर्ट लिख सकते ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार अपनी काबिलियत का इजहार करेगी कि इस सदन के जो हिन्दी बोलने और पढ़ने वाले सदस्य हैं उनकी सुविधा के लिये हिन्दी में यह रिपोर्ट दे सकें ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरे खयाल में मुअज्जिज मेम्बर साहब जो इस बात को फर्मा रहे हैं इस बात को मंजूर नहीं फरमायेंगे क्योंकि उसमें बहुत खर्चा होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी थी उसका क्या जवाब आया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस रिपोर्ट के केन्द्रीय सरकार के पास जाने का तो कोई सवाल अभी तक उठा नहीं और न इसकी कोई वजह निकली ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वे कब तक इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्णय कर लेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो नवम्बर तक जाकर होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का काम अभी जारी है ? यदि हां, तो वह टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं जिन पर काम हो रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे खयाल में तो कोई ऐसी कमेटी दुनिया में निकली नहीं होगी जो रिपोर्ट खत्म करके पेश कर चुकी हो और जिसकी रिपोर्ट सदन के सामने भी आ गई हो और फिर भी उसका काम बाकी हो ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय वित्त मंत्री जी को स्मरण है कि उन्होंने इसी सदन में कहा था कि केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट भेज दी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार विचार भी कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मुझको याद नहीं है, लेकिन बातें दोनों हो सकती हैं। लेकिन यदि मुझे याद न भी हो और केन्द्रीय सरकार के पास भेज भी दिया हो तो उससे यहां के और तमाम बहस मुबाहिसे से और गवर्नमेंट के ऐक्शन से खास ताल्लुक क्या है ? वह बिलकुल प्राइवेट और निजी काम हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो याददाश्त का प्रश्न है। असर क्या होगा इस का सवाल नहीं है । (हंसी)

पेन्शन के मामलों में देरी के संबंध में जांच

*१९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है वह समय से न मिलने के कारण सरकार ने कोई विशेषाधिकारी जांच करने के लिये नियुक्त किया है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितनी कामयाबी हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, पेन्शन के ३,८१७ मामलों में से जो ३१ मार्च, १९५५ को निपटाने शेष रह गये थे, अब सिर्फ १२० मामले निपटाने शेष रह गये हैं। १ अप्रैल, १९५५ और ३० अप्रैल, १९५७ के दर्मियान ३,९६६ पेन्शन के मामले थे जो समय से तय नहीं किये जा सके थे। इनमें से १,९३५ मामले निपटाये जा चुके हैं अब केवल ऐसे २,१५१ पेन्शन के मामले निपटाने शेष रह गये हैं ।

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—[२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जोगिया, जिला बस्ती में बाढ़पीड़ित आश्रय-गृह के निर्माण में विलम्ब

*२१—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जोगिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में बाढ़पीड़ित आश्रय-गृह भवन का काम कब से शुरू हुआ है और भवन का काम कब तक पूरा होने की आशा की जाती है ?

श्री राममूर्ति—जोगिया में आश्रय-गृह भवन के निर्माण का कार्य मार्च, १९५६ में आरम्भ हुआ था और आशा की जाती है कि जुलाई, १९५७ के अन्त तक निर्माण-कार्य समाप्त हो जायेगा ।

श्री प्रभुदयाल--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इस छोटे से आश्रय-गृह को बनाने में इतनी देर क्यों की गयी ?

श्री राममूर्ति--आजकल सीमेंट वगैरा के मिलने में दिक्कत हो जाती है। शायद इसी वजह से देर हो गयी हो।

*२२--**श्री प्रभुदयाल**--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में गांवों का ऊंचा किया जाना

*२३--**श्री प्रभुदयाल**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती में बाढ़ से बचाने के लिये कितने गांव ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति--नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती में २०७ गांव ऊंचे किये गये हैं।

श्री प्रभुदयाल--क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील में जो बाढ़पीड़ित गांव नीचे रह गये हैं वे कब तक ऊंचे किये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--जिला बस्ती में कुल ४५० गांव ऊंचे किये जाने वाले हैं। २०७ ऊंचे कर दिये गये हैं और बाकी का काम चालू है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि बस्ती जिले में इस वक्त कोई गांव ऊंचा किया जा रहा है, या नहीं ?

श्री राममूर्ति--यदि माननीय सदस्य इस बरसात के जमाने का जिक्र करते हैं तो बरसात में कोई गांव ऊंचा नहीं किया जाता ; लेकिन मैंने यह बतलाया कि जब बरसात नहीं रहेगी तो ऊंचा करने का काम जारी रहेगा। जून के महीने तक काम जारी था।

बलिया तहसील में गंगा के कटाव को रोकने के लिए प्रार्थना

*२४--**श्री गौरीशंकर**--क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगा नदी के तेज बहाव के परिणामस्वरूप भूमि कटान से बलिया जिले की बलिया तहसील में, अंजोरपुर, शाहपुर, बभनौली, सागरपाली, ममारखपुर, आदि गांवों के समाप्त हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

श्री राममूर्ति--यह सत्य है कि बलिया जिले के ग्राम कोट, अंजोरपुर, शाहपुर, बभनौली, सागरपाली, ममारखपुर तथा और दूसरे ग्रामों में गंगा नदी भूमि काट रही है।

*२५--**श्री गौरीशंकर**--यदि हां, तो सरकार इस विपत्ति को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--उपरोक्त कटाव को रोकने के लिये अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्री गौरीशंकर--क्या सरकार को मालूम है कि पिछले वर्ष तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में उस इलाके के कटान की भयंकरता की स्थिति का दिग्दर्शन कराया था तो उसके बाद उस कटान को रोकने की क्यों व्यवस्था नहीं हो सकी ?

श्री राममूर्ति--गंगा नदी अपने इस प्रदेश में बहुत बड़ी नदियों में से है और बरसात के दिनों में बेइन्तहा पानी इसके जरिये से पास होता है। अगर एक मील के एरिया को कटाव से बचाने की कोशिश करें तो औसतन कम से कम ८० लाख रुपये की जरूरत है और तब भी यह निश्चय नहीं है, कि कटान रुक जायगा। ऐसी इंजीनियरों

की राय है। इसलिये इतने बड़े खर्च का यह काम बिना रुपये के नहीं किया जा सकता। इसके लिये हजारों करोड़ रुपये की जरूरत होगी जो न हमारे पास है और न केन्द्रीय सरकार के पास है।

श्री गौरीशंकर--क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति के बिना ही बिहार सरकार बक्सर में ठोकर बना रही है जिसकी प्रतिक्रिया बलिया के लिये भयावह होगी ?

श्री राममूर्ति--यह हो सकता है।

श्री गौरीशंकर--क्या इस कटाव को रोकने के लिये सरकार निकट भविष्य में कोई योजना बनाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--जब इस सरकार के नोटिस में यह बात आई तो गंगा कमीशन और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में यह बात लाई गई कि बिहार सरकार यह ग़लत काम कर रही है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--जब सरकार को यह मालूम है कि नदी से कटाव जारी है तो क्या गांवों के कट जाने के बाद कोई योजना जारी की जायगी ?

श्री राममूर्ति--मैंने अभी अर्ज किया कि यह मालूम होते हुये भी कि गांव कट रहे हैं यह इतना बड़ा काम है कि पैसे की कमी की वजह से नहीं लिया जा सकता है। अगर पैसा भी हो तो इंजीनियर्स अभी इस राय पर नहीं पहुंचे हैं कि यह काम मुस्तकिल तरीके से कटाव को रोकेगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--इन गांवों के कटने के कारण कितने की क्षति होगी ?

श्री राममूर्ति--जमीन का रक़बा मेरे पास नहीं है, इसलिये मेरे लिये कहना कठिन है।

आजमगढ़ जिले में टांडा-पम्प-नहर योजना के लिये ली गयी जमीन का मुआवजा

*२६--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टांडा-पम्प-कैनाल योजना के हेतु आजमगढ़ जिले के किसानों की कुल कितनी जमीन सरकार द्वारा अधिकृत (acquire) की गई है ?

श्री राममूर्ति--टांडा-पम्प-नहर योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में लगभग ६५० एकड़ भूमि नहर बनाने के हेतु स्थायी रूप से अधिकृत की गई है।

*२७--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या सरकार को ज्ञात है कि टांडा-पम्प-कैनाल योजना के हेतु जिला आजमगढ़ में ली गई जमीन बिना लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट लागू किये ही एक्वायर कर ली गई है ? यदि हां, तो उच्छेदित एवं उन्मूलित किसानों को उचित मुआविजा देने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, मुआवजे के कागज़ जिलाधीश, आजमगढ़ को भेजे जा चुके हैं और किसानों को मुआवजा शीघ्र दिया जायेगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की या किसी भी कानून की किस धारा या नियम के अन्तर्गत इन जमीनों पर कब्जा किया गया है ?

श्री राममूर्ति--यह प्रश्न कई बार यहां आया है । इसके बारे में कई मर्तबा बताया जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'ग्रो मोर फूड' और इस किस्म की बातों से संबंधित सिंचाई की योजनाओं के बारे में लोगों का बड़ा उत्साह है । ऐसा हो गया है कि ज्यादा जगहों में मुआविज़े के काग़जात पूरे नहीं हो पाये और ज़मीनें ले ली गईं। वह ग़लत काम हो गया है लेकिन जमीनों पर जो काम हुआ उससे लोगों को खुशी हुई । आगे के लिये हमने सख्त हिदायत जारी कर दी है कि बग़ैर मुआवज़ा दिये और काग़जात बने कोई काम शुरू न किया जाय । यह भी कहा जा चुका है कि सरकार ने मुआविजे की कार्यवाही जल्दी कराने के लिये स्पेशल आफिसर नियुक्त किये हैं । रेवेन्यू मिनिस्टर साहेब ने भी एक कान्फरेन्स बुलाई थी कि इस प्रकार की कोई कठिनाई न हो और हर जिले में अफसर हों जिससे जल्दी जमीन एक्वायर की जा सके ।

श्री गेंदासिंह--इन जमीनों की मालगुजारी भी वसूल कर ली गई है । तो क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जिनसे मालगुजारी ले ली गई है उनको वापस कर दी जाय ?

श्री राममूर्ति--हमने इसकी हिदायत दे दी है कि वह वापस की जाय। अभी हमने यह भी आर्डर निकाला है कि जिससे मालगुजारी वसूल की जा रही है वह रोक दी जाय ।

*२८--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--[५ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

मथुरा जिले की छाता तहसील के लिए विद्युत योजना

*२९--**श्री रामहेतसिंह**--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले की तहसील छाता में किस-किस कस्बे में बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--नन्दगांव, बरसाना व छाता कस्बों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली मिलने की उम्मीद है ।

*३०--**श्री रामहेतसिंह**--क्या सरकार इस बिजली को बारबरा डैम से प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन तीनों कस्बों को कोसी पावर हाउस से बिजली दी जायगी या हरिद्वार से जो मथुरा को आती है उससे बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--ग्रिड एरिया से दी जायगी।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तीनों कस्बे पंजाब के हद पर होने के कारण, पंजाब की सरकार यहां सस्ते रेट पर बिजली देने के लिये तैयार है तो क्या यह सरकार जो उस क्षेत्र के लिए सस्ते दाम पर बिजली मिल रही है, लेने के लिए तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार ने पंजाब की सरकार से इस मामले को लिया था । यह बात उस जगह के मुताल्लिक नहीं थी जिस जगह का सवाल में जिक्र है। लेकिन चूंकि कम कीमत का जिक्र किया गया और पहले भी कहा गया कि कम कीमत पर देने के लिए तैयार है, लेकिन वह कम कीमत नहीं है, वह कीमत ज्यादा है।

देवरिया और गोरखपुर जिलों की चीनी मिलों को पेराई की क्षमता से कम गन्ने का मिलना

*३१--श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया और गोरखपुर के जिले की चीनी मिलों में गन्ना पेरने की कितनी क्षमता है और पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कुल कितना गन्ना पेरा ?

श्री रऊफ जाफरी--देवरिया और गोरखपुर जिलों की चीनी मिलों की मौजूदा Crushing capacity कुल १६,२७४ टन रोज (per day) है। पिछले पांच सीजनों में इन मिलों ने जो गन्ना पेरा उसके आंकड़े नीचे दिये हुए हैं:--

सन्	(लाख मन में)
१९५१-५२	४०१.१३
१९५२-५३	४७९.४८
१९५३-५४	२८८.९७
१९५४-५५	४७३.९९
१९५५-५६	४४१.३४
१९५६-५७	४९६.४५

*३२--श्री रामायणराय--पूर्वीय यू० पी० में स्थित चीनी मिलों में पेरने की क्षमता और मिलने वाले गन्ने की कमी को देखते हुये क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे उन मिलों को क्षमता के अनुसार गन्ना मिल सके ?

श्री रऊफ जाफरी--सरकार का केन डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट (Cane Development Department) तमाम मिलों के एरियाज़ में गन्ने के विकास के लिये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि मिलों की जरूरत के मुताबिक गन्ना मिल सके।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आंकड़े यह नहीं बतलाते हैं कि इनकी आवश्यकता के अनुरूप गन्ना नहीं मिलता है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, वहां पूर्व में जो मिलें हैं उसमें से बहुतेरी ऐसी हैं जिनको अपनी क्रशिंग कैपेसिटी भर का गन्ना नहीं मिलता, यह बात सही है।

श्री गेंदासिंह--क्या ऐसी मिलों से एक माननीय उद्योग मंत्री जी के पड़ोस में शाहगंज भी है जिसको और मिलों से बहुत कम गन्ना मिलता है, यदि यह सही है तो उसके लिए यह यत्न करेंगे कि उसको अपनी क्रशिंग कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना मिल सके ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो सही है कि शाहगंज की मिल को कम गन्ना मिलता है, वहां और हर जगह इस बात की कोशिश की जायगी कि गन्ना ज्यादा पैदा हो सके और मिलों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि १९५० में एक शुगर इंडस्ट्री इनक्वायरी कमेटी बैठी थी और उसकी सिफारिश यह थी कि पूर्वी जिलों की मिलों के क्षेत्र में अगर पानी और सड़कों की व्यवस्था ठीक से हो जाय तो क्रशिंग कपेसिटी के मुताबिक गन्ना मिल सकेगा। क्या उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कुछ विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक इसका ताल्लुक है यह बात सही है कि सिंचाई के लिये आपको मालूम है कितना ज्यादा काम किया जा रहा है, सड़कों का भी इन्तजाम किया जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से जो ज्यादा पैदावार होगी मिलों को मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जब मिलें बन रही थीं तो बाज़ बाज़ बहुत करीब हो गईं। दूसरी बात यह भी थी कि होल्डिंग्ज़ बहुत छोटी थीं। तो इन सब बातों के बावजूद उम्मीद यह है कि हर मिल को उसकी क्रशिंग केपेसिटी के बराबर गन्ना मिलना शुरू हो जायगा।

अम्बर चरखा के शिक्षालय खोलने की प्रार्थना

*३३--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अम्बर चरखा के कितने शिक्षा केन्द्र, परिश्रमालय व उप-परिश्रमालय खोले गये हैं?

श्री रऊफ जाफरी--राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के शिक्षा केन्द्र, परिश्रमालय व उप-परिश्रमालय अभी तक नहीं खोले गये हैं।

*३४--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार उक्त शिक्षालय जिन जिलों में खोले गये हैं, उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी--प्रश्न नहीं उठता।

*३५--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अभी तक क्या सहायता प्राप्त हुई है तथा इस वर्ष में वह स्वयं कितना व्यय कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी--इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में इस वर्ष राज्य सरकार स्वयं कोई व्यय करने का विचार नहीं रखती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार जेलों में अम्बर चर्खे को चलवाने के सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक विचार का ताल्लुक है सरकार ने पहले भी किया और अब भी करेगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन विद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थियों को जीवन में इस व्यवसाय को अपनाने में सरकार कोई सहायता देती है?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे उठता ही नहीं। उन्होंने तो इसके बारे में पहले ही मना कर दिया।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी को पता है कि उत्तर-प्रदेश में विभिन्न नगरों में इस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है? यदि हो रही है तो उसका संचालन कौन कर रहा है?

श्री रऊफ जाफरी--जी, यह सही है कि इस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है और इसका गांधी आश्रम के जरिये इन्तजाम होता है। उनको केन्द्रीय सरकार से पैसा मिला है वह चला रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में अपनी ओर से भी कुछ करने वाली है अथवा नहीं?

श्री रऊफ जाफरी--यह सही है कि पिछले साल में भी एक योजना १८ लाख से कुछ ऊपर की केन्द्रीय सरकार के पास इस काम के लिए भेजी गयी थी लेकिन वहां से उतना नहीं बहुत थोड़ा रुपया करीब ६५ हजार के मिला और काफी देर में मिला। एक और भी स्कीम भेजी गई है जो १६ लाख के ऊपर है और अगर यह रुपया मिल गया तो जरूर इस पर काम किया जायगा।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में जो टार्गेट प्रान्तीय सरकार ने नियत किया है वह पूरा नहीं हो रहा है और उसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से जितना धन मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी--मैं जवाब दे चुका हूं कि हमने जो पहले १८ लाख रुपया मांगा था वह नहीं मिला और अब फिर १६ लाख की स्कीम भेजी है। देखिये वहां से क्या जवाब आता है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सोच रही है कि केन्द्रीय सरकार को किसी तरह से राजी करके यह धन लिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--उसकी कोशिश जारी है और रहेगी।

बुलन्दशहर जिले के हिण्डन और यमुना दुआब में बाढ़ योजना का कार्य

*३६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वाबा हिन्डन व जमुना नदियों पर तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में बाढ़ योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य किये जा चुके हैं ?

श्री राममूर्ति--हिन्डन और यमुना दोआब में गांवों तथा सड़कों को ऊंचा कराने के कार्य के अतिरिक्त सिकन्दराबाद तहसील में ६ नालों तथा धूम नाला मनेरा कट, चन्देह नाला ६ से १२ मील के बीच तक तथा पिलखनवाली नाला, राजा रामपुर तथा चितेड़ा नालों पर अक्तूबर, १९५६ से सफाई का कार्य किया गया है। कनोश नाला पर सफाई का कार्य जारी है तथा अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा। इसके अतिरिक्त नये नालों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्षा के जल निष्कासन हेतु दो नालियां भी बनकर तैयार हो चुकी हैं।

बुलन्दशहर जिले में कैरोन नदी के ड्रेनेज की सुधार योजना

*३७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि करोन नदी पर भी बुलन्दशहर जिले में कोई बाढ़ योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या और कितना धन इस योजना पर व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति--जी हां, कैरोन नदी के ड्रेनेज (Drainage) के सुधार के लिए १९.७६५ लाख रु० के अनुमानित व्यय की योजना बाढ़ निरोध समिति द्वारा स्वीकृत हो गयी है। परन्तु धन के अभाव के कारण अभी कार्य आरम्भ करने का निर्णय नहीं हुआ है।

*३८-३९--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

बांदा जिले की करवी तहसील में चहरा ग्राम के पुनर्वासन की योजना

*४०--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले की करवी तहसील में चहरा ग्राम में बांध बनने के कारण लगभग दो सौ घर डूब गये ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३५ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति--अभी तक ग्राम चहरा में बांध बनने से कोई घर नहीं डूबा है।

*४१--**श्री जगपतिसिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि इनको अब तक मकानों, जमीन व खेतों आदि का मुआविजा नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति--मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है, पेड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है। भूमि प्राप्ति की विज्ञप्ति हो चुकी है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही जमीन का मुआवजा भी दे दिया जायेगा।

*४२--**श्री जगपतिसिंह**--क्या सरकार इनके रहने को मकान व खेती के लिए जमीन का बरसात के पहले इन्तजाम करने को सोच रही है ?

श्री राममूर्ति--हां, गांव के पुनर्वास के लिए भूमि ढूंढ़ ली गयी है और नये गांव का नक्शा भी बना लिया गया है। कुआं खोदा जा रहा है और जिलाधीश द्वारा जमीन बांटने का कार्य हो रहा है।

बस्ती जिले में बखिरा तथा मुखलिसपुर पम्प नहरों का निर्माण

*४३--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बखिरा पम्प नहर और मुखलिसपुर पम्प नहर (जिला बस्ती) किन-किन तारीखों से बन रही हैं और उक्त दोनों नहरें कब से पानी देने लगेंगी ?

श्री राममूर्ति--बखिरा पम्प नहर तथा मुखलिसपुर नहर का निर्माण-कार्य क्रमशः जून, १९५४ और जून, १९५५ में आरम्भ हुआ था। आशा की जाती है कि बखिरा पम्प नहर फरवरी, १९५८ तक तथा मुखलिसपुर नहर दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक सिंचाई के लिए चालित कर दी जायेगी।

*४४-४५--**श्री राजाराम शर्मा**--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*४६-४८--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

ओवरसियर प्रशिक्षण के केन्द्र तथा स्कूल

*४९--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी और गैर-सरकारी ओवरसियर प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल काम कर रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ओवरसियर प्रशिक्षण के लिए कोई सरकारी स्कूल अथवा केन्द्र नहीं है और ऐसे गैर-सरकारी स्कूलों की कोई सूची भी सरकार के पास नहीं है, किन्तु इस प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा रुड़की तथा अलीगढ़ विश्व-विद्यालयों और लखनऊ के सिविल एवं हिवेट इन्जीनियरिंग स्कूलों में दी जाती है।

*५०--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपा बतायेगी कि गैर-सरकारी ओवरसियर प्रशिक्षण स्कूलों पर सरकार किस प्रकार का नियन्त्रण रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रुड़की एवं अलीगढ़ विश्व-विद्यालयों को छोड़ कर जो कि स्वायत्त शासित संस्थायें (Autonomous Bodies) हैं, मान्यता प्राप्त लखनऊ के सिविल एवं हिवेट इन्जीनियरिंग स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी मैनेजिंग कमेटियों में सरकार के दो प्रतिनिधि हैं। इन दोनों स्कूलों की परीक्षायें भी सरकार के बनाये हुए ऐड-हाक एडवाइजरी बोर्ड आफ इन्जीनियरिंग एजुकेशन, रुड़की द्वारा ली जाती है।

*५१--**श्री प्रतापसिंह**--[२९ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाड़ी से गन्ना उतरवाने के संबंध में एल० एच० शुगर मिल, पीलीभीत से शिकायत

*५२--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना मिलों में गाड़ी तुल जाने के बाद गाड़ी से गन्ना उतरवाने की जिम्मेदारी किस की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस विषय पर जो नियम है उस के अनुसार हर Purchasing Centre पर फैक्टरी या उसके Purchasing Agent को गन्ना लदवाने और उतरवाने के लिए काफी मजदूरों का इन्तजाम करना लाजिमी है, लेकिन आमतौर पर उत्तर प्रदेश में यही रिवाज है कि गाड़ियों के तुलने के बाद फैक्टरी के आदमी और गाड़ीवान दोनों ही गन्ना उतरवाते हैं।

*५३--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या गाड़ी तुल जाने के बाद गाड़ी से गन्ना उतरवाने के सम्बन्ध में एल० एच० शुगर मिल, पीलीभीत से कोई शिकायत कुछ समय पूर्व सरकार के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय सरकार ने दिया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, ८ मार्च, १९५७ को कुछ गाड़ीवानों और पीलीभीत मिल के कुलियों में इस सिलसिले में कुछ झगड़ा और मतभेद होने की सूचना मिली थी। इसमें सरकार के निर्णय का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में नियम मौजूद हैं।

*५४--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या एल० एच० शुगर मिल, पीलीभीत में ८ मार्च, १९५७ को गाड़ी से गन्ना उतारने पर गाड़ीवान तथा मिलमालिक से कुछ मतभेद हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*५५-५६--श्री त्रिलोकीसिंह--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

रिहन्द बांध का निर्माण-कार्य

*५७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बांध के लिए डिजाइन पूर्णरूप से तैयार हो गयी है। बांध की नींव की खुदाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। २० टन केबिल वे को छोड़कर निर्माण सम्बन्धी अन्य यन्त्र लगा दिये गये हैं। पत्थर की खान पर से ४५ लाख घन फुट मलवा हटाया जा चुका है। सोन नदी पर पुल तथा राबर्टसगंज से पिपरी तक सड़क तैयार हो गयी है। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए स्थायी तथा अस्थायी मकान बना दिये गये हैं। पिपरी में ४,००० किलोवाट का डिजिल पावर स्टेशन तैयार हो गया है, तथा ६,००० किलोवाट का स्टीम स्टेशन चौपान में और ६०० किलोवाट का डिजिल पावर स्टेशन राबर्ट्सगंज में बनाये जा रहे हैं।

उद्योग विभाग से संबंधित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशें

*५८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग से सम्बन्धित Fact Finding Committee की रिपोर्ट की कौन-कौन सी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Fact Finding Committee Report (Large Scale Industries) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

मनपुरी में बिजली का ठेका

*५९—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या यह सत्य है कि मैनपुरी में बिजली का ठेका सरकार द्वारा ९ आना प्रति यूनिट की दर से दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*६०—श्री मलिखानसिंह—यदि हां, तो क्या प्रदेश के किसी अन्य भाग में भी उसी दर पर बिजली प्रसारित होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता।

खीरी जिले में गन्ने की पेराई

*६१—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले में गन्ने की कुल उपज का कितना भाग चीनी मिलों द्वारा १५ अप्रैल, १९५७ तक पेरा जा चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तकरीबन ३८ फीसदी भाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की योजना

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय संसद की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी जो ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाने की योजना गतवर्ष से विचाराधीन है, कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस योजना की इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

मनियार, जिला बलिया को घाघरा के कटाव से कथित भय

*६३—श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि घाघरा नदी के कटान से मनियार कस्बा, जिला बलिया को जबरदस्त खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसके बचाव के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—कस्बा मनियार, जिला बलिया को घाघरा नदी के कटाव से कोई आकस्मिक दुर्घटना की आशंका नहीं है, अतएव सुरक्षा के प्रबन्ध का प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में यमुना और चम्बल के बीच पारपट्टी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी

*६४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला के जमुना और चम्बल के बीच बसा हुआ क्षेत्र पारपट्टी जो जिला का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

*६५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां नलकूप लगवाने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में १० नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है और यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त "साईट सेलेक्शन कमेटी" द्वारा नलकूपों की जगह का चुनाव होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय राज्य के एक्सप्लोरेटरी (exploratory) नलकूप विभाग द्वारा दो नलकूपों पर परीक्षात्मक बोरिंग (trial boring) का कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

गृह एवं कुटीर उद्योगों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से सहायता

*६६--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने गृह एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कितना अनुदान राज्य सरकार को दिया और राज्य सरकार उसमें से कितना प्रयोग कर सकी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए ७,१६,०४८ रुपये का अनुदान दिया। इसमें से राज्य सरकार ने ५,५३,४५१ रुपया व्यय किया।

*६७-६८--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--[५ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सीमेंट स्टाकिस्टों की सिक्योरिटी

*६९--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह चुर्क सीमेंट फैक्टरी की सीमेंट बिक्री हेतु विभिन्न जिलों के सीमेंट स्टाकिस्ट्स से कुछ सिक्योरिटी जमा कराती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के स्टाकिस्टों से १०,००० रु० की सिक्योरिटी ली जाती है।

*७०--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन्हें माल देने और इनसे रुपया लेने का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एलाटमेंट आने पर स्टाकिस्टों से सीमेंट का अग्रिम मूल्य ले लिया जाता है और तब माल रेल द्वारा भेज दिया जाता है।

*७१--श्री केशव पांडेय--क्या जिलों में कुछ ऐसे सीमेंट बिक्रेता हैं, जिन्हें चुर्क फैक्टरी से सीमेंट दिया जाता है, परन्तु उनसे कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, जो सीमेंट बिक्रेता पहले दूसरी फैक्टरियों के स्टाकिस्ट थे और जिन्हें अब चुर्क फैक्टरी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के बिक्री एजेन्ट की हैसियत से सीमेंट देती है, उनसे सिक्योरिटी लेने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

कानपुर जिले में पुखरायां और बिठूर को बिजली देने का विचार

*७२--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत पुखरायां-बिठूर टाउन एरियाओं को सरकार ने बिजली देने का निश्चय किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पुखरायां को बिजली देने का निश्चय किया जा चुका है और बिठूर को बिजली देने पर सरकार विचार कर रही है।

*७३--श्री रामस्वरूप वर्मा--यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कोशिश की जा रही है कि पुखरायां को जल्द है जल्द बिजली मिल जाय।

*७४--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह बिजली उक्त टाउन एरियाओं के अतिरिक्त आस-पास के गांवों को भी दी जायेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी तो ऐसा विचार नहीं है ।

*७५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

नहर मांट ब्रांच के खारजा पर लगे ट्यूबवेल्स को बिजली की आवश्यकता

*७६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नहर मांट ब्रांच जो बुलन्दशहर व अलीगढ़ में खारिज की गई है उसके स्थान पर लगाये गये ट्यूब-वेल्स को बिजली कब तक मिल जायेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कुछ सामान विदेश से मंगाया गया है । उसके आने पर कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

*७७-७८--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

टेहरी पोलीटेक्निक स्कूल के भवन का निर्माण

*७९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)--क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में १०,००० रु० टेहरी पोलिटेक्निक स्कूल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो भवन निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, १,०१,२०० रुपये टेहरी पोलिटेक्निक के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, परन्तु भवन निर्माण सामग्री की कमी के कारण यह योजना स्थगित करनी पड़ी ।

*८०-८१--श्री गेंदासिंह--[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में नहरी पानी देने की योजना

*८२--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के अन्दर १९५७ तक किन-किन तहसीलों में नहर से पानी मिलने वाला है ?

श्री राममूर्ति--जौनपुर जिले की निम्नलिखित तहसीलों में १९५७ के अन्त तक नहर से पानी मिलने लगेगा :

१--मछली शहर, २--शाहगंज, ३--जौनपुर, ३--मरिहाऊं, ५--केराकत ।

*८३-८४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८५-८६--श्री दीनदयालु शर्मा (जिला सहारनपुर)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८७-८९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*९१--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किस-किस शुगर फैक्ट्री पर, कितना-कितना रुपया , कब-कब तक का गन्ने के मूल्य का किसानों का शेष है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका " क" में दी हुई है जिस में ३१-५-५७ तक के आंकड़े हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२९-१३२ पर)

चीनी मिलों पर सेस का बकाया

*९२--**श्री महीलाल**--क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रान्त की किस-किस शुगर फैक्ट्री पर, कितना -कितना , किस- किस वर्ष का उपकर (सेस) सम्बन्धी शेष है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका 'ख' में है जिसमें ३१-५-५७ तक की स्थिति बतायी गई है ।

(देखिये नत्थी ' ङ ' अगले पृष्ठ १३३-१३४ पर)

*९३-९४--**श्री इन्द्रभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९५-९६--**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद)--[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

दोहरीघाट पम्प नहर के किनारे फलदार वृक्षों की आवश्यकता

*९७--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार बतायेगी कि उसके पास ऐसी मांगें आयीं हैं कि दोहरीघाट पम्प नहर के किनारे पेड़ लगाने के अधिकार खेतिहारों को दिये जायें और वे फलदार अथवा उपयोगी वृक्ष लगावें ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, इस प्रकार की कोई मांगें सरकार के पास नहीं आई हैं ।

बिलारी शुगर केन सोसाइटी, जिला मुरादाबाद द्वारा गन्ने की सप्लाई

*९८--**श्री महीलाल**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलारी, जिला मुरादाबाद शुगरकेन सोसाइटी के मिलगेट के किसानों के बेसिक कोटे का कितना गन्ना १-५-५७ तक लिया गया है और कितना शेष है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राप्त सूचना के अनुसार, बिलारी शुगर केन सोसाइटी जिला मुरादाबाद के मिलगेट के किसानों के कुल २८ लाख मन के बेसिक कोटे में से १-५-५७ तक २४.५० लाख मन गन्ना सप्लाई हुआ है और ३.५० लाख मन गन्ना सप्लाई करने को बाकी बचा ।

गोरखपुर जिले की नारायणी नहर

*९९--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर कब तक बन कर तैयार हो जायेगी तथा उस पर कुल व्यय कितना होगा ?

श्री राममूर्ति--नारायणी नहर का निर्माण कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है और पानी की मांग होने पर उसको कभी भी चलाया जा सकता है ।

इस नहर पर अब तक लगभग ६० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

*१००--**श्री मदन पांडेय**--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

सारदा सागर डिवीजन का हेड आफिस

१--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सारदा सागर का हेडआफिस इस समय किस जगह स्थित है तथा सरकार स्थायी रूप से आफिस किस स्थान पर बनाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--इस प्रश्न का अभिप्राय सारदा सागर डिवीजन से प्रतीत होता है जिसका हेडआफिस इस समय बरेली में अस्थायी रूप से स्थित है। सारदा सागर योजना समाप्त हो जाने पर यह डिवीजन तोड़ दिया जायगा। अतः इसका आफिस स्थायी रूप से बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

२-३--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

४--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री रामस्वरूप वर्मा का इस प्रकार है --

"सोशलिस्ट पार्टी द्वारा गत १० मई से संचालित सत्याग्रह के सम्बन्ध में इस सदन के १२ माननीय सदस्य जो जेलों में बन्द हैं गत १९ जुलाई को सदन में उपस्थित होने से वंचित किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के अनेक भागों में घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस आवश्यक अवसर पर न होना क्षोभ की बात है।

जनता में इस व्यापक क्षोभ के कारण एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए इस आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य-स्थगित करता है।"

मैं इस तरह के एक काम रोको प्रस्ताव के बारे में १९ जुलाई को कह चुका हूं कि सत्याग्रह से सम्बन्धित और उसकी वजह से जेल होने का जो विषय है यह महीनों से चला आ रहा है और बहुत अर्जेन्सी उसकी कोई नहीं है। लेकिन अगर अर्जेन्सी कुछ थोड़ी बहुत है तो बजट की आम बहस हो रही है उसमें उसको ला सकते हैं। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष--अब मैं इसके ऊपर बहस की इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब १२ सदस्य यहां न हों...

श्री अध्यक्ष--मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप अपने स्थान को कृपा करके ग्रहण करें, नहीं तो मुझे आपको आज्ञा देनी होगी कि आप सदन को छोड़ दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह जो प्रश्न है सत्याग्रह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है...

श्री अध्यक्ष--जब आप बैठ नहीं रहे हैं तो सदन को आप कृपा करके छोड़ दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं सदन को छोड़ सकता हूं, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।

(इसके बाद श्री रामस्वरूप वर्मा सदन से चले गये।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमान् जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे १२ साथी जेल में पड़े हुए हैं उनके लिए दो सौ रुपया तनख्वाह जेल में रह कर के मिल रही है तो उनका आना सदन में जरूरी है क्योंकि वह प्रजा के नुमाइन्दे हैं ....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी--यह सदन के लिए शोभा की चीज नहीं है . , . . , .

श्री अध्यक्ष--यह बजट के वक्त आप कह लीजिएगा। इस समय अपने स्थान को कृपा करके ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी--इसके ऊपर गौर करने की आपको जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन और करना चाहूंगा कि जो सत्याग्रही जेलों में पड़े हुए हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि एक-एक घड़े पानी के ऊपर एक-एक सत्याग्रही को इस गरमी में एक-एक दिन रखा जा रहा है...

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं। तो आप बैठ नहीं रहे हैं। मैं आपका नाम लेकर अब आज्ञा देता हूं। इस आदरणीय सदन ने देख लिया कि एक-एक करके सब लोग उठ कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं और सदन के काम को रोकना चाहते हैं...

एक सदस्य--हम लोग मजबूर हैं।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं सदन का परित्याग करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं सभी लोगों की तरफ से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम इसका परित्याग करते हैं।

(इसके पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन छोड़कर चले गए।)

कुमायूं मोटर लिमिटेड, काठगोदाम के दो कर्मचारियों द्वारा अनशन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का है।

"कुमायूं मोटर लिमिटेड काठगोदाम के दो कर्मचारियों के गत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन करने से उत्पन्न असन्तोष पर विचार करने हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय भी ऐसा है कि अगर इसमें अर्जेंसी का सवाल था तो १९ तारीख को इसको आ जाना चाहिए था। तो वह खुद ही अर्जेन्ट इसको नहीं समझते हैं। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न भी आम बहस में बजट के वक्त उठ सकता है। इसलिए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं और इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

प्रदेश में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--तीसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव का है।

"उत्तर प्रदेश राज्य के कोने-कोने में व्याप्त इन्फ्लुएंजा की बीमारी के प्रकोप के कारण सैकड़ों मौतें और हजारों के रोगग्रस्त हो जाने से उत्पन्न भय एवं गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।"

यह इतने महत्व का प्रश्न है कि काम रोको प्रस्ताव से घंटे दो घंटे में तो मैं समझता हूं इस पर बहस हो नहीं सकती। आज बजट के ऊपर आम बहस में यह लाया जा सकता है और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की जब ग्रान्ट आयेगी तो उसमें भी इस पर बहस आ सकती है। इसके बाद भी अगर कोई चीज रह जाय और यादव जी आवश्यकता समझें तो दुबारा वह प्रस्ताव ला सकते हैं और मैं इजाजत उसकी दे सकता हूं। यह नहीं समझा जायगा कि यह एक दफा गिर गया है। अगर ऐसी गम्भीर परिस्थिति उस वक्त में भी रही तो सोचा जा सकता है। लेकिन मैं आज इसकी आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--श्रीमान् जी, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १३५-१३६ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मेरा आज इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार नहीं है; शायद कल करूं।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री बलवानसिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार

श्री अध्यक्ष--श्री बलवानसिंह का प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है :--

"चूंकि मैं कानपुर के स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैधानिक ढंग से गिरफ्तार किया गया और कानपुर जिला जेल में रोक लिया गया हूं यह मेरी क्षमता के बाहर है कि मैं लखनऊ में विधान सभा के आगामी अधिवेशन में उपस्थित हो सकूं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य कर सकूं। अतः यह प्रार्थना-पत्र उपस्थित करता हूं कि मुझको विधान सभा की आगामी अधिवेशन की बैठकों से मुक्त किया जाय और कृपया मुझको अपना मासिक वेतन प्राप्त करने की अनुज्ञा दें।"

इसमें "अवैधानिक ढंग" ऐसे जो शब्द लिखे हुए हैं, यदि आदरणीय सदन उनको छुट्टी मंजूर करता है तो इसका यह अर्थ नहीं समझा जायगा कि वे अवैधानिक

[श्री अध्यक्ष]

ढंग से गिरफ्तार हुए। सदन के सामने प्रश्न केवल इस बात का है कि उनकी जो गैरहाजिरी की प्रार्थना है वह स्वीकार की जाय या न की जाय। सिर्फ इतना ही प्रश्न है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, इसमें हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि किसी वजह से कोई माननीय सदस्य जेल में हो तो क्या इस बात की जरूरत है कि सदन के सामने छुट्टी की दरख्वास्त दी जाय?

श्री अध्यक्ष--यदि ६० रोज हो जाते हैं तो छुट्टी की जरूरत है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६० रोज बीत जाने पर?

श्री अध्यक्ष--उसके पहले भी दे सकते हैं। उनको मालूम नहीं है कि ६० रोज होंगे या नहीं। प्रिकाशनरी मेजर के लिये वे चाहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा खयाल ऐसा नहीं है। कोई अगर जेल में हो तो आटोमेटिक इसको मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आप पोस्टपोन करना चाहते हैं तो पोस्टपोन हो सकता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, पोस्टपोन न किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति न होने पर विचार स्थगित किया गया।)

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--दूसरा प्रार्थना-पत्र श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट का है जो इस प्रकार है :--

"मैं दो माह से बीमारी के कारण अस्वस्थ हूं और अभी इस योग्य नहीं कि कहीं चल फिर सकूं।

इसलिये अपने अस्वस्थता के कारण १९ जुलाई, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले बजट अधिवेशन (सत्र) में विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित न हो सकूंगा।

अतः नम्र निवेदन है कि मुझे डेढ़ माह का अवकाश प्रदान किया जाय और डेढ़ माह तक विधान सभा की कार्यवाहियों से वंचित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।"

मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

(सर्वसम्मति से प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुआ।)

२६ जुलाई व २३ अगस्त, १९५७ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य करने के लिये संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २६ जुलाई,

१९५७ तथा २३ अगस्त, १९५७ को, उन महीनों के चौथे शुक्रवार होने के कारण असरकारी कार्य को अग्रगामिता (प्रिसीडेंस) होगी। किन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों व १९५७–५८ के आय-व्ययक तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक, को ३१ अगस्त, १९५७ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि २६ जुलाई, व २३ अगस्त, १९५७ ई० को पड़ने वाले चौथे शुक्रवारों को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य के लिए निश्चित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई बहुत लम्बे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। यह सदन उदारता के साथ इस अवसर पर हर साल इस बात को स्वीकार करता रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार जो शुक्रवार इसमें आ जायगा, उसके लिए हम और मौका निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति न होने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया निमयावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २६ जुलाई, १९५७ तथा २३ अगस्त, १९५७ को, उन महीनों के चौथे शुक्रवार होने के कारण असरकारी कार्य को अग्रगामिता (प्रिसिडेंस) होगी। किन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों व १९५७–५८ का आय-व्ययक तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ अगस्त, १९५७ से पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि २६ जुलाई व २३ अगस्त, १९५७ ई० को पड़ने वाले चौथे शुक्रवार को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य के लिए निश्चित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शनिवार, २७ जुलाई, ३ अगस्त तथा २४ अगस्त, १९५७ को भी सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं होती, तथापि कतिपय आवयश्क विधेयकों को वह १९५७–५८ का आय-व्ययक तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने निश्चित समय पर शनिवार, २७ जुलाई, ३ अगस्त, तथा २४ अगस्त, १९५७ ई० को भी होगी।

इसके सम्बन्ध में भी मुझे विशेष नहीं कहना है। वही बात है जो पहले संकल्प के विषय में कही, और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं होती तथापि कतिपय आवश्यक विधेयकों को व १९५७–५८ का आय-व्ययक तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने निश्चित समय पर शनिवार, २७ जुलाई, ३ अगस्त तथा २४ अगस्त, १९५७ ई० को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के भाषणों के लिये समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद आरम्भ होगा।

इस विषय में मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अभी तक प्रथा यह रही है कि विरोधी दल के जो नेता हैं उनके लिए कोई समय बांधा नहीं जाता है। बाकी लोगों के लिए आम बहस में समय निश्चित किया जाता था और उसमें अन्य जो विरोधी दल हैं उनके नेताओं को थोड़ा समय अधिक दिया जाता था। मुझसे यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा था कि शायद वह इस वर्ष सब पार्टियों से मिल करके इस तरह की तजवीज करना चाहते हैं कि नेताओं को अधिक समय दिया जाय और उनके पार्टी के लोग कम बोलेंगे, या एक आध ही बोलेंगे, जिसमें अधिक से अधिक समय किसी एक आम बहस के ऊपर, पूरे बजट के ऊपर, हर एक दल का नेता बोल सके।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह उस बात-चीत में सफल हुए?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने सब से बात-चीत की और निष्कर्ष उसका यह हुआ कि एक-एक दिन भिन्न-भिन्न विरोधी दल के नेता लोग बोलेंगे और माननीय विरोधी दल के नेता आज बोलेंगे और आध-आध घंटा समय अगर बाकी दलों के नेताओं को बोलने को दिया जाय और अन्य सदस्यों के लिए १५-१५ मिनट, तो हम आपस में समझौता कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर विचार करने की बात है। आज तो सिर्फ प्रश्न मुख्य विरोधी दल के नेता जो हैं, उनके बोलने का है। उनका तो समय का निर्धारण कोई है ही नहीं। मैं उस पर विचार कर लूंगा, क्योंकि अब यह मालूम हुआ कि और लोग भी बोलेंगे, हर एक दल के। मैं विचार करके कल इसके ऊपर जो निर्णय होगा वह दे दूंगा।

खाद्य समस्या पर विवाद के संबंध में जानकारी

श्री गौरीशंकर (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि खाद्य समस्या पर सदन कब विचार करेगा?

श्री अध्यक्ष---मैं मुख्य मन्त्री जी से बातें करूंगा और इसके लिए चूंकि मैंने लिखकर भेज दिया है, लेकिन बात चीत करना बाकी रह गया है, इसलिए आज बातचीत करने के बाद में कल सदन को सूचना दे दूंगा।

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय,

(इस समय १२ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन्, का कृतज्ञ हूं कि मुझे यह इजाजत दी गयी कि इस वाद-विवाद में मैं बैठे-बैठे हिस्सा लूं। मुझे अफसोस है कि माननीय वित्त मन्त्री ने जो १०८ करोड़ रुपये से अधिक का लेखा इस आदरणीय सदन के सम्मुख पेश किया है, उस सिलसिले में, मैं उनको मुबारकबाद दूं। कुछ रिवाज सा पड़ गया है कि इधर तीन वर्षों से और पिछले छः महीनों से विशेष तौर पर राज्य सरकारें डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जा रही हैं और उनमें से

इस बात की आशा करती है कि भारतीय सरकार ने फाइनेंस कमीशन बिठाया है, उसके द्वारा उनको जो इस समय तक भारतीय सरकार की आमदनी से हिस्सा मिलता था, उससे अधिक हिस्सा मिलेगा ।

श्रीमन्, मैं जहां इस राय का हूं कि प्रादेशिक सरकारों को भारतीय सरकार की आमदनी से जो हिस्सा इस समय तक मिलता था, उससे अधिक मिलना चाहिए, वहां इस राय का मैं कदापि नहीं हूं बल्कि उसका सख्त विरोधी हूं कि उसे ज्यादा रुपया मिले अगर हम अपने आय-व्यय को इस प्रकार से पेश करें कि आमदनी से खर्च ज्यादा हो ।

श्रीमन्, यह सभी को मालूम है और सर्वमान्य है कि डेफीसिट फायनेंसिंग का नतीजा जहां आमदनी कम और खर्च ज्यादा होता है वहां सरकार की साख बाजार में घटती है, रुपये का मूल्य घटता है, मुद्रा का फुलाव, इनफ्लेशन की टेंडेंसी होती है और जो बजट है, उसमें जो जरूरी खर्चे हैं उनमें कमी पैदा होती है। अगर इस प्रादेशिक सरकार के पिछले तीन साल के बजट पर गौर करें तो मालूम होगा कि जितनी उनकी अनुमानित आमदनी थी उससे ज्यादा आमदनी हुई और जितना खर्च रखा था उससे कम खर्च कर पाये। वित्त मंत्री पुराने अनुभवी इस प्रदेश के मंत्री हैं। श्रीमन् की आज्ञा से मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ५५-५६ में आमदनी रखी गई थी ८४ करोड़ ५६ लाख, हजारों की संख्या का मैं जिक्र नहीं करूंगा । लेकिन दरसल आमदनी हुई ८५ करोड़ ५३ लाख, यानी एक करोड़ रुपये की आमदनी ज्यादा हुई। इसी प्रकार ५६-५७ में ८५ करोड़ ५३ लाख आमदनी रखी गई, लेकिन हुई ८७ करोड़ ८७ लाख, यानी करीब २ करोड़ ३० लाख आमदनी ज्यादा हुई जिससे यह ज्ञात होता है कि इन दो सालों के पहले के आंकड़ों को यदि देखा जाय तो यही मालूम होगा कि जितनी एस्टीमेटेड इन्कम रखी गयी थी उससे ज्यादा सरकार की आय हुई और उसी के साथ-साथ श्रीमन्, यदि इस बात पर विचार करें कि खर्चा क्या हुआ तो मालूम यह होगा कि जो एस्टीमेटेड खर्च था उसमें कमी हुई। सन् १९५५–५६ में सरकार का अनुमान था कि साढ़े पांच करोड़ रुपये का घाटा होगा लेकिन बजाय घाटे के डेढ़ करोड़ रुपये का फायदा हुआ । इसी प्रकार सन् १९५६–५७ में साढ़े नौ करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था लेकिन वह ८ करोड़ रुपये से कम हुआ, यानी डेढ़ करोड़ रुपया कम घाटा हुआ । यह आमदनी इतनी कम उस समय रह गयी जब कि सरकार को लगान और मालगुजारी में कुछ दैवी आपत्तियों के कारण, जिन पर किसी का अख्तियार नहीं है, विशेषतौर पर छूट देनी पड़ी । अगर वह छूट निकाल दी जाती तो यह घाटा और भी कम होता । श्रीमन्, मुझे भय है कि ११ करोड़ ६७ लाख रुपये का घाटा नहीं होगा, कम होगा; घाटा कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी । लेकिन डेफिसिट फिनेंसिंग के जो बुरे नतीजे हैं उनको हमें भुगतना पड़ेगा ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसकी जांच जो इधर के बैठने वाले हैं, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है उसके अन्दाज से न करें । जो हमारे उसूल हैं, जो आपोजीशन का नजरिया है उससे इस बजट की जांच न कीजिये बल्कि जो खुद माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम स्टैन्डर्ड आफ लिविंग यानी रहन-सहन को ऊंचा करेंगे, उसमें कुछ अधिक सहूलियत पैदा करेंगे और दूसरा मकसद उनका है 'एलिमिनेशन आफ इनइक्वालिटीज इन दि डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेल्थ' यानी जो धन है उसके बटवारे में जो ऊंच नीच का इतना फर्क है उसको कम करेंगे, उस नजरिये से इस बजट को देखिये । मैंने, श्रीमन्, बहुत गौर से उनके भाषण को दोबारा भी पढ़ा, बजट को भी उलटा–पलटा कि कहीं पर कोई संकेत इस बात का भी मिले कि किस प्रकार से धन के बटवारे में कोई समानता लायी जायगी, लेकिन एक अक्षर भी जो, चार, पांच सौ सफे के कागजात माननीय सदस्यों को दिये गये, उनमें नहीं मिलता कि यह मकसद कैसे हासिल होगा । उसकी कोई स्कीम माननीय वित्त मंत्री ने इस आदरणीय सदन के सामने पेश करने की कृपा नहीं की ।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

रह गया साधारण जीवन के स्तर को ऊंचा करना, तो यों तो मेरी हिम्मत न पड़ती कि मैं गुजिश्ता १० साल के जमाने के हालात का जिक्र करूं लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है और जो पुरानी सरकार की कार्यगुजारी हैं उनसे फायदा उठाने की साफ तौर पर कोशिश की है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि सन् १९३९ का, यानी लड़ाई के पहले का अगर कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स १०० माना जाय तो सन् १९४६ का कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ३३० था और सन् ५६ की जो लेटेस्ट फिगर्स इस सरकार के एकनामिक इंटेलिजेन्स विभाग के द्वारा इस आदरणीय सदन को दी गई हैं वह ४४६ हैं, यानी पिछले ११ वर्ष के अन्दर ५० फीसदी कास्ट आफ लिविंग बढ़ गई। ३३० की जगह पर ४४६ हो गई।

टैक्स पर यदि गौर करें तो ४६-४७ में २७ करोड़ कुछ लाख इस प्रदेश की आय थी, अब ९७ करोड़ है। यदि इसमें से १३ करोड़ वह रकम जो जमींदारी के खात्मे से किसान से बराहरास्त वसूलयाबी की वजह से राज्य के कोष को अधिक प्राप्त होती है उसको निकाल दिया जाय तो ३ सौ फीसदी टैक्स में इजाफा हो गया।

मुझे बहुत हैरत हुई जब माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि बंगाल, बम्बई और पंजाब के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में टैक्स कम लगता है। बिहार, उड़ीसा, आसाम राजस्थान और अन्य प्रदेशों को भूल गये। उनको जाने दीजिये लेकिन इस आदरणीय सदन को गौर करने के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल में क्यों पर हेड आफ पापुलेशन, यानी फी आदमी की आमदनी उत्तर प्रदेश के मुकाबिले से ज्यादा है। बंगाल में खेती पर गुजर करने वालों की आबादी उत्तर प्रदेश के मुकाबिले में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ७४ फीसदी आदमी खेती पर जीवित हैं और बंगाल में ५७ फीसदी। बंगाल में ४३ फीसदी आदमी नान ऐग्रीकल्चरल आकूपेशंस, यानी खेती के अलावा दूसरे पेशों में लगा हुआ है और यह सर्वमान्य है, इसमें दो राय नहीं हैं कि खेती करने वाले के मुकाबिले में बगैर खेती करने वाले की आमदनी ज्यादा होती है। ऐनुअल ऐवरेज वेज इंडस्ट्रियल लेबर का हिन्दुस्तान में ९४५ रुपया सालाना है और स्वयं इस सरकार ने जो ऐग्रीकल्चरल लेबर की तनख्वाह मुकर्रर की है वह २६ रुपया महीना है? यानी ३१२ रुपया सालाना। ३१२ रुपये खेती करने वाले की तनख्वाह और ९४५ रुपये इंडस्ट्रियल लेबर की तनख्वाह। इसी प्रकार बम्बई का ३९ फीसदी आदमी नान-ऐग्रीकल्चरल आकूपेशंस पर लगा हुआ है और पंजाब की आबादी का ३६ प्रतिशत। यही कारण है कि वहां ज्यादा टैक्स है क्योंकि वहां की आमदनी इस प्रदेश से ज्यादा है।

श्रीमन्, यह भी दुख की बात है कि हमारे यहां की आबादी का केवल ८ फीसदी हिस्सा ऐसा है जो इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है जिसके प्रयत्नों से देश की दौलत में इजाफा होता है। इसके मुकाबिले में बम्बई में १३.८ फीसदी, बंगाल में १५.४ फीसदी। हमारे यहां २६ फीसदी में से केवल ८ फीसदी यानी एक तिहाई आदमी प्रोडक्शन के कामों में लगा हुआ है और २ तिहाई आदमी बाबू, मुंशी, वकील डाक्टर और मास्टर हैं, दुकानदार हैं, जो देश के धन में इजाफा नहीं करते। बम्बई में १३.८ प्रतिशत आदमी, और बंगाल में १५.४ प्रतिशत आदमी धन वृद्धि में लगा हुआ है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्तर ऊंचा नहीं हुआ है और उसके लिये मैं यह प्रमाण इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक क़हत का कानून है जिसको फैमिन कोड कहते हैं। यदि कहीं पर क़हत हो जाय, अकाल हो जाय तो उस समय जो खाना एक आदमी तथा स्त्री को देना आवश्यक है उसका मूल्य आठ आने से कम नहीं आता। मैंने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के विवाद में यह निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश की जेल में जो एक आदमी पर खर्च होता है वह खर्चा, अगर वह आदमी सरकार की नौकरी पर ले, तो उसको प्राप्त नहीं है। मैं आज इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैमिन कोड में जो डायट प्रेस्क्राइब्ड है

उतनी औसत आमदनी इस प्रदेश में रहने वाले की नहीं है जो उसको साधारण समय में मयस्सर हो सके।

श्रीमन्, कल ही मैंने माननीय मुख्य मंत्री का बयान एक अखबार में पढ़ा। मैं उस अखबार का जिक्र खासतौर पर नहीं करना चाहता, लेकिन उस बयान में यह लिखा हुआ था कि यह सब सरकार को स्वीकार है कि पूर्वी जिलों में अन्न की कमी है। पैदावार कम है। इतनी अन्न की कमी है कि सरकार को यह जरूरी मालूम हुआ कि वहां डेढ़ हजार के करीब या एक हजार से कुछ ज्यादा ऐसी अनाज की दूकानें खुलवायें जिससे सस्ता गल्ला वहां के रहने वालों को प्राप्त हो सके। कहीं भी इस बजट में इसका जिक्र नहीं है। गतवर्ष या उसके पहले फसलों के खराब हो जाने की छूट का जिक्र है और इस वर्ष फसल खराब होने की छूट का जिक्र नहीं है, बल्कि माननीय वित्त मंत्री का यह अनुमान है कि १ करोड़ ४१ लाख रुपया मालगुजारी से और वसूल होगा। उनके भाषण को अगर माल मंत्री जी पढ़ें तो मेरी बात की पुष्टि उनको हासिल हो जायगी कि गत वर्षों के मुकाबले में १ करोड़ ४१ लाख रुपया मालगुजारी से और वसूल होगा। उनकी सरकार यह स्वयं मानती है कि देहात के क्षेत्र में पूर्वी जिलों में कम से कम ९ जिले ऐसे हैं जहां पर अन्न का इतना अभाव है कि गांव-गांव में सरकार को दुकान खोलने की जरूरत पेश आयी। मेरी समझ में श्रीमन्, यह दोनों बातें एक साथ बैठती नहीं हैं। अगर वहां अन्न का अभाव है तो उस अन्न के अभाव से मालगुजारी कैसे बढ़ जायगी।

श्रीमन्, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का करीब-करीब डेढ़ साल बीत चुका। यह पूर्वी जिलों में जो अन्न की कमी है इसको दूर करने के लिये कोई मियाद, कोई लक्ष्य इस सरकार के पास है या नहीं? कितने समय तक वहां के लोग मुन्तज़िर रहेंगे कि बाहर का अन्न वहां पर जाकर बिके। लेकिन मालूम नहीं किस मसलहत से यह मुनासिब समझा गया कि वित्त मंत्री महोदय अपने भाषण में पूर्वी जिलों की स्केअरसिटी का, वहां पर जो आज अन्न का अभाव है उसका जिक्र न करें। मुझे दुःख है कि मुझे कड़वी बात अर्ज करनी पड़ रही है लेकिन जनहित में और इस आदरणीय सदन का सदस्य होने की हैसियत से मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि जिस बात को सही, ठीक और जरूरी समझता हूं उस बात को मौका पाने पर जरूर अर्ज करूं।

इस प्रदेश का रहनेवाला ७४ फीसदी आदमी खेती के ऊपर निर्भर है। पिछले ११ साल के अन्दर करोड़ों रुपया आबपाशी की सुविधा तथा खेती के एरिया को बढ़ाने में सरफ हुआ।

यदि सन् ४६ के और आज के आंकड़े देखे जावें तो यह मालूम होगा कि कृषि पैदावार में एक मन फी एकड़ का भी वैरिएशन नहीं है। सन् ५५ में ८.१७ मन गेहूं की, ५.८९ मन चने की और जौ की ८.८ मन फी एकड़ है। ३० साल पहले की सैटिलमेंट रिपोर्ट अगर हम पढ़ें तो ९ मन फी एकड़ गेहूं की पैदावार थी। लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद क्यों पैदावार फी एकड़ में इजाफ़ा नहीं हुई? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लेकिन क्यों नहीं पैदवार में तरक्की हुई? कुछ नई जमीन जोत में जरूर आ गई लेकिन औसत पैदावार नहीं बढ़ी। आबादी भी बढ़ गई है, इसे नहीं भलाया जा सकता है। सभी जानते हैं कि हमारा खासा वास्ता अंग्रेजों से रहा है। इंगलण्ड में एक फ़सल होती है, २ महीने से ज्यादा ज़मीन बरफ़ से ढकी रहती है और वहां गेहूं की पैदावार औसतन फी एकड़ २६ मन है। हमारे यहां केवल ९ मन के आसपास १०, ११ वर्ष के प्रयत्न के बाद रहती है। क्यों यह असफलता है? इसका कारण कृषि विभाग की कार्य पद्धति में और सरकार की कृषि पालिसी में नुक्स है। सभी मानते हैं कि खेत की उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई, खाद और अच्छे बीज की आवश्यकता है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास २७६ एसे सीड स्टोर हैं जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है। १,०७४ ऐसे सीड स्टोर हैं जो कोआपरेटिव सोसाइटियों के पास हैं। इन सोसाइटियों के पास कोई चारा नहीं है कि वे अपने सीड के स्टेन्डर्ड को अच्छा रखने का कोई प्रबन्ध कर सकें। सेकेंड फाइवईयर प्लान की रिपोर्ट को पढ़िये। कैसे ये सीड स्टोर अपने स्टाक्स को रिप्लेनिश करेंगे ? सौभाग्य से इस आदरणीय सदन में अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जिनका खेती से वास्ता रहा है, जो खेतिहर क्षेत्र से आये हैं, वे भली भांति जानते हैं कि वही बीज अगर हर साल बोया जायगा तो वह खराब हो जायगा। कृषि विभाग के लोग अपने सीड स्टोर में बार-बार का बोया हुआ बीज वापिस नहीं लेते हैं, नया बीज फार्म से खरीदते हैं, खुद अपने फार्म में पैदा करते हैं। माननीय कोआपरेटिव मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उनके पास एक भी फार्म है ? कितना बीज वे सरकारी फार्मों से खरीदते हैं ? बहुत थोड़ा। कितना बीज कोआपरेटिव वालों का, जिनकी संख्या सरकारी स्टोरों से तीन गुने से ज्यादा है, खराब हो गया है ? कृषि भी एक विज्ञान है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के सीड स्टोर्स के सुपरवाइजर कहां के एग्रीकल्चरिस्ट हैं ? जब हर जूनियर हाई स्कूल में जो गांव में हो खेती की शिक्षा दी जाय तो क्या इन सुपरवाइजरों के लिये जरूरी नहीं है कि उनको भी सीड के परखने का ज्ञान हो ? वह भी इसको जानें। लेकिन ऐसा नहीं है।

जहां सीड की यह दशा है वहां खाद, घूरे से सोना, माननीय माल मंत्री पश्चिमी जिले के रहने वाले हैं, गांवों से उनका इस मंत्रिपद के अलावा भी बराहरास्त वास्ता है। रेल पर बैठ कर दिल्ली, बुलन्दशहर या सहारनपुर जाइये, शाहजहांपुर से आगे बढ़े कि गोबर के कंडों के ढेर बजाय इसके कि वह खाद में इस्तेमाल हों वह सब जलाने के काम में इस्तेमाल होते हैं। एक-एक गांव में, श्रीमन्, पचास-पचास, सौ-सौ ढेर, रेल पर चलने वालों को भी नजर आते हैं। कितना प्रयत्न किया गया आज तक ? हम किसान को नहीं कायल कर पाये कि अगर मवेशियों के गोबर का इस्तेमाल खाद की पांस डालने में करें तो खेत की पैदावार में बहुत इजाफा हो जायगा। लेकिन अगर वह कंडा बना कर अपनी रोटी न पकायें तो भूखों मरें। जहां इतनी प्लानिंग हो रही है, जहां बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जिसमें ७४ फीसदी खेती करने वाले हैं वहां जानवरों का जो गोबर है सबका सब यदि खेत में जाय इसके लिए आल्टरनेटिव फुएल का उनके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड फाइव इयर प्लान दोनों पढ़ डाले, कोई आल्टरनेटिव फुयेल का जिक्र ही नहीं। कितना ही हम प्रयत्न करें लेकिन अगर फुएल नहीं मिलेगा तो वह गांव का किसान अपने गोबर के कंडे और उपले बना कर रोटी बनायेगा, हमारे लेक्चर को नहीं सुनेगा और खाद का समुचित प्रबन्ध न हो सकेगा।

जहां तक इर्रीगेशन का सवाल है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ। २२ हजार मील इर्रीगेशन चैनेल्स हो गये। माननीय वित्त मंत्री जो बहुत दिन तक इस इरिगेशन के वजीर रहे हैं इस प्रान्त के। क्या वह बतला सकेंगे कि चैनेल्स तो २२ हजार मील हो गये, करीब-करीब एक हजार या आठ सौ मील हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन पानी गंगा और शारदा के नहरों में कितना बढ़ा ? मैं अर्ज करता हूं कि पहले साढ़े नौ लाख क्युजेक्स था, दो हजार का इजाफा हुआ है। जितना इरीगेटेड एरिया बढ़ा है उसका एक चौथायी इजाफा पानी में नहीं हुआ। लेकिन नहरों की लम्बाई बढ़ा दी गयी। शारदा की हद पहले लखनऊ और रायबरेली थी, अब प्रतापगढ़ से जौनपुर पहुंच गयी, कुछ इलाहबाद के जिले को भी घेर लिया। ढाई हजार क्युजेक्स गंगा में और दो हजार शारदा कैनाल में बढ़ा है। मगर इरीगेटेड एरिया कितना बढ़ा ? पानी उसका एक चौथाई भी नहीं, बीस फीसदी बढ़ा है और इर्रीगेटेड एरिया बढ़ गया सौ फी सदी। पानी किस तरह से बांटा जाता है ? माननीय सदस्य आदरणीय सदन के मुझे माफ करेंगे, मैं कोई नयी बात नहीं कहने जा रहा हूं। वारबन्दी होती

हैं। गेहूं के लिये दो सींच की जरूरत है और ईख के लिये पांच सिंचाइयों की जरूरत होती है। क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं में उन्होंने हमेशा दो सिंचाइयां दीं और वह भी समय से, यह नहीं कि क्या बरसा जब कृषि सुखानी? जब पौदा सूख गया तो नहर का पानी भलभला दिया गया। समय से मिलना चाहिये।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदहा ट्यूबवेल बन गये लेकिन जिन एरिया में ट्यूबवेल बने क्या ट्यूबवेल बनाने वाले विभाग वालों ने ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यह इत्तला दी कि फलां जगह सौ ट्यूबवेल बनाये हैं? वहां जाकर इंटेंसिव ऐग्रीकल्चर के लिये प्रयत्न करो। कोई है ऐसा कोआर्डिनेशन? जहां बनाते हैं ट्यूबवेल, फैजाबाद, आजमगढ, गोरखपुर और देवरिया वगैरह में वहां पर कुछ इत्तला भी की ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि इस तहसील में, क्षेत्र में हम १०० ट्यूबवैल बना रहे हैं तुम इंटेंविस कल्टीवेशन जाकर करो?

अब मैं श्रीमन्, इन ट्यूब वैल्स की दुर्दशा बताता हूं। गोरखपुर में थर्मल पावर स्टेशन है। २२० ट्यूब वैल्स की उसकी कैपेसिटी है लेकिन जोड़ दिये गये ६०० ट्यूब वैल्स। कौन साहब इसके लिये जिम्मेदार थे? नतीजा आज यह है कि वह ट्यूबवैल्स अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं काम कर रहे हैं। एक तिहाई समय भी नहीं चलते। इटावा में मालूम हुआ १४ ट्यूब वैल्स बनें। उनका इतना खर्चा आता है कि कोई किसान उनसे पानी लेता ही नहीं। सोसाइटी वाले चाहते हैं कि सरकार ले ले। सरकार उसमें कुछ सौदा कर रही है और ले नहीं रही है। जैसे मुफ्त का रुपया था। अल्लढ़पन से खर्च किया जा रहा है। इस लिये उसका कोई नतीजा नहीं निकलता।

एक बात और अर्ज करूं कि आंकड़े बनाने में सरकार बड़ी होशियार है। जहां ट्यूब-वैल बना वहां अगर पहले से कोई कुवां था, तालाब था जिससे सिंचाई होती थी तो कागजात-देही में वह जमीन सिंचाई की दर्ज थी। सरकार ने ट्यूब वैल बनाया उसी क्षेत्र में, जितना पहले दर्ज था, और ट्यूब वैल का उसमें और जोड़ दिया। अगर १० एकड़ की पहले होती थी और ९० एकड़ का एक ट्यूब वैल है तो एक सौ एकड़ हो गई। लेकिन यह थोड़े ही होना चाहिये। अगर १० एकड़ होती थी और ९० एकड़ का एक ट्यूब वैल वहां लग गया तो ८० एकड़ की होगी यह नहीं कि १०० एकड़ की होगी। लेकिन देखा जाय तो आंकड़े ऐसे हैं जैसे अरबा हो। उन्होंने कहा हमने दो हजार मील नहर बढ़ाई और इसका इतना कमान्ड एरिया हो गया, पानी पहुंचे या न पहुंचे, इस से कोई मतलब नहीं, चाहे वह खेत हो, सड़क हो, बंजर हो, सब उसके कमान्ड में आगया, बस उसकी पैदावार बढ़ गई। सेम्पिल सर्वे छोटी छतर मंजिल में होता है, खेत पर नहीं होता। फ़ीगर्स वही लेखपाल की हैं, यह वही बताता है कि कितनी जमीन में गेहूं चना, जौ, धान बोया गया और यहां छतर मंजिल में बैठकर हिसाब लगा दिया जाता है कि कितनी पैदावार हुई। सेम्पिल सर्वे खेत का होता है, अगर पूरे गांव का लें तो बात समझ में आती है। लेकिन एक खेत की पैदावार से पूरे जिले का हिसाब लगा लिया जाय, क्या मजाक है। कहा यह जाता है कि लेखपाल कम पढ़ा है, छोटी छतर मंजिल वाले बहुत होशियार हैं, क्योंकि फ़ीगर्स मैनीपुलेट कर सकते हैं। अगर कोई खसरा पढ़े तो जो किताब छपती है उसको ओमिट कर दिया जाय। श्रीमन्, स्टेटिस्टिकल ऐब्सट्रेक्ट फ़ार इंडिया, दुनिया में सरकार के आंकड़े निकलते हैं, यह ख्याल किया जाता है कि इस बात के हर साल आंकड़े दिये जायंगे। लेकिन क्या है कि एक साल २५ आंकड़े हैं तो दूसरे साल २३ आंकड़े हैं।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई के और कृषि के विभाग में कोई कोआर्डिनेशन होना चाहिये। इस कोआर्डिनेशन का प्रभाव है। यह कुयें बनाते हैं, वह फार्म खोलते हैं और नतीजा यह होता है कि कुयें का पानी न उन को पहुंचता है और न खेती की पैदावार बढ़ती है।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आबयाना यानी नहर का महसूल या कुयें की सिंचाई जो हमारे प्रदेश में है वह इस देश में सब से ज्यादा है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम पर कम टैक्स पड़ता है। लेकिन आबयाना केवल बम्बई के शुगर केन की सिंचाई को

[श्री त्रिलोकीसिंह]

छोड़ कर उत्तर प्रदेश में हायेस्ट है। क्या यह हमारे साथ रियायत बरती जा रही है ? पैदावार हमारी कम है, पंजाब से कम है, बम्बई से कम है, लेकिन अबयाना ज्यादा है। शुगर केन का क्यों बम्बई का रेट ज्यादा है ? इसलिये कि हमारे यहां शुगरकेन को पांच पानी दिया जाता है और वहां दस, ग्यारह, बारह पानी दिया जाता है। उनकी पैदावार भी हमसे कई गुना ज्यादा है। इसलिये टैक्स ज्यादा है। लेकिन और सब जगह से हमारे यहां आबयाना ज्यादा है। तीन आने के रेमिशन के बाद भी यहां सबसे ज्यादा रेट है।

मैंने यह निवेदन किया कि पूर्वी जिलों में अन्न का अभाव है। पिछले वर्ष पूर्वी जिलों में ही नहीं सारे प्रदेश में अन्न का अभाव था। नगर नगर में सरकार की दूकानें खुलवाई गई थीं। आदरणीय सदन के सदस्यों को मालूम है कि अनाज जो बेचा जाता था वह घाटे पर बेचा जाता था। सब्सिडाइज्ड फूडग्रेन था। एक तरफ तो सरकार घाटा देती है, ज्यादा दाम पर खरीद के कम दाम पर बेचती है, दूसरी तरफ सेल्स टैक्स लगा के दाम भी बढ़ाती है। श्रीमन्, आज के दिन भी अगर हापुड़ की मंडी के भाव को और दिल्ली के भाव को कोई देखे तो हापुड़ में गेंहूं एक रुपया मन दिल्ली के बाजार से ज्यादा है क्योंकि सेल्स टैक्स है, मल्टी प्वाइंट सेल्स टैक्स है, और माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहा कि अगले वर्ष में इस सेल्स टैक्स को सिंगिल प्वांइट कर देंगे परचेज टैक्स के रूप में। यह अगले वर्ष की क्या बात है, अभी क्यों नहीं करते हैं ? क्या दिक्कत है ? सेल्स टैक्स जितना वसूल होना था रबी की फसल पर वह हो गया। वह बिक चुका। बाजारों में सावन, भादों और आधे क्वार तक तो सभी जानते हैं कि अनाज का मूवमेंट बहुत कम होता है। गांव से आता नहीं। बाजारों में उसकी बिक्री कम होती है। तो क्या बात है ? क्या बीच में अटकाव है कि उसको आज से नहीं कम कर रहे हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड और दूसरी तरफ उसी पर सेल्स टैक्स लेकर एक रुपये से लेकर डेढ़ रुपये मन तक दाम को बढ़ा दिया जाय, यही लेखा है। फिर सरकार कहती है टैक्स का इवेजन होता है। सेल्स टैक्स के रूल्स हैं कि इतने हजार से कम की आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन, हुजूर वाला, जहां तक अनाज का सवाल है चाहे एक पैसे साल का अनाज बेचा हो, १८ रुपये सरकार को टैक्स दो। जितने भी टैक्स लगते हैं, उनमें सब में एक मिनिमम लिमिट है कि इसके नीचे की बिक्री के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अन्न के मामले में कोई छूट नहीं है। चाहे १८ रु० साल का गेहूं न बेचो, लेकिन १८ रुपये साल एक्जेम्पशन फीस सरकार को दो और अगर न दो तो चालान किया जाय, जुर्माना किया जाय, न जाने क्या क्या और आफत उसके ऊपर आये। तो अनाज के साथ, जिसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इस प्रकार का खिलवाड़ करना मेरी समझ में नहीं आता और मैं आपके द्वारा पूरे मंत्रिमंडल से यह निवेदन करूंगा कि वह अपनी इस नीति पर पुनः विचार करे और जनता के हित में इसको बदलने की सोचे।

इतनी बात मैं इस सिलसिले में और अर्ज करूंगा कि पूर्वी जिलों में जो अन्न का अभाव है, उस सम्बन्ध में यह ऐलान किया गया था कि ९६ लाख दिन के काम शुरू किये जायेंगे। कहां उन को शुरू किया गया। कोई योजना नहीं। अललटप तरीके से काम हो रहा है। ९६ लाख दिन केवल अखबार में छाप दिये गये।

मजदूरी मजदूरों को क्या दी जा रही है ? मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि फेमीन कोड की धाराओं का वे स्वयं अध्ययन करें। टेस्ट वर्क काहे के लिए खोला जाता है ? इसके लिए नहीं खोला जाता है कि मुस्तकिल काम उसी शरह पर हो। टेस्ट वर्क इसलिए खोला जाता है कि देखा जाय कि उस स्थान पर दुर्भिक्ष है या नहीं। जिस समय यह देखा जाय कि लोग आ रहे हैं और वहां दुर्भिक्ष है तो टेस्ट वर्क की वैजेज नहीं दी जाती, फेमीन कोड के मुताबिक लिविंग वैजेज दी जायंगी। लेकिन यहां तो जहां भी टेस्ट वर्क एक बार खोल दिया गया तो ८ आने, ६ आने या ४ आने पर मजदूरी चल रही है। ४ आने कोई लिविंग वैज है ?

अगर ४ आने पर अधिक तादाद में लोग नहीं आते तो सरकार को टेस्ट वर्क एबन्डन कर देना चाहिए और मान लेना चाहिएं कि दुर्भिक्ष नहीं है। लेकिन ४ आने, ८ आने पर काम कराना यह न्यायसंगत नहीं है। शब्द "टेस्ट" इसीलिए है कि दुर्भिक्ष को जांचने के लिए काम शुरू किया गया।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब कभी जहां कहीं दुर्भिक्ष पड़ा है, अगर अकाल की सूरत सरकार उसे स्वीकार करे, तो वहां की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी० की एजेंसीज इस्तेमाल की गयी हैं। इस प्रकार के कार्य को चलाने में उनके मश्विरे से योजनायें बनायी जाती हैं। यहां सारा काम रेवेन्यू मिनिस्ट्री में हो जाता है। डेमोक्रेसी है न, श्रीमन्? टाप पर डेमोक्रेसी है श्रीमन्, किन्तु नीचे आटोक्रेसी है।

मुझे अफसोस होता है, श्रीमन्, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसा नमूना सारी दुनिया में सिवा पाकिस्तान व बर्मा के और कहीं नहीं है। यह रेलिक है इम्पीरियलिस्टिक एज की। फिर कमिश्नरों की संख्या भी बढ़ रही है। जिस वक्त रेल, तार व सड़कें नहीं थीं, लोग बगावत न कर दें, इस लिहाज से उस समय ये कमिश्नर रक्खे गये थे हर ४, ६ जिलों में। अब कमिश्नर की क्या आवश्यकता है, समझ में नहीं आता। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी क्या यूटिलिटी है? हर जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे शिक्षा हो, सैलाब आये, भूकम्प आये, या बीमारी फैले, हर काम में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। साल में एक दिन भी रत्ती भर काम मैजिस्ट्रेटी का वह नहीं करता। एक मुकदमा भी फैसल नहीं करता। जो मैजिस्ट्रेट साल में एक दिन भी कचेहरी की छांह भी न देखें वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने हुए हैं, क्योंकि वे हुकूमत के खम्भ हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सन् १९४६ के मुकाबिले में ५० गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं और किसी भी डेमोक्रैटिक कन्ट्री में ऐसे अफसर को एक मिनट के लिए भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मैं यह अर्ज करूं कि क्यों पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतने शक्तिशाली थे। आज से तीस साल पहले सरकार की ७० फी सदी आय लगान व मालगुजारी से आती थी, लेकिन आज लगान व मालगुजारी से सरकार की आय २० फी सदी से भी कम है। अगर लैन्ड रेवेन्यू वसूल न होती तो सारे मुहकमे चौपट हो जायं, सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाय, लिहाजा कलक्टर को मैजिस्ट्रेट भी बनाया गया था। आज लैन्ड रेवेन्यू का उतना महत्व नहीं है। वह २० करोड़ है। ९७ करोड़ में २० फीसदी से भी कम है। कलक्टर तब एक हुकूमत का अंग था। पुराने राजनीतिज्ञों ने और राजनैतिक विज्ञान की किताबों में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वही काम हिन्दुस्तान में एम्पायर को कायम रखने के लिए करता था, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट लन्दन में बैठ कर करता था। आज उसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब का उरूज है। हम टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत करते थे। टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह नहीं था कि बड़े लाट २ लाख ५६ हजार रुपया पाते थे और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ज्यादा तनख्वाह पाते थे, बल्कि मतलब यह भी था कि अफसर ज्यादा हैं, फिजूल हैं और आज क्या हम देखते हैं कि जहां ४ डिप्टी कलक्टर थे वहां जुडीश्यल अफसर और कलक्टर मिल के ९ की संख्या है। जहां एक डीवाई० एस० पी० था, वहां दो हैं। ए० डी० एम० रखने का फख्र पहले सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ को ही हासिल था, अब कोई ही ऐसा अभागा जिला होगा कि जहां एक-दो ए० डी० एम० न हों और बाज बाज में चार-चार हैं।

माननीय वित्त मन्त्री ने जो २०वीं सदी के समाजवादी युग की साधुता का प्रमाण दिया, "दुर्वेशाना" तौर पर सौ रुपये महीना बतौर फूल-पत्ती पेश है। श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के सामने यह गुस्ताखी करता हूं अर्ज करने की, कि माननीय मंत्रियों के ऊपर कितना खर्चा है? १,५४,००० रु० तनख्वाह सालाना, इन्कम टैक्स सरकार दे, एक नयी कौम है यह, राष्ट्रपति भी अपनी तनख्वाह से इन्कम टैक्स खुद देता है। उत्तर प्रदेश के लाट साहब को भी, राज्यपाल महोदय को भी इन्कम टैक्स देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की किसी भी सर्विस क्लास को यह प्रिविलेज नहीं हासिल है जो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने अपने लिए हासिल कर लिया है। तनख्वाह श्रीमन्, सौ रुपया काट के महज ११,०० रुपया महीना रखी गयी है। कुल तनख्वाह १,५४,०००

[श्री त्रिलोकीसिंह]

और मोटर पर १,४५,००० । यानी तनख्वाह से सिर्फ ९,००० कम । साल के बजट में प्राविजन है १,४५,००० मोटर के लिए और सफर खर्च, ट्रैवलिंग अलावेंस १,५०,००० रुपया का ! जितनी तनख्वाह, उतना ही मोटर, उतना ही यात्रा के खर्चे का बिल । किसी दुनिया के ओहदेदार को इतनी सहूलियतें हासिल नहीं हैं । और मकानात में भी वही १,५०,००० रुपये साल का हिसाब । सारे मकानों का खर्चा, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, कंजर्वेसी टैक्स और माली, सब लगा दीजिये और उसकी अपकीप और मेंटीनेंस और फर्नीचर, क्योंकि माननीय उपमंत्रियों और कुछ और लोगों के लिए ९५,००० रुपये का फर्नीचर लगाया जायगा, "सज्जा", जब कि इकोनामी है, पैसा पास नहीं है, तब यह हालत है । तो कहने के लिए तो ११,०० रुपया महीना है, लेकिन ४४,०० रुपया महीने से कम का हिसाब नहीं है । और इसके अलावा जो होता हो उसका मुझे आज के दिन अन्दाज नहीं है, फिर किसी समय अर्ज करूंगा । हालत यह है और मैंने सोचा कि ऐसे दुर्वेश तो सिर्फ समाजवादी युग में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का समाजवादी ढांचा है उसमें ही, ट्वेंटीयथ सेंचुअरी में ऐसे साधू नजर आ सकते हैं । अगर ऐसे ही साधू हमारे सारे देश के दसवें हिस्से में हो जायं तो मैं माननीय वित्त मंत्री को मुबारकबाद पेश करूंगा और उनके पैरों की धूल अपने माथे पर चढ़ाऊंगा ! इलाज भी मुफ्त है । कहां तक और किन-किन बातों का जिक्र किया जाय । ऐसे फकीर भी दुनिया में नहीं हुये होंगे जैसे कि आजकल के उत्तर प्रदेश के कर्णधार हैं ।

मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के संचालन के लिये, खासकर डेमोक्रेसी के लिये, जहां जम्हूरियत का दौर हो, तीन बातें जरूरी हैं । चुनाव ईमानदारी के साथ हों, जितने सरकारी कर्मचारी हों वह ईमानदार और योग्य हों और जुडीशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो यानी न्यायालय सरकारी दबाव से अलग हों । श्रीमन्, गौर करें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी तीन महीने के नोटिस पर निकाला जा सकता है । उसको रियायत क्या देते हैं ? केवल ५ रुपये महीने महंगाई भत्ता, जिनकी तनख्वाह ७० रुपये माहवार है । यह कैफियत है जब महंगाई डयोढ़ी हो गई है, जब महसूल तिगुने हो गये हैं तो क्या इजाफा हुआ डी० ए० में ? केवल ५ रुपया महीना । यह डी० ए० मुकर्रर १९४५-४६ में किया गया था, १९५४ में नहीं किया गया । जब कास्ट आफ इंडेक्स बढ़ा तो उस औसत से कम से कम महंगाई भत्ता डयोढ़ा हो जाना चाहिये था । एक और अंधेर है कि केन्द्रीय सरकार ५० रुपये महीने देती है वहां हमारी प्रादेशिक सरकार २०, २५ रुपये माहवार देती है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मुदर्रिस को दिये जाते हैं ६ रुपये माहवार और लेखपालों को १२ रुपये माहवार देना मुनासिब समझा जाता है । सब ही जानते हैं कि लेखपालों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, खसरा, खतौनी वगैरह सबकी उसकी जिम्मेदारी है और लैण्ड रिकार्ड्स की सेहत करना हमारा मकसद है, इसलिये उसको महंगाई कम देते हैं । तहसील के चपरासी को तो २० रुपये महीने महंगाई मिलती है और लेखपाल को १२ रुपये महीने मिलते हैं । इसमें क्या मसलहत है ? क्या सरकार ने उनको ऊपर की आमदनी का इशारा दे रखा है कि वह ऊपर से कुछ हासिल करलें क्योंकि ऐसा रखा है कि जिसके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है उसको उतना ही कम देते हैं । थानेदार का घोड़ा है तो उसको ५० रुपये, कप्तान साहब का है तो ७५ रुपये और अगर इंजीनियर साहब का है तो १०० रुपये महीने देते हैं । घोड़े की नाप उतना ही है, किस्म वही और नस्ल भी वही है । लेकिन फिर भी उनका खर्चा ज्यादा होता है और उनका कम । शायद दरोगा जी को कुछ मिल जाता है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक आप सेवा करने वाले लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को ऐसा वेतन नहीं देंगे कि वह ईमानदारी और योग्यता से काम कर सकें तब तक कुछ नहीं हो सकता है । आप कितना ही बड़ा प्लान क्यों न बना लें, सब बंटाधार हो जायगा ।

आपके प्लान को कार्यान्वित करने वाले कौन लोग हैं ? सरकारी कर्मचारी। क्या वह भूखे नंगे परेशान होकर काबलियत और ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं ? जब आप ऐसा भेद भाव रखेंगे तो सिवाय इसके कि असन्तोष बढ़ें, काम में त्रुटि पैदा हो और काम में हल्कापन आये और कोई दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रिमंडल से कि जो डिसपेरिटी है सैलेरी में और डी० ए० में वह उसको दूर करने का प्रयत्न करे।

एडेड स्कूल्स के जो मास्टर साहबान हैं उनके बारे में सरकार ने यह कहा कि सन् ४७ में जो उनकी तनख्वाह में वृद्धि की गयी थी उसका सारा बोझ मैनेजमेंट पर पड़ गया था। अब वे प्रबन्धक के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, मास्टर के पेट को नहीं भरना चाहते। यह नीति है सरकार की। सिर्फ ७० या ७५ रुपये महीने से कम के मास्टर को ५ रुपये महीना महंगाई सरकार देती है और ५ रुपये मैनेजमेंट देता है। अधिकतर स्कूलों में महंगाई मिलती नहीं है। अगर इस सरकार ने कुछ रकम रखी थी तो बजाय प्रबन्धक के बोझ को हल्का करने के ७०–७५ रुपये की जगह पर उनकी तनख्वाह की सीमा १५०–२०० रुपये कर देती और उसी के साथ जो ५ रुपये महीना महंगाई की शरह है उसकी भी वृद्धि करती, लेकिन नहीं; एक तरफ तो मैनेजमेंट की बुराई, यह भी इसमें लिखा हुआ है कि काम सब खराब है लेकिन उनके साथ इतनी रियायत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार का रुख जो इस देश के सेवक हैं जो सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में हैं उनकी दशा को सुधारने की ओर नहीं है। उनके स्टैंडर्ड को बिना सुधारे हुये ही माननीय वित्त मंत्री यह आशा करते हैं कि इस प्रदेश का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जायगा।

श्रीमन्, टैक्स के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं। इतना ही और अर्ज करूंगा कि मोटर बेहिकिल्स पर उत्तर प्रदेश में जो टैक्स है वह ऐसा है कि अगर इस देश के बाहर का आदमी सुने तो कान पर अंगुली रख लेगा। २,२०० रुपये फी ट्रक पर ऐनुअली टैक्स है जब कि अमरीका में एक वेहिकिल पर ४०९ रुपये का टैक्स है और माननीय वित्त मंत्री इतना तो कम से कम मानेंगे ही कि अमरीका हमारे मुकाबले में तो कम से कम कुछ अच्छा है ही क्योंकि वहां से हमको बड़ी इमदाद आती है, हमारे यहां से कभी एक पैसा अमरीका नहीं भेजा गया।

श्रीमन् यह गौर फ़रमायें कि कोर्ट फीस का इजाफ़ा हुआ है। हमारे यहां न्यायालयों को अगर देखा जाय तो लाखों मुकदमों का एरियर सिविल जस्टिस और क्रिमिनल केसेज में पड़ा हुआ है। कोर्ट फ़ीस बढ़ गयी, न्याय बेचा जाता है। माननीय वित्त मंत्री वकील भी हैं। उनको मालूम होगा कि प्रीवी कौंसिल में जब अपील होती थी तो कोर्ट फीस नहीं पड़ती थी, वकील की फीस ही सिर्फ पड़ती थी। जितने भी संसार के सभ्य देश हैं वहां कोर्ट फीस का रिवाज नहीं है। हमें कोई डंडा मारे और जब हम उसका दावा करने जायं तो कहा जाय कि एक रुपये का टिकट भी लगाओ। न्याय लेने कौन जाता है ? जो मुसीबतजदा होता है। अब तो सरकार रजिस्ट्रेशन चार्जेज बढ़ा रही है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आखिर कोर्ट फीस लेने के बाद जस्टिस में क्यों देर होती है ? माननीय वित्त मंत्री चाहें तो मैं उनके लिये इसके आंकड़े भी पेश कर सकता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री त्रिलोकीसिंह––उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अदालतों में मुकदमों के फैसल करने में असाधारण देरी होती है। सन् ५५ में ५ लाख ३१ हजार दावे दीवानी अदालतों में थे और उनमें से केवल २ लाख ३४ हजार फैसल किये जा सके। श्रीमन्,

[श्री त्रिलोकी सिंह]

एक बड़ी पुरानी सर्वमान्य मसल है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। तमाम सुधार हर तरफ किये जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय सरकार ने बहुत से किये हैं लेकिन क्या कारण है कि दीवानी अदालतों में अगर एक मुकदमा दायर किया जाता है तो ३ साल के पहले उसका फैसला नहीं होता ? माल की अदालतों का भी यही हाल है। माल मंत्री जी ने बड़ी कृपा की है इस आदरणीय सदन पर कि वे उपस्थित नहीं हैं। सिर्फ एक इन्दराज की दरख्वास्त दे दी जाय तो औसतन एक साल के पहले फैसला नहीं होता और बाज-बाज तो ऐसे मुकदमात होते हैं कि जिनमें फैसला दो-दो ढाई ढाई साल में भी नहीं हो पाता।

फौजदारी का भी अजीब हाल है। सरकारी आंकड़ों के बमूजिब प्रत्येक ९० के पीछे एक आदमी किसी न किसी फौजदारी के मुकदमे में मुब्तिला है। जहां इतने क्राइम बढ़ रहे हों, जहां इतने क्रिमिनल केसेज दायर हों जिनकी संख्या ७ लाख से ज्यादा हों जब हमारे प्रदेश की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है और अगर उसमें नाबालिगों और औरतों को निकाल दिया जाय तो आधी से भी कम यह संख्या रह जायगी क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि औरतें जुर्म कम करती हैं। तो देखने से मालूम यह होगा कि हमारी जितनी ऐडल्ट मेल पापुलेशन है उसमें २५ आदमियों में एक आदमी ऐसा है जो किसी न किसी फौजदारी के मुकदमें में मुब्तिला है और यह सामाजिक दृष्टि से किसी भी राज्य के लिये चाहे वह समाजवादी राज्यव्यवस्था हो, या केवल मंगलकारी राज्य हो या आटोक्रेसी हो, शख्सी हुकूमत हो उसके लिये यह खतरे की और शर्म की बात मैं समझता हूं। क्यों ऐसी व्यवस्था है इसका कारण प्रत्यक्ष है। बढ़ती हुई बेरोजगारी मनुष्य के जीवन निर्वाह की वस्तुओं का अभाव और दिनोंदिन रहन सहन के स्तर का गिरना और साथ ही साथ उम्मीदें बहुत ऊंची दिला देना। अगर किसी को यह मालूम हो कि उसकी बिसात १० रुपये की है तो वह १५ की खर्च की आशा कभी नहीं करेगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश की सरकार, मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, डींगें हांकने में, लम्बी बातें कहने में बड़ी माहिर है। एक मिसाल है "ऊंची दूकान और फीके पकवान" रोज एक नई किताब छपती है और एक नयी योजना बना दी जाती है कि यह काम करेंगे और वह काम करेंगे मगर परिणाम कुछ नहीं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ है। उनको इस बात का गर्व है लेकिन यदि अन्दर की हालत को देखा जाय तो पिछले १० साल के अन्दर ९ टैक्सटाइल मिलें हमारे प्रदेश में बन्द हो गयीं। एक के बन्द होने का नोटिस पेश है। बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल कानपुर का, जिसमें लगभग साढ़े पांच हजार आदमी काम करते हैं जिसका वास्ता ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन से है वह भी बन्द होने को है। ४ शुगर मिलें बन्द हो गयीं। ३ हमारे सूबे से उठकर बाहर चली गयीं। ३ रिफायनरी बन्द हैं। आयल सीड्स के मामले में उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में सबसे प्रमुख स्थान है। कैफियत यह है कि आज ७५ आयल मिल बन्द पड़े हैं। ग्रामोद्योग में तैल की घानी लगाने के लिये सरकार की तरफ से बहुत सहायता दी गयी लेकिन २ हजार से ज्यादा तेल की घानी आज बेकार पड़ी हैं। तिलहन इस प्रदेश से बहुत अधिक बाहर भेजा जाता है। इस प्रदेश की वह दौलत है। सरसों के अन्दर एक ऐसी बीमारी लग रही है जिससे उसकी पैदावार दिन प्रति दिन घटती चली जा रही है, लेकिन कोई भी प्रयत्न इस समय तक सरकार की तरफ से इतने बड़े नेशनल एक्सटैन्शन के काम होते हुये भी नहीं किया गया। सरसों में जो माहूं नाम का रोग है ? पिछले ४ साल के अन्दर कोई इसके लिये रिसर्च नहीं की गयी। आज लाखों रुपये की पैदावार हमारे प्रदेश में कम हो गयी है और कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। तो फिर यह दावा

कि उद्योग के दृष्टि से, इंडस्ट्री के लिहाज से हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, कि सही नहीं है और उस ओर सरकार का ध्यान भी नहीं है कि कैसे इस कमी को दूर किया जाय ।

उत्तर प्रदेश में यह ठीक है कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन क्या सरकार को मालूम नहीं है कि चीनी का उत्पादन कितने दिन चल सकेगा ? क्या यह सरकार नहीं जानती है कि गन्ने की ईल्ड उत्तर प्रदेश में बम्बई प्रदेश के मुकाबिले में २ फीसदी कम है । क्या इस सरकार को यह नहीं मालूम है कि अगर आज इस बात की इजाजत दी जाय कि उत्तर प्रदेश से मिल उठाकर बाहर ले जायं तो ४ साल के अन्दर आधी भी मिल यहां पर दिखाई नहीं देंगी । चीनी का उद्योग एक बड़ा भारी उद्योग है । इससे किसानों की नहीं बल्कि इस प्रदेश की जनता को विशेष लाभ हासिल होता है । मुझे भय है कि जिस तारीख से इस पर से कंट्रोल मूवमेन्ट हटा और सारे प्लान का मन्शा है कि दिक्कतें हटें तो उत्तर प्रदेश का चीनी का उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नहीं बल्कि हमारे देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में भी नहीं ठहर सकेगा और यह रोजगार चौपट हो जायगा । इस प्रदेश की ईल्ड बम्बई के मुकाबिले में २ फी सदी कम है । इसे बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । वहां पर कुछ आबहवा ऐसी है कि ज्यादा देर तक मिलें चल सकती हैं । वैसा ही प्रयत्न करते हुए मई तक मिलें वहां चलायी गयीं, लेकिन सब को मालूम है कि मई में गन्ने की ईल्ड कम हो जाती है । कहा जाता है कि जब किसान व्याकुल है तो ईख की खेती क्यों बढ़ाता चला जा रहा है ? लेकिन यह दलील उन की नहीं हो सकती जो योजना के हामी हैं और देश के धन को, रहन सहन को, ऊंचा करना चाहते हैं, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा । गेहूं में अगर १० रु० मिलता है और दूसरी चीज में १२ रुपये, तो किसान १० रु० वाला सामान बाजार से खरीद कर १२ रु० वाला पैदा करेगा । वह कामर्शल क्राप्स की ओर जायगा । हमारे यहां कपास की खेती पहले बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, वह आज नहीं है । बराय नाम हमारे प्रदेश में कपास आज पैदा होती है । कानपुर में इतनी मिलें हैं लेकिन उनके लिए रुई बाहर से आती है । जो गाढ़ा गज्जी का काम करते हैं उन की भी रुई बाहर से अधिकतर लायी जाती है । रुई के पुराने रोजगार को ठप करके किसान मजबूर है कि वह कामर्शल क्राप्स बोये, जिसमें उसे ४ पैसे अधिक मिलें । चीनी का उद्योग इस प्रदेश का खतरे में है । जब तक सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देगी, जब तक इस प्रदेश में चीनी सस्ते दाम की या दूसरे प्रदेशों के बराबर दाम की नहीं बनती है, तब तक यह उद्योग खतरे में है । बम्बई में चीनी की कास्ट आफ प्रोडक्शन हमारी कास्ट से ६ रुपये मन कम है । अगर यहां ३० रु० में १ मन चीनी पैदा होती है तो वहां २४ रु० में होती है । यह बड़ा भारी अन्तर है ।

उत्तर प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और यहां के रहने वालों का मुख्य धंधा खेती की उपज है । खेती के दाम पिछले ५ साल में बिलकुल स्टेशनरी हैं, बढ़े नहीं हैं । गेहूं, चावल, के जो भाव सन् १९५१–५२ या १९५२–५३ में थे, लगभग वही आज भी हैं, लेकिन मिलों में बनने वाले माल का दाम १०० से १३६ हो गया है जब कि खेती की पैदावार का केवल १०४ हुआ है । सीमेंट, कपड़ा, लोहा, दवाइयां, इनके दाम आज १३६ हो गये हैं । यह डिसपैरिटी है । कोई तुलना नहीं है । जिस चीज को ७४ फी सदी आदमी पैदा करते हैं उस के दाम में केवल ४ फी, सदी वृद्धि है और जो चीज मिलों में तैयार होती हैं उनके दाम में ३६ से ४० तक वृद्धि है । इस प्रकार जो प्रयत्न पंच वर्षीय योजना का है, वह एक तरफ से पैदा होता है तो दूसरी ओर से ले लिया जाता है ।

एक और बात यह है कि हमारे प्रदेश में सरकार ने बिजली के रेट पर टैक्स लगाया था, महसूल लगाया था । यह ऐसा ही था कि माल हमारा, हम बेचें, दूध हम बेचें, सरकार कहे कि एक पैसा फी ग्लास उसका भी । बिजली बेचे बिजली कम्पनी, सरकार कहे कि रुपये में चार आने उसे दो । माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि बम्बई के मुकाबले में हमारे यहां टैक्स बहुत कम है । माननीय वित्त मन्त्री को यह मालूम होना चाहिए कि जब वह बिजली में २५ फीसदी

[श्री त्रिलोकीसिंह]

टैक्स लेते हैं, बम्बई में पांच यूनिट पर एक पैसा टैक्स और बंगाल में कोई टैक्स नहीं है बिजली पर। बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, नहीं है। मैसुर में केवल १० फीसदी है। उत्तर प्रदेश में २५ फीसदी। और श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की बिजली की कीमत इस आदरणीय सदन की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब से ज्यादा महंगी बिजली हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में मिलती है। कानपुर की बिजली का रेट कलकत्ते की बिजली के रेट से दूना है। लखनऊ की बिजली का रेट बम्बई की बिजली के रेट से दूना है। हायड्रो एलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन पन्द्रह सौ रुपये फी किलोवाट है। थर्मल पावर जो मानी जाती है, कि हाइड्रो एलेक्ट्रिक से मंहगी पड़ती है और वह सवा छः सौ रुपये में फी किलोवाट लखनऊ में मार्टिन ऐन्ड बर्न कम्पनी पैदा करती है। लेकिन कानपुर के पावर हाउस में साढ़े ग्यारह सौ रुपये लगेंगे इसलिए कि वह सरकारी है। सरकार का काम मंहगा होता है। कुछ तामझाम भी होता है। कुछ फिजूल खर्ची भी होती है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं मालूम होता है। क्या सरकार के कर्मचारी ज्यादा योग्य हैं?, एक व्यापारी लखनऊ में बैठ कर बिजली बनाये और वही व्यापार कानपुर में सरकार करे। एक जगह सवा छः सौ रुपये में एक किलोवाट बिजली बने और दूसरी जगह उस के दूने दाम देने पड़ें। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इस प्रदेश की जनता से खिलवाड़ करती है। हायडिल की इनर्जी कितने पैसे में तैयार होती है? माननीय वित्त मन्त्री ही विद्युत के मन्त्री हैं। क्या कहा जाय ताकत के वजीर हैं, पावर के। तो कितने में हायडिल की इनर्जी पैदा होती है? मैं अभी मेरठ गया था। मालूम हुआ कि मेरठ की कम्पनी को दस पैसे में हायडिल से बिजली मिलती है, और कम्पनी को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह छः आने यूनिट बेचे। यह मुनाफाखोरी? दस पैसे में माल मुझे मिले और मैं दूने नहीं दस पैसे के दूने पांच आने—यह मैं पुराने पैसों का हिसाब दे रहा हूं, नये पैसों के हिसाब में मैं अभी तक जरा कच्चा हूं, उस को छः आने यूनिट पर बेचें। इतनी प्राफिटियरिंग जितनी यह सरकार करती है, दुनिया में कौन सरकार करती है? यह सोशलिस्टिक सरकार है कि ढाई गुना लाभ पर सरकारी माल बिकवाये! जब कि ऐक्चुअल प्रोडक्शन चार पैसे से भी कम है। जो चार पैसे में बनी, वह छः आने में दी गयी। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि जहां छः आने से ऊंचा रेट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। छः आने से ऊंचा रेट कहां है? लखनऊ में नीचा है, कानपुर में नीचा है, इलाहाबाद में नीचा है। जितनी बिजली इस प्रदेश में पैदा होती है, उस में से ७५ फी सदी, ८० फी सदी का रेट छः आने से नीचा है। उन को कोई रिलीफ नहीं। थोड़े से लोगों को जहां, सात आने, आठ आने, नौ आने, यूनिट बिजली दी जाती है, उन के लिए सरकार ने कह दिया कि रियायत करेगी। एक तरफ तो यह दावा कि यहां टैक्स कम है, और दूसरी तरफ यह कि टैक्स के मामले में बम्बई कलकत्ते के भी कान काट रखे हैं।

श्रीमन्, सभी जानते हैं और प्लान में बड़ा जोर दिया गया है कि रास्ते दुरुस्त हों। पिछले १० वर्ष के प्लान में कैपिटल एक्सपेंसेज का ज्यादातर हिस्सा नहर में और सड़कों में गया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि १० वर्ष के बाद, मैं इंग्लैन्ड से यहां की तुलना नहीं करता हूं जहां एक वर्ग मील पर २.०२ मील सड़कें हैं। फ्रांस में १.८ है। लंका बहुत छोटा सा मुल्क है, उस में भी .७ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में है, .३, और उस में भी कच्ची, पक्की, सड़कें सभी शामिल हैं। एक वर्ग मील में .३ मील सड़क है उत्तर प्रदेश में। यह रास्तों की हालत है। बिना ठीक रास्तों के हमारे उद्योग न बढ़ सकते हैं, न कृषि और न यातायात में सुधार हो सकता है। लाखों करोड़ों रुपया सर्फ करने के बाद इतना हो पाया है। मालूम नहीं, २५ हजार मील जो कच्ची सड़कें हैं, १० हजार जो पक्की हैं, उन्हें छोड़ कर, कब पक्की होंगी, इसका कोई जिक्र नहीं। सैकड़ों इलाके, पूरी की पूरी तहसीलें ऐसी हैं, जहां बरसात के दो महीनों में कोई आदमी किसी सवारी पर नहीं जा सकता, या तो पैदल जाय या हाथी पर जाय। ऐसे बहुत से माननीय सदस्य यहां पर हैं, मिसाल के लिए तहसील निघासन

जिला लखीमपुर में है, गांजर का इलाका जिला सीतापुर में, जहां कोई माननीय सदस्य चले तो जायं बरसात के महीनों में ! हाथी पर जा सकते हैं या नाव पर जा सकते हैं, बैलगाड़ी पर भी नहीं जा सकते। क्या इम्प्रूवमेंट किया गया। अच्छी खासी सड़क थी लखनऊ हरदोई की, ६०, ७०, फीट चौड़ी, लेकिन लखनऊ से मलिहाबाद तक १५० फीट चौड़ी कर दी गयी जब कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां १० मील भी पक्की सड़क नहीं है। और तमाम जमीन इसके लिए ली गयी जिस पर खेती होती थी, 'अधिक अन्न उपजाओ' पर भी उसका असर पड़ा, लाखों रुपया कम्पेंसेशन के रूप में देना पड़ा। ऐसी बात की प्लान में कल्पना करना स्वप्न में भी जब कि अधिक स्थान में यातायात के साधन बिल्कुल नहीं हैं, कोई सही दिमाग की बात नहीं है, प्रचार की बात भले ही हो। लेकिन बजाय इसके कि जहां रास्ते नहीं है, वहां डेवेलप्मेंट किया जाय, जहां हैं वहां १०० फीट चौड़ा कर दें। यह क्या मजाक है ?

कम्युनिकेशन्स का हाल हमारे यहां बहुत खराब है। ट्रांस्पोर्ट में बसेज सरकार चलाती है। लेकिन कहां चलाती है जहां बसेज किसी भी सूरत में सरकारी बसेज से खराब नहीं हैं, न सर्विस में, न किराये में, बल्कि किसी हद तक सरकारी बसेज से अच्छी सर्विस है उनकी। वहां पर नहीं चलाती जहां पर बसेज खराब हैं। अच्छे रास्तों पर, अच्छी बसेज को हटाकर सरकार अपनी बसेज चलाना चाहती है। कैसी बेइतमिनान की हालत पैदा कर रखी है। सरकार ने यह ऐलान करके कि जिस समय जिस रूट को चाहे ले लेगी जब कि दो तिहाई से ज्यादा अब भी औपरेटर्स मोटरों के प्राइवेट हैं। नतीजा यह है कि सब वही पुरानी बसें चलाते हैं। नयी गाड़ी चलाते, पैसा अपना लगाते डरते हैं कि न जाने कब सरकार इस रूट को ले ले। साफ कहिये कि साल में १०० मील अमुक इलाके के रास्ते लेंगे ताकि बेइत-मिनानी दूर हो। प्लान के माने यह हैं कि अनसर्टेनटी नहीं होनी चाहिये, सर्टेनटी होनी चाहिये, यकीनी बात होनी चाहिये। दस कहो नौ पर पहुंचो, ११ पर पहुंचो। यह नहीं कि दस कहो और दो पर पहुंचो। लेकिन इस सरकार का यह हाल है, और मुझे हैरत हुई कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय मौजूद नहीं हैं इस लिये इस की मैं पहले से माफी मांगता हूं गैरहाजिरी में उनकी, इस अर्ज करने की कि उन्होंने कहा कि गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस जो बनारस गए थे वहां से ले आये। यह मुझे मालूम है कि मिनिस्टर कोई टेक्निकल आदमी नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर को इतना नानटेक्निकल भी नहीं होना चाहिए कि गलत बातें इस आदरणीय सदन में या इसके बाहर कहे। गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस, श्रीमान, कंटेजस नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री कह गए कंटेजस डिजीज है। कालरा कंटेजस है। कालरा और गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस दोनों के सिम्पटम्स एक होते हैं। इलाज एक है। एक कंटेजस है दूसरा कंटेजस नहीं है। स्वास्थ्य के उपमन्त्री साहब मौजूद नहीं हैं, वरना वह डाक्टर हैं, वह मेरी इस बात की ताईद कर देते।

उत्तर प्रदेश में ४० हजार की आबादी पर एक अस्पताल है। दावा है कि इतने अस्पताल खोल दिए हैं कि मरीज नहीं आते। लेकिन ४० हजार की आबादी पर एक अस्पताल है। एक नया मेडिकल कालेज कानपुर में श्रीमान्, खुलने वाला है। लखनऊ के मेडिकल कालेज का श्रीमन् रिकग्नीशन ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल ने छीन लिया, क्योंकि यहां बेड्स नहीं हैं। एक विद्यार्थी के लिये पांच मरीज के पलंग होने चाहिये। तालिबइल्मों की संख्या बढ़ती जाती है। मालूम होता है वजाय एम० बी० बी० एस० के घास खोदने वाले वहां पैदा किये जा रहे हैं। मरीज नहीं हैं, डाक्टर हैं। नया मेडिकल कालेज कानपुर में खोला जा रहा है, लेकिन लखनऊ मेडिकल कालेज का जो स्तर है और आगरा मेडिकल कालेज का वह गिर रहा है।

इंगलैंड में ५० की जन संख्या पर एक बेड है अस्पताल में। डेनमार्क में १०० पर एक बेड है। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब इन मुल्कों का दौरा करके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साढे चार हजार आदमियों पर एक बेड है। किसी अस्पताल में कोई आदमी चला जाय, हजारों मरीज वहां लाइन लगाये मिलेंगे, कोई भर्ती करने का इन्तजाम नहीं है। नये अस्पताल खोलते चले जा रहे हैं, पुरानों की इमारत गिरती चली जा रही है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

डेमोक्रेसी टाप पर ही नहीं होनी चाहिये, ऊपर ही नहीं होनी चाहिये, कुछ स्थानीय काम होते हैं और डिस्ट्रिक बोर्ड ऐक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अस्पतालों का कायम करना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम है। वह ऐक्ट की धारा रद्द नहीं की गई है। मुमकिन है कि उसको रद्द करने का इन्तजाम अब कर दें लेकिन सन् ४६ के पहले गांवों में अधिकतर, बल्कि मुख्यतः सारी डिस्पेन्सरीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से चलाई जाती थीं। जब जम्हूरियत हुई, स्वराज्य का दौर हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव बालिग माताधिकार पर हुआ तब यह तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यह काम नहीं है। अब नयी डिस्पेंसरीज सरकार खोलेगी। गांवों में श्रीमन् दो डिस्पेंसरीज हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, एक सरकार की। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरीज को चलाने के लिये सरकार इमदाद देती है। ११ सौ रुपया फी डिस्पेंसरी थी १९३९ की शरह। वही शरह आज भी कायम है। दवाओं के दाम हो गये छः गुने, डाक्टरों की तनख्वाह होगई दूनी तिगुनी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो मेडिकल कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा था फी डिस्पेंसरी, उस का रेट वही सन् १९३९ का है। सरकार कहां नयी डिस्पेंसरी खोलती है? कभी कभी, उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी के सामने एक फर्लांग पर दवाइयां नहीं हैं। इमारतें नहीं हैं, मरीजों के बैठने का स्थान नहीं है। लेकिन अस्पताल पर अस्पताल खोलते चले जा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा बहुत दस्तबस्ता कि नये अस्पताल खोलने की बात को छोड़िये। पुराने अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाइये। जो मरीज आते हैं उनसे कहा जाता है कि इंजक्शन बाजार से जाकर ले आओ, गरीब आदमी से कहा जाता है कि खाना घर से खाओ।

एक हजूर वाला टी० बी० सील्स निकली हैं। हर डाक्टर का फर्ज है कि उस को बेचे। वह कहां बेचें? वह रक्खे हुये हैं और जो मरीज पहुंचा तो एक आना दे तब नुसखा मिलेगा। बलरामपुर अस्पताल, हजरतगंज सिविल डिस्पेंसरी चले जाइये, जहां पहले मुफ्त था वहां एक आना लगता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। सेहत के बिना कोई मुल्क या कोई कौम ऊंची नहीं उठ सकती। माननीय वित्त मंत्री ने बड़े फख्र के साथ अपनी तकरीर में फरमाया कि हमारे यहां का डेथ रेट घट गया है। अच्छी बात है। एक एचीवमेंट है। लेकिन उस का कारण क्या है? उस का कारण है लेट मैरिजेज। माननीय मुख्य मंत्री ने ५५-५८ साल की अवस्था पर नौकरी समाप्त होने की कंट्रोवर्सी में इस बात को स्वीकार किया है कि अब लेट मैरिजेज होती हैं। जब लेट मैरिजेज होंगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। श्रीमन् मुफलिसी का यह आलम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर शादी के ही रह जाते हैं। जिन की जिन्दगी गुजर जाती है और कोई पूछने नहीं आता। उन के पास खिलाने के लिये कोई साधन नहीं है। मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्यों को इस पर ताज्जुब न हो क्यों कि मैं स्वयं ही इसका प्रमाण मौजूद हूं। कैफियत यह है कि आज डेथ रेट में कमी की यह वजह नहीं है कि कोई हेल्थ के मेजर्स लिये गये हैं जिस से कम हुआ है या बड़े शहरों की गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिये कोई खास उपाय किये गये हैं या गांव से गिलाजत दूर की गई है, बल्कि बात यह है कि अब शादियां देर से होती हैं। जब शादियां देर से होंगी तो बच्चे कम होंगे और ज्यादा तन्दुरुस्त होंगे जिससे इंफेन्ट मार्टेलिटी कम होती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह कहना कि उस ने डेथ रेट कम करा दिया है, यह सही बात नहीं है।

श्रीमन्, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे एक टी० बी० मरीज के दर्शन न हों। बहुत से उनमें से ऐसे हैं जिनको अस्पताल में बैठने को जगह नहीं मिलती। टी० बी० मार्टेलिटी सबसे ज्यादा गरीब आदमियों में होती है क्योंकि वे कोई इलाज नहीं कर पाते और न रोग से मुक्त होने के लिये काफी खाने पीने के लिये इन्तजाम कर पाते हैं।

श्रीमन् हरिजनों के साथ विशेष कृपा की गई है। सवा करोड़ के करीब हरिजन हैं इस प्रदेश में। उनके लिये टी० बी० के इलाज की सहायता में २५ हजार रुपया रखा गया है। अगर जातिवार आंकड़े लिये जायंगे तो हरिजनों में टी० बी० के मरीजों की संख्या आधी से कम न होगी। गरीब आदमियों में टी० बी० के मर्ज का कोप ज्यादा है। बड़ी इनायत की गई है हरिजनों के साथ कि सवा करोड़ की आबादी पर २५ हजार की रकम रख दी गई है।

मैं यह अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि किसी भी सरकार के लिये यह जरूरी बात है, यह नहीं कि कोई फख्र की बात हो, कि एक आदमी जो बीमार हो अगर वह अस्पताल जाय तो उसको दवा मिले। अगर उसकी ऐसी हालत हो कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिये तो उसे भर्ती किया जाय। लेकिन कोई ऐसा अस्पताल नहीं है और न मरीजों के लिए कोई माकूल इन्तजाम है।

श्रीमन्, किसी देश को, कौम को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा का बड़ा भारी हाथ है और शिक्षा की ग्रान्ट में कुछ बढ़ाया गया है, यह मुनासिब बात है; लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रायमरी शिक्षा इस सरकार ने मुफ्त कर दी। ५,३४,००,००० रुपया प्रायमरी शिक्षा पर सर्फ होता है और बहुत अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि इस आदरणीय सदन के ४३१ सदस्यों में से कितनों के लड़के आज म्युनिसिपैलिटी के प्रायमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। अगर विलायत का कोई आदमी आवे और उसको म्युनिसिपैलिटी के किसी प्रायमरी स्कूल में फारिग़ होने के लिए भेज दिया जाय तो वह वापस चला जायगा कि इतनी गंदी जगह है कि वह यह काम भी नहीं कर सकता। अगर किसी को शुबहा हो तो लखनऊ के ढाई सौ प्रायमरी स्कूलों में एक-एक का जाकर मुआइना कर लें। यह ५,३४,००,००० रुपया नष्ट होता है। किसी म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रायमरी स्कूल में लड़कों के बैठने के लिये फर्श नहीं—मास्टरों की तनख्वाहें तो जाने दीजिये—इमारतें नहीं। गन्दगी है, जाला है, फिर क्या हो सकता है, क्योंकि प्रायमरी एजूकेशन ही सारी एजूकेशन की बुनियाद है। इस प्रदेश में इस सरकार के युग में ज्यादा जोर यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजूकेशन पर है। नयी यूनिवर्सिटी खुल जायं, गोरखपुर में भी खुल जाय, और खुले न खुले वाइस चांसलर मुकर्रर हो जाय। कानपुर के लिए एक यूनिवर्सिटी कमेटी बनी हुई है। एक मित्र हैं मेरे, जिनका उधर के बैठने वाले राजनीतिज्ञों से वास्ता है, वह उस कमेटी के मंत्री हैं, वह सो रहे हैं। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिये, रुड़की इंजीनियरिंग कालेज भी यूनिवर्सिटी हो गया और इधर प्रायमरी स्कूलों की यह दशा है। यह कैफियत है।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि छोड़ दीजिये संख्या बढ़ाने की बात को। जो स्कूल हैं उनकी हालत को सुधारिये। वहां के इक्विपमेंट को, सज्जा को, पढ़ाने लिखाने के साधनों को, लड़कों के बैठने की जगह को ठीक कीजिये। अगर प्रायमरी एजूकेशन का सुधार नहीं हुआ तो हायर सेकेंडरी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन सब व्यर्थ है। यही कारण है कि आज ६० फीसदी लड़के हाई स्कूल के इम्तहान में बैठने वाले फेल होते हैं। यह नेशनल इनकम का वेस्टेज है। इस तरह से यह साठ फीसदी रुपया वेस्ट होता है। जो लड़के पहले तीसरे दर्जे में भर्ती होते थे वह आज छठे में भर्ती होते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि पांचवें दर्जे तक प्रायमरी एजूकेशन चलायी जाये और वहां बैठने के लिए स्थान नहीं। अगर सफेद कपड़े पहिन कर वहां किसी लड़के को भेजा जाय तो शाम को ऐसा मालूम होगा कि १५ दिन से उसने कपड़ा नहीं उतारा है। यह नहीं कि धोया नहीं, बल्कि उतारा ही नहीं है, इतनी गन्दगी है वहां। उसको नहीं सुधारा। नतीजा यह है कि जो लड़का पहले तीसरे दर्जे में दाखिल होता था वह छठी में होता है और दसवें में पहुंच कर सौ में से साठ लड़के फेल हो जाते हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---फेल ज्यादा होते हैं या नम्बर कम दिये जाते हैं, मार्किंग हार्ड होता है ?

श्री त्रिलोकीसिंह---मुझे मालूम नहीं है, मेरे भाई शायद एग्जामिनर हों और उनके पास ऐसे कवायद हों कि जबरदस्ती कम नम्बर दिया करो। जहां तक मुझे मालूम है श्रीमन्, हर साल एक कमेटी इसके लिए होती है कि कुछ रिआयत करके फेल होने वालों को भी पास कर दे और कई हजार इस तरीके से पास किये जाते हैं। उसके बाद यह कामयाबी का औसत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन की पद्धति को आमूल बदलने की आवश्यकता है।

बेसिक ऐजूकेशन है। धन्य है वह महात्मा, वह आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी तस्वीर, उनका चित्र और उनकी स्मृति हमारी याद में ताजा है। क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बतला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल है जहां गांधी जी के मतानुसार बेसिक ऐजूकेशन दी जाती हो। एक भी स्कूल इस प्रदेश में ऐसा नहीं है, जहां भी हो चल कर दिखायें। महज तस्वीर टांगने से काम नहीं चलेगा, बेसिक ऐजूकेशन का एक भी स्कूल इस प्रदेश में नहीं है। यह सरकार की नीति है। सरकार ५ करोड़ रुपया सर्फ करती है और जो बेसिक एजूकेशन की बात कहती है उसका एक भी स्कूल नहीं मिलेगा---सरकारी या लोकल बोडीज का। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि बेसिक एजूकेशन क्या है ? जब एजूकेशन डिमांड लेंगे उस समय इस पर कहा जायगा। महात्मा जी यदि फिर जन्म लें और वह इन स्कूलों में खड़े कर दिये जायं तो वह खुद पूछेंगे कि यह कौन सी शिक्षा है ? वह खुद नहीं पहचान पायेंगे।

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आज कल की शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटीज और ऐक्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह के अधिकार थे, सरकार ने उनमें कमी कर दी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने यूनिवर्सिटीज में गुटबन्दी फैला दी है। उनके अधिकार कम हो गये हैं ? उनका स्तर गिर रहा है ? लेकिन उसके उठाने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। रिसर्च की तरफ बहुत कम ध्यान है। ज्यादातर यही कोशिश है कि किसी तरह से लड़के पढ़ लिख कर बी० ए०, एम० ए० पास करें और उनकी जान छूटे। जब तक आज कल की एजूकेशन में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं होगी।

श्रीमन्, गवर्नमेंट की स्कीम मद्य निषेध की है। कुछ जिलों में लागू है मैंने तादाद इसलिये नहीं जानी कि एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां खुले आम शराब न बिकती हो। माननीय सदस्य जो ऐसी कांस्टीटचूऐन्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं वह स्वयं मेरी इस बात की गवाही देंगे। क्या कारण है ? कारण यह है कि शराब बनाते यदि कोई आदमी पकड़ा जाय तो २० रुपये जुरमाने होते हैं और अगर दूध में एक बूंद पानी मिला दे तो ५०० रुपये जुर्माना है। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट अगर चाहती है कि मद्य निषेध हो तो वह प्रचार करे और घर-घर लोग जायं और कहें कि शराब पीना छोड़ने की जरूरत है और फिर जो न छोड़े उस पर दस रुपये के जुरमाने की सजा न हो। दूध में पानी मिलाने पर ५०० रुपये और जीरे में मिट्टी मिलाने पर ३०० रुपये जुरमाने की सजा होती है और शराब के अगर कुप्पे के कुप्पे ढरकायें तो २०, २५ रुपये जुरमाने होते हैं। इसलिये नतीजा यह है कि हर जिले में शराब प्रचलित है और सरकार भी तटस्थ है। मालूम नहीं कि शर्माहुजूरी की वजह से ठप्प है या क्या बात है। सात साल से वह क्यों रुकी हुई है ? क्या शराब जौनपुर और उन्नाव में ही बंद होनी चाहिये लखनऊ वालों के लिये बंद नहीं होनी चाहिये। मसूरी में फिर खोल दी क्योंकि वहां सर्दी पड़ती है। क्यों नहीं हिम्मत के साथ कहते हैं कि योजना असफल हुई ?

आगे बढ़ें और हिम्मत से काम करें। राज के कार्य परदे की आड़ में नहीं चलते हैं। अगर गल्ती हो गई है तो उसको स्वीकार कीजिये। अगर गलत रास्ते पर हैं तो उसे छोड़ कर आगे चलिये।

श्रीमन्, मुझे हैरानी हुई इस बात को जानकर कि एक्साइज का खर्चा बढ़ गया है। विभाग कम किया जा रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। एक और हैरत हुई कि शराब न पीने का प्रचार कहां होता है—जहां सरकारी तौर पर शराब बन्दी है। लखनऊ में जहां शराब खुली है वहां नहीं कहते कि मत पियो। अगर टेम्परेन्स का प्रोपेगेन्डा करना है तो वहां करना चाहिये जहां टेम्परेन्स लागू करने वाले हैं। जहां कोई माल ही न हो वहां कोई चोरी क्या करेगा। ऐसा न करने का मतलब यह है कि सरकार यह समझती है कि जहां शराब–बन्दी है वहां उसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। सहारा डेजर्ट में किसी को छोड़ दीजिये और यह कहिये कि तुम किसी से बात नहीं करना तो इससे क्या फायदा। जब वहां कोई आदमी ही नहीं है तो वह बात किससे करेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जरा हिम्मत से काम लीजिये। जहां कमजोरी हो उसको सुधारने की कोशिश कीजिये और अगर टेम्परेन्स के हामी हैं तो लढ़िया आगे बढ़ाइये। लखनऊ और इलाहाबाद को कम से कम इसी साल प्रोहिबिशन के एरिया में ले लीजिये। तब मालूम होगा कि सरकार की नीति पक्की नीति है और लखनऊ और इलाहाबाद दोनों उस बेल्ट में आते हैं क्योंकि फतेहपुर में है, रायबरेली में है और कानपुर में मद्य निषेध है।

श्रीमन्, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और मेरी राय में सरकार की सब से ज्यादा आलोचना माल विभाग के कार्य की वजह से होती है। माननीय माल मंत्री मौजूद नहीं हैं, मुमकिन है उनके कोई नायब साहब ही यहां मौजूद हों। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आधी आफत का जिम्मेदार यह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट है, ४० फीसदी का जिम्मेदार पुलिस विभाग है और बाकी १० फीसदी में सब हैं। कैफियत यह है कि खुद सरकार स्वीकार करती है कि जहां जहां कंसालिडेशन किया गया है वहां ७५ फी सदी इन्दराज गलत हैं। उनके दुरुस्त करने का क्या इन्तजाम इस सरकार ने किया? मैं बहुत अदब से साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि हजारों नहीं लाखों किसान इस उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन उनसे लगान पांच साल से वसूल किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ है। अमीन से कोई वास्ता नहीं है। वह कहता है कि हमको जमाबन्दी तहसील से मिली है, हम क्या जानें? "तोहार नांव लिखा है, हम तो वसूले करबे"। कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां ऐसे हजारों इन्दराज न मिल जायं कि जिनके जमीन नहीं हैं उनको लगान पड़ता है। साथ ही यह भी है कि जमीन है लेकिन लगान नहीं पड़ता। बावजूद इसके कि इतनी गलतियां हैं और चकबंदी के अफसरों को समरी अधिकार दे दिये गये हैं। जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के रूल्स के अन्दर कमिश्नर को प्राप्त है, क्यों नहीं उनकी दुरुस्ती का इन्तजाम किया जा रहा है? अभी एक माननीय सदस्य ने इस सदन में एक सवाल में यह पूछा था कि जमीन ले ली जाती है मगर मुआविजा नहीं दिया जाता है। नहर के मंत्री साहब ने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है। 'कुछ' की बात मेरे कान में खटकी। कुछ नहीं हुआ है, विदाउट एक्सेप्शन यह हुआ है। हजारों लाखों आदमियों के साथ यह किया गया है कि इस सरकार ने पांच वर्षीय प्लान के लिये, अस्पताल के लिये, स्कूल के लिये, नहरों के लिये जमीन ले ली लेकिन मुआविज नहीं देती है और लगान उनको पड़ता है। मंत्री जी कह गये कि यह रेफंड कर दिया जायगा। कैसे रेफन्ड होगा? मेरे खाते में दस नम्बर हैं। लगान मुश्तरका है। उसमें से एक नम्बर दस बिस्वे का आ गया नहर की अर्दब में। उसका लगान कौन एसेस करेगा? क्या तहसीलदार खुद एसेस करेगा। मेरी खुद जमीन निकल गयी। मैंने लगान नहीं दिया और लखनऊ के कलेक्टर को लिखा। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल है। कमिश्नर को लिखा। उन्होंने हुक्म निकाल दिया कि लगान मत वसूल करो। डिप्टी कमिश्नर लखनऊ ने मुझ से कहा कि उन्हें मालूम नहीं है। स्पेशल लैन्ड रेक्वीजीशन आफिसर रायबरेली में बैठे हैं, अब वह कैसे काटें? मैंने उनसे कहा कि काटे या न काटें मैं लगान नहीं दूंगा।

यह बात जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के पहले नहीं थी। लगान तो हो त्रिलोकी सिंह का और वसूल करलें नारायणदत्त तिवारी जी से। यह नया कानून है। हवालात है, डिग्री है, आराजी का नीलाम है और फिर लगान ए का बी से वसूल कर लें। यह कानून है। नतीजा यह

[श्री त्रिलोकीसिंह]

है कि मेरा लगान गांव वाले से वसूल किया और वह चीखता चिल्लाता हुआ आया कि अब तो फंस गया, अब मैं दे दूं। झखमार कर मैंने दे दिया। लेकिन आजतक पांच साल हो गये कागज नहीं बन पाये। बीसों दरख्वास्तें दे चुका लेकिन कहा जाता है कि गौर हो रहा है। पता नहीं है कब तक गौर होगा, यह आम रिवाज है।

चूंकि जमींदारी अबालिश हो गई इसलिये अब जमींदार है सरकार। जैसा गवर्नमेन्ट इस्टेट्स की जमींदार सरकार है वैसे अब इनकी भी जमींदार सरकार है और जमींदार का फर्ज है कि जिसकी जमीन ले ली गई है उनकी लेखपाल तहसील में रिपोर्ट करे कि इसकी जमीन ले ली गई है और इसका लगान अब बन्द हो। लेकिन कुछ नहीं किया है। एक नहीं, हजारों ऐसे किसान हैं और अगर कोई साहब देखना चाहें तो उनको मालूम होगा कि लखनऊ में ५०मील की नहर है और एक-एक मील में सौ-सौ ऐसे आदमी हैं तो पांच हजार आदमी लखनऊ में ऐसे हैं और पता नहीं पूरे सूबे में कितने होंगे। और यह सिलसिला पीलीभीत से चला है और प्रतापगढ़ तक गया है। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये।

माननीय माल मंत्री भले ही संतुष्ट इस बात से हो लें कि चकबंदी के मामले में कुछ लोगों ने भड़का दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार समझती है कि चकबंदी तरक्की का काम है तो फिर गांव वालों से राय क्यों नहीं ले लेते कि भाई तुम्हारे गांव में चकबंदी की जाय? वजह वही है कि टाप पर डिमोक्रेसी है, नीचे नहीं है। लखनऊ वाले असेम्बली के लिये तो नुमाइन्दा चुनकर भेज सकते हैं लेकिन म्युनिसिपैलिटी के लिये नहीं चुन सकते। वह मुअत्तिल रहेगी। लिहाजा जिस गांव में चकबन्दी हो उनसे पूछ तो लो! पहले यह था कि एक तिहाई आदमियों की राय पर हो सकती थी लेकिन अब इस नई सरकार ने वहां पर अब कोई राय लेने की जरुरत नहीं समझी।

चकबन्दी का खर्चा, सरकार सुधार कराये लेकिन वहां के लोगों की राय न ले और फिर खर्चा उन्हीं के ऊपर लाद दिया जाय और वह भी मनमानी? मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि चकबन्दी कौन लोग करते हैं? ताजे मदरसे से निकले हुये साहबजादगान, जिनको जमीन की नवइयत, उसकी किस्म, आराजी बन्दोबस्त के मामलात से कोई वास्ता नहीं रहा है, टेम्परेरी भी हैं। जो शिकायतें हैं कि चकबन्दी के सिलसिले में लेनदेन ज्यादा हो रहा है वह भी क्यों है? वह भी इसलिये कि टेम्परेरी आदमी हमेशा लेनदेन करेगा। सभी जानते हैं कि जब लड़ाई होती थी तब कमसरियट में खूब रिश्वत चलती थी। जो परमानेन्ट लोग हैं नायब तहसीलदार वगैरह, उनसे चकबन्दी कराइये और इन टेम्परेरी आदमियों से लगान वसूल कराइये। मैं चाहता हूं कि इस नीति में आमूल परिवर्तन किया जाय। चकबन्दी या जमीन का सहत इन्दराज न होना और मुकदमात का फैसल साल-साल दो-दो साल तक न होना और ऐसे आदमियों से लगान का वसूल होना जिनके पास जमीन नहीं है, यह सब बहुत बड़ी बातें हैं, और इन बातों को दूर किये बिना, आज हम चाहते हैं कि मंगलकारी राज्य बने, हम चाहते हैं कि सुख हो, हम चाहते हैं कि किसी की मेहनत से कोई नाजायज फायदा न उठाये, हम चाहते हैं कि कोई किसी को सता न सके, हम चाहते हैं कि किसी के ऊपर कोई गलत दबाव न डाल सके, वह नहीं हो सकता।

पिछले दो महीने से उधर के बैठने वालों की तरफ से प्रदेश के सारे इलाके में यह आवाज गूंजी कि बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कुछ खास उपाय किये जायं। लेकिन वह आवाज इस सदन के बाहर ही रह गयी। सदन के अन्दर वह आवाज नहीं आने पाई। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि पुलिस के थाने में एक रपट दर्ज नहीं कराई जा सकती जब तक कि उसको रिश्वत न दी जाय। एक मुकदमा दायर नहीं हो सकता है जब तक कि रुपया पेश न किया जाय पेशकार या मुन्सरिम को। और एक कागज तलब नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ दिया न जाय। अगर

किसी साहब को इस बात का अन्देशा हो तो मैं दावा करता हूं कि कोर्ट फीस मैं अदा कर दूं और वह उनके आदमी को दे दूं और वह जाकर लखनऊ या इलाहाबाद की कचहरी में जाकर दायर कर आयें। मैं चुनौती नहीं देता हूं, बड़ी नम्रतापूर्वक गुजारिश करता हूं, कि आज यह मुल्क और खास कर यह हमारा सूबा भ्रष्टाचार से दबा हुआ है। यहां पर कोने-कोने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई तहसील सूबे की ऐसी नहीं है जहां पर यह न हो। इसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं है।

मैं निहायत अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि क्या पुलिस का इन्तजाम स्थानीय आदमी नहीं कर सकते। इंगलैण्ड और फ्रान्स की पुलिस वहां की लोकल अथारिटीज के पास है। क्यों नहीं हिन्दुस्तान में लोकल अथारिटीज को इसे दिया जाता?

मैंने निवेदन किया था कि जब तक एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग नहीं किया जायगा आप कितनी ही कोशिश करें भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। जुडिशियल अफसर जो सरकार ने नियुक्त किये हैं वे किसके मातहत हैं? वे हाई कोर्ट के मातहत नहीं हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं? क्यों डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेसी करते हैं? इसी देश के अन्दर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में वहां किसी मजिस्ट्रेट को वारन्ट ईशू करने का अख्तयार है? मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस कमिश्नर को सारे अधिकार क्या प्राप्त नहीं हैं? लेकिन यहां ऐसी पद्धति है कि न्याय करने का अधिकार भी उसी को होगा जो अभियोग लगायेगा! संसार के इतिहास में किसी बड़े से बड़े देश में भी प्रोसिक्यूटर और जज एक नहीं हुआ करता। हमारे देश के एक बड़े भारी नेता ने कहा था कि अब तो हमारे आदमी हो गये अब क्या जरूरत है कि जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग-अलग किया जाय। मेरा निवेदन है कि अगर अपने आदमी हैं तो फिर आप को अलग करने में क्या नुकसान है। लेकिन वह खयाल अब उतर गया है और उसी खयाल की आज पुख्तगी करते चले जा रहे हैं।

मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि पुलिस के सिलसिले में उसके तशद्दुदाना व्यवहार की शिकायत बढ़ती जा रही है। किसी भी देश की पुलिस के अच्छे या बुरे व्यवहार को इस तरह से आंका जाता है कि वह बदमाशों के साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन हमारे देश में पुलिस का व्यवहार बदमाशों के साथ कैसा होता है इसको तो छोड़ दीजिये, अगर कोई भला आदमी भी उनके सम्पर्क में आ जाय तो फिर वह भ्रष्ट हुये बिना नहीं रह सकता है। लोग दिन दहाड़े मारे जाते हैं। मैं शर्म के साथ कहता हूं कि लखनऊ शहर में एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां कोई न कोई रोज पीटा नहीं जाता हो। यदि किसी का शुबहा है तो मैं उनके साथ, ३ दिन के बाद, तमाम दिन खर्च करने के लिये तैयार हूं और उन्हें यह बात दिखा दूंगा। एक वकील साहब जमानत के लिये थाने गये तो उन्हें गिरफ्तार करके उन पर ही मुकद्दमा चला दिया गया। रिपोर्टें सही नहीं लिखी जाती हैं। पुलिस के रूल में है कि चाहे जैसा टूटा फूटा जुमला कहे वैसा ही लिखा जाना चाहिये। मगर रिपोर्टों को देखने से मालूम होता है कि कितनी मुरस्सा जबान है। काला अक्षर भैंस बराबर, लगाया अंगूठा, लेकिन रिपोर्ट में जबान इतनी बढ़िया है। भ्रष्टाचार के गढ़ या मन्दिर हैं– पुलिस, रेवेन्यू और जुडिशरी विभाग का नीचे का अमला। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सैपरेशन नहीं होता है तो पुलिस के भ्रष्टाचार को हम नहीं रोक सकते हैं। अगर यही हालत रही तो हम १०, २० वर्ष तक भी असमर्थ रहेंगे। लेकिन जहां मुझे उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों पर भरोसा है वहां इस देश के निवासियों पर भी भरोसा है कि वे इसे बरदाश्त नहीं करेंगे। मौका है, यश या श्रेय उठा लीजिये वरना अगले साढ़े चार साल के बाद जब फिर इस बात पर विचार होगा तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जिन बातों को मैंने माननीय सदस्यों की और मुख्यतः मंत्रिमंडल की सेवा में निवेदन किया है उन्हें जनता कभी नहीं भूलेगी। धन्यवाद!

विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १९९ के पालन के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष द्वारा निदेश

श्री उपाध्यक्ष—मैंने ९ मई को नियमों की तरफ इशारा किया था और बतलाया था कि किसी माननीय सदस्य को एक तरफ से दूसरी तरफ सीधे नहीं जाना चाहिये। अभी हाल में एक माननीय सदस्य ने ऐसा किया है। उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा कि सदन के नियमों का पालन अवश्य होना चाहिये।

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद का समय बढ़ाने के लिये संकल्प की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास अभी एक प्रस्ताव श्री यादव ने दिया है कि २६ जुलाई तक यहां यह बहस हो। हमारे प्रक्रिया नियमावली के नियम १५२ के अनुसार ३ दिन तक बहस हो सकती है। ऐसा प्रस्ताव इस नियम को मुअत्तिल करके लाया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं वह पहले मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री से बात करलें तो सम्भवतः ऐसा प्रस्ताव लाने की जरूरत न रह।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—इस सम्बन्ध में मैंने माननीय चीफ व्हिप, मिनिस्टर फार पार्लियामेंन्टरी अफ़ेयर्स, से बात की थी कि वाद विवाद के ३ दिन के समय और बाद के ग्रान्ट्स के समय में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय। उन की बातों से यह नतीजा निकला था कि यह बात आज शाम को तय हो जायगी। अगर कोई आपत्ति न हो तो इस पर कल बिचार कर लें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नियम के मुअत्तल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और इस बात को एक मत से कल तय कर लिया जायगा कि इस के लिये कितना समय हो।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आपकी सेवार्थ और सदन के सम्मुख हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, वास्तव में .....

श्री उपाध्यक्ष—मतलब यह है कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी से सहमत हैं? और कोई बात कहने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात से सहमत हूं और मेरे साथी भी सहमत होंगे जिन्होंने उस प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं और इस वजह से प्रस्ताव किया गया है कि केवल इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह बात मंजूर नहीं है बल्कि उस तरफ बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों की भी यही राय है। तीन दिन रखे गये हैं। उनमें आज का दिन तो विरोधी दल के नेता के भाषण में चला गया। कल का दिन शायद दूसरे दलों के नेता ले लेंगे। तो पंद्रह-पंद्रह मिनट कम से कम मिलें बैक बैंचर्स को भी, इसलिये हमने अर्ज किया।

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को और बजट साहित्य को मैंने काफी गौर से सुना और देखा। साथ ही अपने पुराने मित्र आदरणीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण को, प्रभावशाली भाषण को, काफी गौर से सुना।

मैं यह मानता हूं कि प्रोग्रेसिव स्टेट का बजट महज आमदनी और खर्चे का बैलेंस शीट नहीं होता। वह एक ऐसा डाकूमेंट होता है जिस के जरिये एक सरकार क्या करना चाहती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उस की इच्छायें क्या हैं, आकांक्षायें क्या हैं, वह जनता की मांगों को, उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना चाहती है, इन सब बातों की उस में झलक होती है। इसलिये इस बजट को इस नजर से देखना होगा कि उस का रुझान किधर है। दूसरे, इस नजर से भी देखना होगा कि जिस किस्म का समाज उसके जरिये बनाने का इरादा है उस पर क्या खर्चा हुआ और उस तरफ को लेजाता है या नहीं ले जाता है। साथ ही उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, में एक व्यवस्थित ढंग की प्रगति करता है या नहीं करता है।

मैं इस बजट को यदि एक लिबरल गवर्नमेंट के बजट की तरह से देखूं तो यह कहूंगा कि यह बजट बधाई के योग्य है। लिबरल गवर्नमेंट का एक छोटा सा मकसद होता है। उसी के लिये वह काम करती है। उस नजर से उस की जिम्मेदारियां भी कम होती हैं। उस नजर से अगर बजट को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि आज के प्रचलित ढांचे में जो कुछ मुमकिन था, उस ढांचे की सीमाओं और पाबन्दियों को देखते हुये, जो कुछ भलाई करने के मौके थे वह इस में किये गये हैं। इस में यह भी पता चलता है कि इसमें गरीब आदमी, दबे हुये आदमी की जिन्दगी में कुछ राहत देने की भी कोशिश की गयी है।

जो बातें अच्छी हैं उन का स्वागत होना चाहिये। इसके साथ ही जब मैं इस बजट को एक ऐसी सरकार के बजट की नजर से देखता हूं जो एक नये समाज की रचना करना चाहती है, जो महज एक लिबरल गवर्नमेंट की तरह से सरकारी ढ़ाचे को नहीं चलाना चाहती बल्कि जो सरकारी ढ़ांचे की मदद से एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जिस समाज में शोषण नहीं होगा, काम करने वाले की इज्जत होगी, सब को काम होगा, इक्वैलिटी होगी, तब मुझे इस बजट को दूसरी नजर से देखना होगा और उस नजर से देखने में मुझे कोई गुरेज इस बात के कहने में नहीं है कि बजट में अच्छी बातों के साथ कुछ बातों से मायूसी भी है। और कुछ बातों को करने की जरूरत है, इसके लिये मैं कुछ थोड़े से अपने सुझाव भी देना चाहता हूं। यह बात सही है कि १० साल का जो हमारा काम करने का ढंग रहा है क्योंकि यह बजट एक ऐसी सरकार का है जो वक्तन फवक्तन नहीं आती बल्कि बराबर १० साल से काम कर रही है इसलिये मैं उस बजट को इस दृष्टि से भी देखूंगा कि १० साल का जो हमारा टोटल ऐफ़र्ट है, जो मनी खर्च किया है शक्ति खर्च की है उसको खर्च करने के बाद जो हमारा समाज बन कर सामने आया है उस की झलक क्या है और उस खयाल से मेरा यह खयाल है कि हमारे इस प्रदेश में निसंन्देह मैटीरियल प्रगति हुई है। सड़कें बनी हैं, नहरें खुदी, मदरसे भी बढ़े हैं, अस्पताल भी बढ़े हैं। जो तरक्की हुई है उसको यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है वह भी वास्तविकता से आंखें बन्द करना होगा। लेकिन इसके साथ-साथ जहां यह सब बातें हुई हैं उनके साथ-साथ हमारे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ कनट्रेडिक्शन भी बढ़े हैं, जैसे मिसाल की तौर पर शिक्षा बढ़ी है, मगर शिक्षा के साथ-साथ आने वाली संतान की जो दिमागी उन्नति है वह देखने को नहीं मिलती। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट निकला करती है उन से पता चलता है आने वाली संतान की मानसिक प्रगति अच्छी नहीं है। उन की जानकारी अपने देश के बारे में, समस्याओं के बारे में अच्छी नहीं है। मेंटली डेफ़ीशियेन्ट हैं।

इसी तरह कोआपरेशन के आंकड़े बढ़े हैं लेकिन लोगों के अन्दर कोआपरेटिव स्प्रिट नहीं बढ़ रही है। सोसाइटीज़ बढ़ रही है मगर उसके साथ कोआपरेशन में जनता का फ़ेथ नहीं बढ़ा है। इंडिविजुऐलिज्म ज्यादा बढ़ने लगी है। अस्पताल बढ़े हैं मगर इंसानों की सेहत के बारे में दो रायें हो सकती हैं। यह सही बात है, यह भी साबित किया जा सकता है आंकड़ों से कि सेहत अच्छी हुई है। लेकिन मेरे खयाल से एक समाज की सेहत के लिये जिस किस्म के अच्छे खाने की जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है वह हमारी कम हुई हैं और इसलिये फिर भी अगर इंसान की सेहत बढ़ी है तो मैं कहूंगा कि इंसान का मैटेरियल कुछ ज्यादा ऊंचा हुआ है। मैं फिर अर्ज करूंगा कि दस साल की जो हमारी शक्ति है उसको खर्च करने के बाद

[श्री गोविन्द सहाय]

हमारी प्रगति तो हुई है मगर उस में व्यवस्था नहीं है। जीवन के एक क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है मगर दूसरे में अवगति। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी की स्पीच से मैंने यह जानने की कोशिश की कि शायद उधर से उसके कारण मिल जायं। उन्होंने कुछ वाकयात जिन्दगी के बताये जो नग्न वाकयात हैं, उनसे मना नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो यह कन्टेस्ट किया कि इस समाज में प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, मैं तो कह सकता हूं कि इस समाज में भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है और पावर्टी भी बढ़ सकती है, मेरे पास समय नहीं, वरना मैं उनसे ज्यादा अच्छी तस्वीर खींच सकता हूं। मैं तो उनसे यह सुनना चाहता था जिसके लिये मैंने काफी ध्यान लगाया और मैं खुद उनकी तरह से किसी से कम बेचैन नहीं हूं कि मौजूदा हालात में जिस किस्म की चीजें होनी चाहिये वह नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे यह सुनना चाहता था कि शायद वह इस बात पर रोशनी डालें कि यह वाकयात क्यों हो रहे हैं क्योंकि तजुर्बा यह बताता है कि इस सिस्टम के अन्दर चाहे इधर के बैठें और चाहे उधर के, कोई मैटीरियल तबदीली इन्सानों की जिन्दगी में बहुत बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी को ट्रावनकोर कोचीन में इस काम को करने का मौका मिला लेकिन वहां क्या परिणाम हुआ यह सब को मालूम है, वहां के लोगों को हटाना पड़ा। इसलिये हमारा जो मर्ज है बहुत बड़ा मर्ज है। यह नहीं है कि इधर के बैठे हुये लोग जो हैं वह प्रगति तो चाहते हैं मगर प्रगति चाहने के बाद कुछ उनकी ख्वाहिश ऐसी हो कि काम ऐसा करें कि जिससे अवनति हो। मैं नहीं समझता हूं कि जो नहरें खुदवाई जाती हैं वह इसलिये खुदवाई जाती हैं कि नहरें खुद जायं मगर उनमें पानी न हो। मैं नहीं समझता कि जो खाद दी जाती है, या जो बीज गोदाम खोले जाते हैं वह इसलिये खोले जाते हैं कि बीज तो दिया जाय मगर पैदावार न बढ़े। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। अगर बावजूद इसके यह सब बातें होती हैं तो मैं इसका एक ही कारण समझता हूं कि मर्ज कहीं ज्यादा गहरा है और हमें उसका इलाज हिम्मत और दिलेरी के साथ करना चाहिये। मेरी ईमानदाराना एक बात है कि हम पुरानी बुनियादों पर एक नया समाज बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जो कुछ अंग्रेजों ने हमको दिया है, जो ढांचा दिया है, जो शिक्षा दी है, जो न्याय दिया है, जो शासन दिया है उसी के जरिये हम समाजवाद को ला सकेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये तजर्बों की बुनियाद पर यह कहना चाहता हूं कि मेरा यकीन इस बात से हटता जा रहा है और जब किसी समाज के अन्दर उसके ध्येय में और उसके इंस्ट्रूमेन्ट्स में मतभेद हो जाता है तो ध्येय एक तरफ को ले जाता है और उसके इंस्ट्रूमेन्ट्स लोगों के कैरेक्टर को लोगों की जिन्दगी को दूसरी तरफ ढालते रहते हैं। इसलिये आज एक क्राइसिस से देश गुजर रहा है। क्राइसिस यह है कि हम शिक्षा पर रुपया बढ़ा रहे हैं।

आज के बजट में भी शिक्षा पर रुपया तो बढ़ाया गया है, बच्चों की तालीम को ज्यादा सहूलियत देने के लिये कुछ राहत भी है। तो इसलिये यह नहीं है कि इरादा नहीं है बल्कि मेरा दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा पर रुपया अगर बढ़े और तजुर्बा यह बताये कि जो शिक्षा दी वह लोगों की मानसिक उन्नति करने के बजाय लोगों के दिमागों को खोलने और उलझाने और परेशान करने वाली है तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हमको यह समझना चाहिये कि इस रुपये की पैदावार उतनी अच्छी नहीं है। मुझे इस बात में मतभेद नहीं है कि जो रुपया रखा गया है, जो सरकार के डिपार्टमेन्ट्स हैं, उनकी नीयत है कि शिक्षा न बढ़े। ऐसा नहीं है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमारी शिक्षा का आधार ठीक नहीं है। शिक्षा का आधार हमें बदलना पड़ेगा। सोशलिज्म को चलाने के लिये "सोशलिस्टिक वायस" पैदा करना है, एक बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करे उसके अन्दर देशभक्ति की बात आये, आपस में मिलकर काम करने की बात आये। अध्यक्ष महोदय, एक बात अगर मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहूं तो असंगत न होगी। मैंने सोशलिस्टिक देशों में शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को देखने की कोशिश की। एक सोशलिस्ट देश में जब प्लानिंग शुरू हुई तो वहां का एक लीडर एक मान्टेसरी स्कूल में गया। वह एक बच्चे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बच्चे ने छोटी-छोटी ईंटों से एक मकान बनाया और कहा, दिस इज़

माई हाउस आफ लीडर ने जाकर आर्डर दिया कि जितने मान्टेसरी स्कूल्स हैं वहां से छोटी-छोटी ईटें हटा दी जायं और बड़ी-बड़ी ईटें वहां रख दी जाय क्योंकि जब दो तीन लड़के मिलकर कोई मकान बनायेंगे तो वह यह कहेंगे कि यह हमारा मकान है। तो शिक्षा प्लानिंग का एक बड़ा जुज होती है। इसलिये यह कहना कि हमारे शिक्षा मंत्री इसके जिम्मेदार हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका तो यह नया-नया काम है और ऐसी जिम्मेदारियों का थोपना मैं मुनासिब नहीं समझता। आज हमारे सामने बड़ा भारी लेकुना यह है कि हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं मगर कमेटी उन लोगों की बनाते हैं जो उसके आधार को बदलते नहीं हैं। जो कुछ अपोजीशन लीडर ने कहा बगैर उसकी बहस में जाते हुये, क्योंकि मैं उनकी बहुत सी बातों से इत्तफाक नहीं करता हूं, उन्होंने बहुत से कारण जो बताये हैं कि यह बातें इस वजह से हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर यह मान के भी चला जाय कि भ्रष्टाचार है, सेहत में उतनी तरक्की नहीं है, शिक्षा की कमी है इन सब बातों के होते हुये भी प्राबलम जो है वह यह है कि किस तरीके से शिक्षा के, शासन के ढांचे को बदला जाय। आज जो ढांचा है उसमें आप कहीं हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर कमेटी को कंट्रोल करें तो एक नया मुहकमा खुल गया है, पता ही नहीं चलता है कि कौन इस देश का शासक है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है। अगर कमेटी में हाथ डाला तो मालूम हुआ कि टेक्स्ट बुक्स कमेटी बैठी है। लेकिन एक ऐसा ढांचा हमको मिला हुआ है जिसको कि हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम ढांचे को बदल नहीं पाते, बल्कि ढांचा हमको बदल देता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है उसे बनाने की ?

श्री गोविन्दसहाय--जिम्मेदारी हम पर और आप पर दोनों पर है। देश में लोग राष्ट्रीयता को फैलाये और दूसरी ओर चुनावबाजी हो और संकीर्ण विचारों से लोगों के मस्तिष्क बिगड़ते रहें तो न हम ढांचा बदल सकते हैं और न उधर के लोग बदल सकते हैं।

एक देश को बनाने के लिये एक नजरिये को बनाना पड़ता है। सही बात है उसे बनाने के लिये जिस किस्म की आबोहवा की जरूरत है उसके बनाने की जिम्मेदारी हम दोनों तरफ के लोगों पर है। हम दोनों ने सोशलिज्म को मंजूर किया है लेकिन सोशलिज्म की प्रगति के लिए जिस आबोहवा की जरूरत है उस आबोहवा को हम में से कोई भी पैदा नहीं कर रहा है। अगर विचारों को मजबूत करने के लिये अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है तो वे मुर्झा जाते हैं। इसलिये यह कहना कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ज्यादा खर्च होता है सही बात है। कोई सोशलिस्ट तजुर्बा सफल नहीं हो सकता जबतक जनता में सरकार की सम्पति के लिये अपनी सम्पत्ति से ज्यादा प्रेम न हो या सरकार की सम्पत्ति के लिये यह प्रेम पैदा न किया जाय कि जो सरकारी सम्पत्ति है वह हमारी सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति है। इसमें हमको और आपको दोनों को मिल कर काम करना होगा।

अगर कोई भी प्रोग्राम रक्खा जाय तो हमारा पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अगर इधर के लोग कहते हैं कि दातौन करना अच्छा है तो उधर के लोग कहने लगते हैं कि कानूनन दातौन करवाई जा रही है, आजादी का हनन किया जा रहा है। मैं अपने वक्त की पाबन्दी को जानते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी किसी से कम सोशलिज्म का हिमायती नहीं हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी इत्तिला है सदन ने अभी तक कोई वक्त निश्चित नहीं किया है। जबतक वक्त निश्चित न हो जाय तब तक वे जितनी देर बोलना चाहें बोल सकते हैं।

श्री गोविन्दसहाय--बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। डिप्टी स्पीकर महोदय, अब मैं थोड़ा विभागों की तरफ जाऊंगा। मेरा डाइगनोसिस यह है कि यह क्राइसिस बढ़ा क्योंकि हमें जो बुनियादी कदम उठाना चाहिये था वह नहीं उठाया। जब तक हम उन कदमों को नहीं उठायेंगे जबतक उन हालात को पैदा नहीं करेंगे तब तक चाहे इधर के लोग या उधर के लोग वर्तमान सिस्टम की गवर्नमेंट में बैठ जायं उससे कोई खास भलाई नहीं होने वाली है। मिसाल के तरीके पर, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेता हूं। आज इसकी बहुत चर्चा होती है कि सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बहुत है। तो क्या करप्शन महज हमारी सरकारी मशीनरी तक ही महदूद है? आज करप्शन समाज के हर प्राणी के अन्दर मौजूद है। अगर किसी को बेईमानी करने का मौका मिलता है, मुनाफा कमाने का मौका मिलता है तो कौन छोड़ देता है?

सरकारी मशीन के लोगों को सोशलिज्म से प्रेम कराया जाय। उनका एक नया समाज बनाया जाय। लेकिन सरकारी मशीन का ढांचा जो है वह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित है। पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के चार गुण हैं जिनमें से एक खास और ग्लेमर है। बड़ा साहब, छोटा साहब? सोशलिस्ट समाज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं बन सकता। सोशलिस्ट समाज में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता अवश्य है लेकिन वहां वह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है! हां, यह अवश्य है कि जिन-जिन मुल्कों में सोशलिस्ट समाज की स्थापना हो रही है या हुई है वहां पर सोशलिस्ट समाज व ब्यूरोक्रेसी में संघर्ष चला है। लेकिन यहां आज तक हमने ब्यूरोक्रेसी को नहीं बदला है। हां, एक बात जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमको काफी बदला है। जब हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो सिस्टम हम पर वार करेगा। ब्यूरोक्रेसी में सब से बड़ा दुर्गुण ग्लेमर का है। उसमें प्रगति की चाल बहुत धीमी होती है और उसके अन्दर जो पुर्जा काम करता है वह शिकायतों से भरा रहता है। हमें अपने शासन को इस चीज को बदलना होगा और इसके लिये अपना कुछ दिमाग लगाना होगा--इधर से भी लगाना होगा और उधर से भी; कोई सुझाव मिलजाय तो उसे मानना होगा कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को रोका जाय। मुझे मालूम है कि इस सिस्टम की ग्लेमर का हम पर भी असर हो गया था, उससे निकलने का यह बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी और सादगी की जिन्दगी बिताने का रेजोल्यूशन यह बताता है कि हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और हम जो सरकारी मशीन से तवक्को करते हैं कि वह सादगी से रहे तो जरूरी है कि हम भी सादगी पर चलें। तो जो कदम उठाया गया है वह उसका रिकग्नीशन है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पर अटैक करने के लिए जिस किस्म की यूनाइटेड लीडरशिप की जरूरत है वह नहीं हो रही है और सरकारी मुलाजिम इस चीज को ठीक तरह से महसूस नहीं करता। जब किसी करप्शन के सिलसिले में किसी पर मुकदमा चलाया जाता है और उस पर इन्क्वायरी होती है तो जितनी पोलिटिक्स एक-एक सरकारी मुलाजिम के बारे में चलती है उससे किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ये तरीके नहीं हैं जिससे करप्शन को दूर किया जा सकता है। कुछ बातें ऐसी पैदा करनी होंगी जिससे जो करप्ट आदमी हैं उसको सपोर्ट न मिले। तो ब्यूरोक्रेसी को बदलने के लिये कुछ हमारे स्टैप्स होने चाहिये और उसकी झलक मुझे कुछ मिलती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस पर सोचेंगे और कोई तरीका निकालेंगे कि कैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बदला जाय।

जो मैंने १० साल का तजुर्बा देखा है उसमें जितने कदम इस सिलसिले में उठाये गये हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला ही हुआ है। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है उससे रिकग्नीशन होता है कि हममें एहसास है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही कोई रास्ता निकलेगा।

इसी तरह से एजूकेशन है। मैं एजूकेशन के बारे में इतना ही सुझाव दे सकता हूं और मैं सहमत हूं अपोजीशन के लीडर के इस विचार से कि बेसिक तालीम के ऊपर ज्यादा रुझान होना चाहिए क्योंकि एजूकेशन का कोई आधार होना चाहिये। मौजूदा एजूकेशन

का कोई आधार नहीं है । उसका एक ही आधार है कि वह मैनुअल लेबर से नफरत करता है, पढ़ने वाले को क्लर्क बनाता है, उसके अन्दर देश की समस्याओं को समझने और उनको सुलझाने की ताकत पैदा नहीं करता । मैं सुझाव के तौर पर यह पेश करूंगा कि ५ प्रिंसिपिल्स के इर्द-गिर्द एजूकेशन का ढांचा बनना चाहिये, पैट्रियोटिज्म, सिटीजनशिप, डिमाक्रेसी, प्लानिंग और सोशलिज्म । जितना साहित्य होना चाहिये, हर किताब शुरू से एक लड़के के अन्दर देश के प्रति निर्माण करने की प्रवत्ति पैदा करे । आज यह दुःख की बात है कि बावजूद १० साल के प्रयत्न के आज भी हमारे देश के राइटर्स का ध्यान देश के निर्माण की तरफ नहीं जा रहा है, देश की समस्याओं की तरफ नहीं जा रहा है । इंडिया की प्राब्लम्स क्या हैं, आज इसके ऊपर कोई किताब नहीं है, इतनी साहित्य की कमी है । हमारे लेखक, कवि और हमारे आर्टिस्ट सारे के सारे जितने हैं, उनका दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा है जो चीज सोशलिस्ट समाज के लिये जरूरी होती है । समाज में लेखक का बड़ा आदर होता है, लेकिन समारे समाज में लेखक का कोई आदर नहीं है । जो लिखता है वह जली-कटी बातें लिखता है । आवश्यकता है कि हमारा लेखक हमें प्रेरणा दें कि हमारा देश क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं । आज जब मैं यहां के स्कूल और कालिजों में जाता हूं, मुझे यह देख कर हैरत होती है कि किसी स्कूल और कालिज में 'इंडियन नेशनल मूवमेंट फार फ्रीडम' पर कोई किताब नहीं है । १९१७ से अब तक का जो इतिहास है, वह कहीं नहीं पढ़ाया जाता । जब तक हमारी इस संतान को हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का ज्ञान नहीं है तो कैसे वह प्रेरणा पैदा हो सकती है ? हमारे हिस्टोरियन तो इस पर लिख नहीं सकते हैं । अपर हाउस में एक हिस्टोरियन थे, जो बड़े फख्र से कहते थे कि जो जीत जाता है हम तो उसी का इतिहास लिख सकते हैं । रिवोल्यूशन की हिस्ट्री वही लिख सकता है जो उसका प्रोडक्ट हो । यह नगण्य सत्य है कि आज हमारे देश में जिस किस्म का साहित्य होना चाहिये और जिस किस्म के राइटर, कवि और आर्टिस्ट होने चाहिये वह हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं ।

हमारा जो बजट है उसको मैंने बहुत गौर के साथ देखा है । हमारे बजट में सोशलिस्टिक समाजवादी राज्य की चर्चा है और चौतर्फा उन्नति की भी चर्चा है और सांस्कृतिक विकास भी है । मैंने सारे बजट को देखा है, यह हो सकता है कि १०/२० हजार रुपया कहीं पड़ा हो, लेकिन कल्चरल विकास के लिये कोई निश्चित रकम नहीं रखी गयी है । कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि शायद पिछड़े हुये देश में कल्चरल विकास के काम ऐग्रीकल्चर के कामों से ढंक जाते हैं । मगर उसकी बहुत जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि जहां हम नव-निर्माण पर खर्च करते हैं, डैम्स पर खर्च करते हैं और बिजली पर खर्च करते हैं वहां हमें एक निश्चित रकम रखनी चाहिये अपने बजट में जो सिर्फ कल्चरल विकास पर ही खर्च हो जिससे हमारे देश के राइटर्स में एक चेतना पैदा हो, हमारे यहां के कवियों तथा लेखकों में चेतना पैदा हो । इस लिये हमें अपने बजट के ढंग को आज बदलना होगा, हमें अपनी शिक्षा के ढंग को भी बदलना होगा । इस तरह से मैं समझता हूं कि इस दिशा में अगर हमारा प्रयत्न शुरू हो तो हमारी व्यवस्थित उन्नति हो सकती है ।

जहां तक महकमों का ताल्लुक है, उसमें मेरा विश्वास है कि जो मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रेलाइज करना चाहिये । मुझे बड़ी खुशी है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट आ रहा है उसमें शायद इस बात की चर्चा है । मेरा मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर प्लानिंग बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह को मिलाकर काफी पावर्स दी जांय और हर कागज जो सरकार में आता है कि तकावी कैसे वसूल की जाय, वर्षा हुई है या नहीं, इन बातों को दूर किया जा सकता है । अगर डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी जायंगी तो जो सरकार में देर होती है वह भी दूर हो जायगी ।

इसी तरह से, डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे यहां के इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में भी आमूल परिवर्तन होने की जरूरत है । यह जरूर है कि मौजूदा इनफार्मेशन डिपार्टमेंट काफी मैटीरियल

[श्री गोविन्दसहाय]

देता है। कुछ बातें जो माननीय नेता विरोधी दल ने बताई वह इसकी किताबों में मिलती हैं और उनमें लिखा रहता है, जैसे हमारे यहां की किताबों में लिखा रहता है, कि लोग गोबर को उपले बना कर जला देते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हल नहीं निकालते हैं। आजकल हमारे इनफार्मेशन विभाग का काम बहुत बढ़ गया है। हमारे सोशलिस्टिक समाज में उसका काम यह है कि वह लोगों को राज्य के कार्यों से तथा पालिसीज से वाकिफ कराये और सरकारी पुर्जों को वाकिफ करे कि गवर्नमेंट की पालिसी क्या है। इसलिये इसमें परिवर्तन की जरूरत है। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आशा करता हूं कि इनफार्मेशन मिनिस्टर और ऐजूकेशन मिनिस्टर, जो काफी काम में दिलचस्पी लेते हैं, जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखेंगे। मेरा ख्याल यह है कि इनफार्मेशन विभाग का काम बहुत फैलेगा तो हमें अपने यहां के साहित्य को भी बदलना होगा और हमें देखना होगा कि हमारी स्टेट क्या है और हमारे यहां के क्या प्राबलम्स दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हैं।

एक दो डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको मैं व्यर्थ का समझता हूं। एक हमारे यहां पी० डब्ल्यू० डी० विभाग है। मैं आप से कोई कही सुनी बात नहीं कहता हूं। जब मैं उसकी हालत सुनता हूं तो पता चलता है कि अगर इस विभाग का नाम प्लंडर विदआउट डेंजर रख दिया जाय तो ठीक होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विभाग में बड़ा करप्शन है। हमारे यहां के हर विभाग में करप्शन नहीं है। पुलिस में जो पहले करप्शन था वह अब बहुत कम हो गया है और कोअर्शन नहीं है। पुलिस विभाग से यह करप्शन सिविल सप्लाइज में आया है और वहां से फिर यह पी० डब्ल्यू० डी० में घूमा है क्योंकि आजकल सरकारी माल से लोगों का प्रेम नहीं होता है। हर आदमी सीमेंट चाहता है। मेरे पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं आता है जो सही काम कराना चाहता हो। आजकल के समाज में लोगों के सोचने का ढंग ही ऐसा हो गया है कि कोई काम बिना सिफारिश के नहीं हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा लड़का जो थर्ड डिवीजन है उसका यह काम नहीं हो सकता है तो वह कहता है कि तभी तो सिफारिश चाहता हूं। इस समाज में कोई सुरक्षा नहीं है। इस समाज में कोई न्याय नहीं, इस समाज में कोई सरकारी माल नहीं। सरकार के माल की चोरी करने में लोगों को जरा भी हिचक नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि जो हमारे कांस्ट्रकशन्स होते हैं उनकी जिन्दगी कम होती है। मैं अपने जिले की एक आध मिसाल देता हूं। अभी दो साल पहले मेरी कांस्टीटुएन्सी में एक इमारत बनी और दो साल के बाद वह चूने लगी। अफजलगढ़ के इलाके में ट्यूबवेल बने और उनमें डीजल इंजन लगाये गये और उन डीजल इंजनों को चलाने के लिये नान-टेक्निकल आदमी मुकर्रर किये गये। नतीजा यह हुआ कि वे सारे के सारे इंजन खराब हो गये क्योंकि डीजल इंजन को चलाने के लिये वक्त पर तेल देना चाहिये, वक्त पर सफाई करनी चाहिये, वक्त पर और जो जरूरी काम हों वे करने चाहिये। लेकिन उनको चलाने वाला आदमी नान-टेक्निकल था, वह कहता है कि यह सब मुझे पढ़ाया नहीं गया। दो साल बाद यह पता चला कि टेक्निकल आदमी रखना चाहिये और वह कागज अभी यहीं घूम रहा है कि टेक्निकल आदमी रखा जाय या न रखा जाय। तो यह बातें क्यों हो रही हैं? एक सोशलिस्टिक स्टेट के अन्दर मिनिस्टर्स को डेस्क वर्क ज्यादा करना चाहिये घूमने के बजाय। उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो लूपहोल्स हैं उनको उन्हें दूर करना चाहिये। मेरा बड़ा खुशनसीब जिला है जिसके दो मिनिस्टर्स हैं। फिर भी अगर यही बातें होती हैं तो मैं यही कहूंगा कि लोगों में डर नहीं है। जिस राज्य में डर और मुहब्बत नहीं है वह राज्य पनप नहीं सकता। आज हमारी आंखों के सामने ऐसे वाकयात हों और हमको पता भी न हो तो इससे जो नुक्सान होता है वह समाज का नुक्सान है। हम उस जिमेदारी से बच नहीं सकते।

यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार का बजट बढ़ रहा है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि डेफिसिट फ़िनैन्सिंग कोई बड़े गुनाह की बात होती है। सोशलिस्ट सोसायटी में डेफिसिट फिनैंसिंग होती है। डेफ़िसिट फ़िनैन्सिंग अगर महज डेफिसिट फिनैन्सिंग के लिये की जाय तब तो बुरा है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा काम बढ़ता है और उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है तो डेफ़िसिट फिनैन्सिंग कोई बहुत बड़ी प्राब्लेम पैदा नहीं करती है। हमारा जो सारा टोटल है उस नजरिये से हमको देखना होगा। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूं कि कोई ऐसी बात हो जिससे जरा भी मिसअन्डरस्टैंडिंग हो। मैंने बहुत इम्पर्सनल तरीके से सोचने की कोशिश की है। एक नये समाज के बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। जहां कांग्रेस पार्टी को यह श्रेय मिला है कि देश की आजादी की लड़ाई को उसने सफल बनाया वहां दूसरी तरफ इस बात की भी जिम्मेदारी हमको मिली है कि आजादी के बाद जो एकोनामिक फ्रीडम होती है उसको हासिल करें। कुदरती बात है कि जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसमें जैसा कि मैंने बताया हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा, आदि ये सारी की सारी हमारी मददगार होने के बजाय अभी हमको पकड़ कर बैठी हुई हैं और उसको बदलने के लिये जिस आबहवा की जरूरत है, जिस दृष्टिकोण की जरूरत है उसके लिये हम सबको मिल कर प्रयत्न करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं यह भी देखता हूं कि देशों को आजादी मिला भी करती है और छिन भी जाया करती है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से मुल्कों की आजादी अभी महफूज नहीं है, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। रात आजाद सोते हैं लेकिन सबेरे उठते हैं तो आजादी छिन जाती है!

मुझे इस बात का फख्र है कि १० साल में बहुत बड़े-बड़े काम भी हुये हैं। दुनिया के अन्दर इतना बड़ा रिहैबिलिटेशन का प्राब्लम नहीं आया जितना इस मुल्क के सामने था। ऐडमिनिस्ट्रेशन इतनी तेजी से नहीं टूटा जितना अंग्रेजों के जाने के बाद यहां टूटा। मुझे इन सब बातों का फख्र है, लेकिन जहां मुझे लेकुना दिखाई देता है मेरा फर्ज है कि मैं निर्भकिता के साथ उसे दिखाऊं। सिर्फ करप्शन करप्शन चीखने से काम नहीं होगा। करप्शन कोई सरकारी मशीनरी से दूर नहीं हो सकता। चोरी महज एक पुलिस के कांस्टेबिल की वजह से इतने बड़े हल्के में दूर नहीं हो सकती। बाप बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो एक कांस्टेबिल इतने बड़े हल्के की जिम्मेदारी ले ले यह नामुमकिन है तो बजाय चोरी पुलिस कांस्टेबिल के जरिये से खत्म करने के अगर हम ऐसा समाज पैदा करें जिसमें चोर पैदा ही न हों तो उससे चोरी अपने आप खत्म हो सकती है। इस नजरिये से सोचने के बाद जो कुछ सुझाव मैंने इशारतन दिये हैं मैं इस मुगालते में नहीं हूं कि उनसे एक दिन में दुनिया बदल जायगी। मैं जानता हूं कि सारे संसार में मुल्कों में समाजवाद को आने में तीस-तीस पैंतीस-पैंतीस साल लगे तो हमारे देश में भी वक्त लगेगा जब हम सब मिल कर उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। इसलिये उसको करने के लिये मैं आशा करता हूं कि सरकार अपने एजूकेशन के सिस्टम में और मौजूदा प्लानिंग के सिस्टम में परिवर्तन करे। मुझे प्लानिंग की थोड़ी बहुत जानकारी है। प्लानिंग के काम में काफी तरक्की भी हुई है सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, लोगों को उससे फायदा भी हुआ है, लेकिन दूसरी बात भी सही है कि बेचैनी भी बढ़ी है। यह भी सही है कि हमारे प्राबम्लस आम आदमी तक नहीं पहुंचते। मैंने एक बड़े अच्छे प्लानिंग सेन्टर पर जाकर देखा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग दातून करते हैं तो मुझसे उनके आफिसर ने कहा पूछ लो। उन लोगों ने कहा कि हमें आदेश नहीं मिले हैं। लोगों की सेहत अच्छी बनाई जा सकती है बेकार पैसा देकर ही नहीं बल्कि लोगों में यह भावना पैदा करके भी उसको किया जा सकता है कि गांवों में लोग रोजाना दातून करें और रात को तेल और नमक करें। इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं बल्कि हेल्थ कान्शंस बनाने की जरुरत है। हमारे प्रोजेक्ट्स अस्पताल

[श्री गोविन्दसहाय]

खोलने की तरफ ज्यादा है बनिस्बत उनको हेल्थ कान्शस बनाने के और इसलिये कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम को ऐसा बदला जाय कि वह चीज आम लोगों तक पहुंचाई जाय ।

मैं समझता हूं कि अगर इस आमूल परिवर्तन की ओर प्रयत्न करेंगे तो हम एक-एक पैसा जो खर्च करते हैं वह हजार-हजार पैसे होकर लौटेगा । बजट की खूबी महज बजट के आंकड़ों से ही नहीं होती, महज उसके एलाटमेंट से ही नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि जो एक-एक पैसा उसमें खर्च किया जाता है वह एक-एक पैसा इन्सान की सेहत को अच्छा बनाने में, उसकी आत्मा को उन्नत करने में, उसका सांस्कृतिक विकास करने में, उसका मानसिक विकास करने में सहायक हो और इस नजर से जब हम देखते हैं तो हमारा खर्चा उतना अच्छा नतीजा नहीं दिखाता है जितना दिखाया जा सकता है । इसलिये अगर कहीं गलती है तो प्रगतिशीलता यही है कि उसको कबूल करें क्योंकि सोशलिस्टिक दुनिया में हर जगह जहां कोई गलती हुई है कि उनके क्लेक्टिव फार्मिंग का तरीका गलत है या प्रोडक्शन का तरीका गलत है तो उन्होंने उसको कबूल किया है । साहस के साथ इन कदमों को उठाना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि इन कदमों से हम जितना फायदा उठाना चाहते हैं वह फायदा हमें मिल सकता है ।

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे काफी मौका दिया और मैं अब आपकी कृतज्ञता का नाजयज फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि मेरा हक इतनी देर तक बोलने का नहीं है । मुझे आपने ज्यादा मौका दिया लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बजाय ज्यादा डिटेल में जाने के जेनरल तरीके से मैं अपने सुझाव दूं । इसमें किसी की नीयत का सवाल नहीं है । मैं नहीं मानता हूं कि किसी की नीयत है कि गरीबी बढ़े या भ्रष्टाचार बढ़े । किस को खुशी हो सकती है ? बुरे से बुरे राज्य भी यह नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार बढ़े, गरीबी बढ़े । मैंने अपोजीशन लीडर साहब की स्पीच को सुना उसमें मुझे डिजीज का डिस्क्रिप्शन तो मिला लेकिन डाइग्नोसिस नहीं मिला और न उसका इलाज मिला । मैं चाहूंगा कि इस वक्त यह वक्त है, बलिहाज इसके कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को थोपा जाय, यह सोचें कि अगर यह बातें समाज के अन्दर हो रही हैं तो किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है । हम सब मिल कर सही माने में अगर ऐसा सोच सकें तो सही मानों में सोशलिज्म की बुनियाद यहां पर रख सकेंगे वरना यह नया तजुर्बा जो हम पार्टी गवर्नमेंट के जरिये से , एक नये बजट सिस्टम के जरिये से कर रहे हैं, यह महंगा सौदा है । इसको सब की मदद से पूरा किया जा सकता है । मैं आशा करता हूं कि चाहे उधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों इस प्रश्न पर इस तरीके से सोचेंगे कि इस इतिहास ने हमको एक काम सौंपा है इस पार्लियामेंटरी सिस्टम के जरिये। अगर हम उस इतिहास की आवश्यकता की पूर्ति कर सके तो इस इतिहास में एक चैप्टर जोड़ने में हम सफल होंगे ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के भाषणों के लिए समय निर्धारण

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)––श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब समय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि यहां पर और बाकी जितने विरोधी दल के नेता भाषण दें उनको २० मिनट दिया जाय और बाकी सब के लिये १५ मिनट रखे जायं ।

श्री उपाध्यक्ष––सबेरे माननीय अध्यक्ष के सामने एक सुझाव आया था कि पार्टी नेताओं के लिये आधा घंटा और अन्य लोगों के लिये १५ मिनट रखे जायं । माननीय अध्यक्ष ने उस समय कहा था कि इस पर बाद को विचार कर लिया जायगा । उस समय कोई समय का बन्धन नहीं रखा था । अब आप अगर पाबन्दी लगाना चाहते हैं तो एक सुझाव माननीय वीरेन्द्र शाह ने सामने रखा है उस पर विचार हो सकता है ।

श्री गौरीशंकर (जिला बलिया)––समय के सम्बन्ध में विभिन्न दल समय नियत करने के लिये सहमत है। जो विभिन्न दलों के नेता है उनको ३० मिनट दिया जाय और बाकी लोगों को १५ मिनट दिये जायं।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)––मेरा सुझाव यह है कि विरोधी दल की तरफ से या ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से बोलने वाले हों सब को बराबर टाइम मिलना चाहिये। मैं प्रपोज करता हूं कि वह समय २० मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––मेरे सामने दो सुझाव हैं। एक तो यह कि प्रत्येक विरोधी दल के नेता या दूसरे दल के नेता को बोलने के लिये आधा घंटा और बाकी दूसरे लोगों को चाहे वह किसी भी दल के हों १५ मिनट का समय दिया जाय। मैं समझता हूं कि श्री खूब सिंह राजा वीरेन्द्रशाह के प्रस्ताव से सहमत होंगे और अपना २० मिनट का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री खूबसिंह––मैं उसको वापस लेता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह––जो संशोधन रखा गया है मैं भी उससे सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष––पार्टी के नेता के लिये आधा घंटा और बाकी सबके लिये १५ मिनट का समय देना निश्चित हुआ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

†श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) (जिला मुरादाबाद)––मोहतर में सदर,...

श्री उपाध्यक्ष––सदन में हर सदस्य के भाषण शुरू करने से पहले कुछ बातचीत होने लगती है। यह अनुचित है। जो लोग बातचीत करना चाहते है उनके लये लाबी उपयुक्त स्थान है।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)––मोहतरमें सदर, हमारे वजीर मालियात ने जो अपनी बजट स्पीच फरमाई उसको मैंने बड़े गौर से सुना। बाजऔकात मेरी तवज्जह सुनने से बटती भी रही और मैं यह महसूस करता रहा कि शायद जो स्पीच हम लोगों को जिस जबान में बाटी गयी है वह उस जबान में नहीं है और उस वक्त मैं यह दिक्कत महसूस करता रहा कि वह एक वर्क से दूसरे वर्क की तरफ लौट रहे हैं। बहरहाल, मैं उसको सुनता रहा और पढ़ने के बाद समझा उन तमाम वायदों के बावजूद जो बजट में किये गये हैं बड़े अच्छे हैं। लेकिन दरअसल अगर देखा जाय तो उन वायदों के सिलसिले में जो चीज होनी चाहिये थी वह बजट में कुछ नहीं है बकौल किसी के कि "पहुंचना बांत को मजलूम के मुश्किल ही होता है, कभी कादी नहीं मिलते, कभी काफिर नहीं मिलता।" बिलकुल इसी शेर की तरह से हमारा बजट है कि हमारी सरकार और वजीर मालियात पनाह ढूंढ़ते रहे हैं कि खिसारे वाले बजट को किसी तरह से जस्टीफाई कर सकें और टैक्स लगाने का कोई ऐसा बहाना तलाश कर लें कि जिसमें हाउस और जनता को एतराज न हो सके और यह बजट बजट की हैसियत से पास हो जाय। इसलिये मिसाल दी गई कि बंगाल का बजट देखिये, पंजाब का बजट देखिये और फलां जगह के बजट देखिये। जितना वहां टैक्स है उसके लिहाज से हमारें सूबे में कुछ भी टैक्स नहीं है या बहुत कम है। मैं अर्ज करूंगा कि कैराला का भी बजट उनको देखना चाहिये जहां टैक्स कुछ भी नहीं और सरप्लस बजट है। इसलिये महज बंगाल और पंजाब के बजटों को ही देखना एक तरह से बेइंसाफी होगी। बजट से पूरे साल का अन्दाज होता है कि किस तरह से जनता के रहन-सहन के खर्च को, गवर्नमेन्ट चलावेगी। सालभर का चिट्ठा हमारे सामने आता है। जैसा हमारे श्री गोविन्द सहाय जी ने फर्माया

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हलीमुद्दीन]

मैं उनसे सहमत हूं कि इस बजट में अखलाकी हालत के लिये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप रुपया पैदा करिये और उसे खर्च करिये। लेकिन इसके अलावा और भी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट के ऊपर है, जैसे कि अखलाकी हालत के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। रुपया खर्च करने में एक आदमी गलत और अच्छी दोनों जगह जा सकता है। हमारे बजट में इस तरह की कोई रोक नहीं है कि हमारी जनता के हित में गलत बात पर रुपया खर्च न करें। भ्रष्टाचार इसी वजह से ज्यादा है कि जिन चीजों पर वह न होना मबनी है वह हमारे अन्दर से इस कदर गायब हैं कि वे कहीं नहीं मिलती हैं। हमारे अन्दर ईमानदारी का जज्बा नहीं है। और जगह हमने देखा है कि दूकानदार चला जाता है, दूकान खुली रहती है, वह अपना काम कर आता है मगर उसकी कोई चीज भी गायब नहीं होती है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। इसकी वजह है कि हमारे अन्दर ईमानदारी और बेइमानी का कोई इम्तियाज नहीं है। हम रिश्वत को रिश्वत नहीं कहते और जैसा श्री त्रिलोकी सिंह जी ने फरमाया है, जब दावा करो तो फौरन १ रुपया या २ रुपया रिश्वत ली जाती है और रिपोर्ट लिखने में भी रुपया २ रुपया लिया जाता है। लेने वाला कहता है कि हमारा हक लाओ, वह यह नहीं कहता कि रिश्वत लाओ। जहां हम रिश्वत को हक कहने लगें तो वहां इस भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं समझा जाता है। बजट में इस पर कोई रोशनी नहीं है और इसका अफसोस है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस तरफ एक दफा तवज्जह दिलाई थी कि प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसके साथ-साथ अगर हमने अखलाकी हालत की तरफ तवज्जह नहीं की तो बजाय इसके कि हमारी जिन्दगियां अच्छी हों और खराब हो जायंगी।

हमारे बजट में प्लानिंग है। लेकिन प्लानिंग के साथ-साथ दूसरा पहलू डिस्प्लानिंग का भी है और उस पहलू को सुधारने की कतई कोशिश नहीं की गयी है। जहां हम यह समझें कि वाकई अखलाकी हैसियत से कोई तामील या तरबियत दी जा रही है, वहीं वजह देख रहा हूं कि जिसकी तरफ मेरे लायक दोस्त श्री त्रिलोकी सिंह ने इशारा किया। यू० पी० भर में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां बेसिक एजूकेशन, जो गांधी जी ने कायम की थी, होती हो। हमने उन अच्छे पहलुओं को पसे पुश्त डाल दिया है। सिर्फ इतना हमारे सामने है कि हम प्लानिंग करलें, मकानात बना लें, तरह-तरह के डैम्स बना लें और वह भी ऐसे हों कि कहीं पर दराज पड़ जाय, कहीं पर कुछ हिस्सा गिर जाय और अड़ोस-पड़ोस के गांव साफ हो जायं। ऐसी प्लानिंग अपनी जगह पर मुफीद नहीं होती। अखलाकियात की तरफ भी हमें तवज्जह देनी चाहिए।

कांग्रेस की हुकूमत इस सूबे में दस साल से कमोबेश, बरसरेइक्तदार है और इस दस साल के अर्से में, जैसा कि शुरू में ही, बजट स्पीच में, मैं आपकी इजाजत से गुजारिश करूंगा, मेरे पास इंग्लिश में है, मुझे इजाजत दे दें--To increase the tempo यह अल्फाज है बजट की स्पीच के जो हाउस के सामने पेश की गयी है

"To increase the tempo of development activities in the State in order to ensure that the full benefits of the State Second Five-Year Plan, in the shape of improved standard of living and elimination of inequalities in the distribution of wealth, become available to the common man immediately"

तो जहां दस वर्ष के बाद इनक्रीज्ड टेम्पो तक ही मौजूद है वहां आप क्या कर सकेंगे? आज तक क्या कर सके हैं, आइन्दा क्या करेंगे, यह यकीनन काबिलगौर है, हाउस के लिए और जनता के लिए भी। जनता ने तो गौर करके फैसला भी दिया है जो हाउस के सामने और बिलखसूस ट्रेजरी बेंचेज के सामने है। अगर दस साल तक हम इन्क्रीज्ड टेम्पो तक ही महदूद रहे और कभी यह न कहा कि हमने टेम्पो को अपने ऊंची से ऊंची जगह पर

पहुंचा दिया है तो यकीनन आप का बजट फेल्योर है। किसी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सूबे की भलाई के लिए हो सकता है।

बजट में बतलाया गया है कि ११ करोड का खसारा होगा। उसको पूरा करने के लिये कुछ केन्द्रीय गवर्नमेंट से तवक्कात रेवेन्यू की गयी है। पता नहीं मिले या न मिले। खुदा करे मिल जाय। नहीं, कहीं एक मर्तबा फिर इस सिलसिले में एक बजट न पास करना पड़े कि यह पैसा नहीं आया अब क्या हो। इस ११ करोड़ के खसारे में से एक करोड़ के खसारे के मुताल्लिक तो यह बतला दिया गया है कि फलां जगह से, फलां जगह से, फलां जगह से आ जायेगा। लिहाजा हम समझ लें कि वहां से आ जायगा। जब पहले से ही हमारी रेवेन्यू फंड की तरफ नजर लगाये रखते हैं कि हम उससे पूरा कर लेंगे तो वह बजट डिफेक्टिव बजट है।

जहां तक हमारी हुकूमत के इस नजरिये का ताल्लुक है कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न पर काम करना चाहती है मैं समझता हूं कि या तो वह खुद धोखे में है या हमें धोखा देना चाहती है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां वह सोशलिस्टिक गवर्नमेंट होने की वजह से रुपया ले सकते हैं। मैं तवज्जह दिलाऊंगा अभी यहां की आराजियात, हमारे सूबे की मिल्कियत हैं किसी और सूबे की या केन्द्रीय सरकार की मिल्कियत नहीं है। लेकिन हम आराजियात के मुताल्लिक जो इवाकुई ऐग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, शायद हमारी सरकार की नजर नहीं गयी, उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इवाकुई प्रापर्टी होने के बाद कुछ केन्द्रीय सरकार का हक हो जाता है, वह उस लगान को वसूल करे जो उन जमीनों का है। लगान को वसूल किस तरह से किया जाता है यह शायद न वजीरे माल को मालूम हो और न फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। हो यह रहा है कि जहां हैरिडैटरी राइट्स हैं उनको २०० गुना, ४०० गुना बढ़ा कर कायम किया जा रहा है और वह रकम अगर जोड़ी जाय तो कम से कम २, ढाई करोड़ से कम नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार को जाती है। तो जो रकम हमारी होनी चाहिये या जिसमें का कुछ हिस्सा हमें मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि ऐसी आराजियात के मुताल्लिक वजीरे माल कहीं अपने नोट्स में इस प्वाइंट को लिख लें और इस चीज की कोशिश करें कि जो रकम हमको मिलनी चाहिये वह केन्द्रीय सरकार के पास न जाय।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है मुझे अफसोस है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहां बनाई जा रही है जहां सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज हैं। यह चीज भी यहां की जनता के लिये बहुत गलत है इसलिये कि यहां पर बहुत सी ओरिजिनल इंडस्ट्रीज हैं, चीजें हैं, मसलन मुरादाबाद की ब्रासवेयर की इंडस्ट्री जो सारी दुनिया में मशहूर है और जहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट जरूर बनायी जानी चाहिये थी। लेकिन हमारी सरकार को इसका इल्म नहीं है, ऐहसास नहीं है कि वहां के कारीगरों की हालत ऐसी गिरी हुई है कि जो लोग आप को अच्छे से अच्छे बर्तन बना कर देते हैं वे मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। तो सरकार को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जहां ओरिजिनल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जाय।

जहां तक कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें बड़ी इकानोमी हो सकती है इकोनामी कमेटी जो बनायी जाने वाली है उसके बारे में जो बजट में सुझाव दिये गये हैं वे बड़े नामुकम्मिल हैं। आप ऐसे आदमियों को बैठा रहे हैं जिनके ऊपर खुद असर पड़ने वाला हो और वह यह चीज देखें कि उनको कितना रुपया दिया जाय। उसमें सब से बड़े अफसर हैं। कौन चाहेगा कि उनकी तनख्वाह २ हजार के बजाय १ हजार कर दिया जाय? मेरे ख्याल से उसमें लेजिस्लेचर के मेम्बर भी होने चाहिये ताकि वे देख सकें कि वाकई कहां कितना, कितना खर्च किया जा सकता है। सिर्फ हेड्स आफ़ डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देना, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

†श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में करीब करीब १० मर्तबा से ज्यादा ऐसे मौकों पर अपने ख्यालात के जाहिर करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर दफा जब-जब भी बजट पेश होता रहा मैं अपनी पार्टी का मशकूर हूं कि उसने मुझे नहीं रोका और मैं बजट की खामियों पर दिल खोल कर बोलता रहा...

श्री उपाध्यक्ष—आपकी इस बात से ऐसा मालूम होता है कि जैसे पार्टियां किसी माननीय सदस्य को रोका भी करती हैं। ऐसी बातें हाउस में नहीं आनी चाहिये, इससे सदन की प्रतिष्ठा कम होती है।

श्री खूब सिंह—एक बात तो खत्म हो गई। अब दूसरी सुन लीजिये। इस मौके पर जब कि अपनी सरकार ने यह बजट पेश किया है न सिर्फ मैं खुश हूं बल्कि मुझे यकीन है कि इस सदन के ज्यादा मेम्बरान इस बजट को देख कर खुश होंगे। मैं तहेदिल से इस बजट का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां मैंने कई नोवेल स्पीचेज सुनीं जिनकी कोई तवक्को नहीं थी। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उनकी बाबत कुछ अर्ज कर सकूं लेकिन यह जानकर मुझे ताज्जुब हुआ कि कच्ची नालियां ट्यूब वैल की पक्की नालियां बन जायं और पानी उन नालियों में उतना ही चले जितना कि कच्ची नालियों में चलता है। नाली पक्की कर दी लेकिन पानी नहीं बढ़ा, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं हुई है और मुझे यह जान कर भी ताज्जुब हुआ कि जो मुकाबिला किया गया मुख्तलिफ टैक्सेशन के मामलों में किया गया, तरक्की के मामले में किया गया और एक्सपेंडीचर के मामले में भी किया गया, यह कहा गया कि पर हंड्रेड आदमियों के पीछे पुलिस का इतना आदमी होता है, इंग्लैण्ड में यह होता है, फ्रांस में यह होता है, मैं नहीं जानता कि दो सौ, ढाई सौ साल से आजाद मुल्कों के हाथ हमारा मुकाबिला कैसे किया जाता है। अगर मुकाबिला करना है तो दो सौ, ढाई सौ साल बाद देखियेगा कि यहां क्या है और वहां क्या है। लेकिन आज हम किस तरह से उनका मुकाबिला कर सकते हैं? मुझे यह जान कर भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिले के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी कोआर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। तहसीलदार का, ऐग्रीकल्चर आफिसर का, प्लानिंग आफिसर का सबका सीधे सरकार से सम्बन्ध हो जाय, कलेक्टर की बीच में कोई जरूरत नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से यह हाउस के सामने बात लायी गई और क्या इसका मकसद था।

मैं एक बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के सामने कहना मुनासिब समझूंगा और वह यह है कि इस बजट में बेश्तर हिस्सा तो हमारे फाइव ईयर प्लान का है। अगर हम यह कहते हैं कि यह सोशलिस्टिक बजट नहीं है तो हम यह कहते हैं कि फाइव ईयर प्लान जो हिन्दुस्तान का है वह सोसाइटी को समाजवादी ढांचे में ढालने के नुक्तेनजर से हो ही नहीं सकता। अगर यह बात सच है तो आज हम यह कह सकते हैं कि यह बजट सोशलिस्टिक किस्म का नहीं है। अगर यह बात गलत है तो यह भी गलत है। अब उसे भी देख लीजियेगा। जहां तक हमारे फाइव ईयर प्लान का ताल्लुक है, जितने बड़े-बड़े काम गवर्नमेंट कर रही है वह किसी इंडिविजुअल को नहीं दे देगी। वह भी समाज के होंगे या स्टेट के होंगे और जितने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं वह भी समाज के ही होंगे। हमने सीमेंट की फैक्ट्री रखी थी पहले फाइव ईयर प्लान में, वह किसी इंडिविजुअल को नहीं दे दी। हम प्राइवेट आदमियों को सम्पत्ति को बढ़ाने या उनको देने से जो कम्प्लीकेशंस पैदा होते हैं उनको चाहते ही नहीं हैं। हम तो समाज की चीजें चाहते हैं, समाज का काम चाहते हैं और समाज के लिए चाहते हैं। हमारा सारा फाइव ईयर प्लान उस पर बेस्ड है और इस बजट का बेश्तर हिस्सा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह बजट अगर सोशलिस्ट बजट नहीं है तो और कौन सा बजट सोशलिस्ट बजट होगा।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खुशकिस्मती यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस उसूल को मान लिया कि जो आदमी ७० साल का हो जाय, बूढ़ा हो जाय और उसके पास कोई साधन न हो तो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले ली है अपने ऊपर कि यह गवर्नमेंट उसकी फीड करने की जिम्मेदार है। हिन्दुस्तान में यह पहली गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने एक बहुत बड़ा कदम समाज को सोशलिस्ट ढांचे में ढालने के वास्ते उठाया है। अगर हम इतनी बड़ी बात पर भी खुश नहीं हो सकते तो हम कभी किसी बात पर खुश नहीं हो सकते और हमारा दिमाग बिगड़ गया है। हम दिन को दिन और रात को रात नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन की बात है। किसी ने कोई सलाह नहीं दी कि नये किस्म की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। हमें इंजीनियरों की जरूरत है, टेक्निकल आदमियों की जरूरत है, तो हमें साइंस पढ़ने के वास्ते लड़कों को भेजना ही पड़ेगा। तो क्या आज जिस तरीके से साइंस को लड़के पढ़ते हैं, जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है उसको बदलने की जरूरत है? कैसे बदलें, यह कोई नहीं बताता। यह कहना तो बड़ा आसान है कि मौजूदा सिस्टम बड़ा फाल्टी है, बड़ा गलत है। लेकिन कोई शख्श कोई तस्वीर बनाकर नहीं रखता। हम तर्जुबा कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसी चीज तो नहीं है कि एक दिन में उठा कर बना दिया और एक दिन में बिगाड़ दिया। बनाते बनाते ही कोई ढांचा बनेगा। उसके बाद में कोई अच्छा ढांचा समझ में आ जायगा तो उसको हम बनायेंगे। आज हम इम्प्रूव कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें कही गई हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक, करप्शन के मुताल्लिक और दूसरी चीजों के मुताल्लिक। इन बातों का रोज-रोज कहना क्या है? करप्ट तो हमारा सारा समाज है और जब तक रहेगा तब तक हम मर नहीं जायंगे। हमारी औलाद की जो औलाद पैदा होगी उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह करप्ट न हो। अंग्रेजों के जमाने के हम पैदाशुदा हैं, उन्हीं के जमाने में तालीम पाई। जमींदारों का हमने जमाना देखा जिसमें जिसका गला चाहा काट लिया और जिसको चाहा लूट लिया। सारी उम्र तो हमारी ऐसे जमाने में बीत गई और हमसे कोई उम्मीद करे कि हम १०० फीसदी प्योर हो जायं तो यह कैसे मुमकिन है? प्योर होते होते ही प्योर होंगे। फिर सरकारी नौकर भी इसी समाज से निकलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांस्टीट्यूशन में जो न्याय की पद्धति है डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर तब तक तो न्याय में देर लगेगी और अगर इसमें जल्दी करना चाहते हैं तो जो हमारे यहां इंग्लिश सिस्टम आफ जस्टिस है उसे खत्म कर दिया जाय और चायना वाला पीपुल्स जस्टिस ले लिया जाय जहां शोहरत पर या सिर्फ हाथ उठा कर जिसे चाहा शूट कर दिया, जिसे चाहा छोड़ दिया। उसमें जोर होगा, जुल्म होगा और बेइंसाफी होगी और अच्छे नतीजे नहीं होगें, लेकिन जो तरीका इस वक्त है इसमें प्रेम है, इंसाफ है, अपील के बाद अपील है और दिल की भड़ास निकाली जा सकती है। लेकिन इस सिस्टम में देर अवश्य है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब जरूर है लेकिन खराबी निकालने में देर लगेगी।

अब मैं अपने मतलब की बात पर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सोशलिस्ट समाज में ढालने वाली बात भी है, हर एक महकमे को दुरुस्त करने की बात भी कही गई है। रिआर्गनाइजेशन भी हो रहा है। देरी से जो काम होता है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ मुहकमे ऐसे हैं जिनकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह नहीं जाती। एक साल पहले भी मैंने जिक्र किया था, उससे पहले भी किया था, गवर्नर महोदय का भाषण हुआ था उस समय भी किया था लेकिन गवर्नमेंट ने उसके मुताल्लिक कोई तवज्जह नहीं दी। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट या तो यह समझती है कि बच्चे आते हैं और अपनी सुना कर चले जाते हैं या फिर मेरे कहने में कुछ कमी रह जाती होगी।

[श्री खूबसिंह]
आपके गन्ने का जो महकमा है इसका ताल्लुक ७४ फीसदी आदमियों से है। इसकी तरफ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिये उतनी तवज्जह इसकी तरफ नहीं दी जाती। ऐसे आदमियों के हाथ में यह महकमा छोड़ा गया है जो काश्तकारी के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। गन्ने के महकमे को डील करने के वास्ते वही आदमी बेहतर है जो उनकी शिकायतों, तकलीफों व आदतों से वाकिफ हो। जो समझ सके कि काश्तकार कितना पढ़ा लिखा व तहजीबयाफ्ता है। काश्तकार से यह तवक्को करना कि पहले वह इजाजत लेगा और जब हुक्म होगा तब वह कमरे में आये और कुर्सी पर बैठेगा और जब साहब की फाइल बन्द हो जायगी तब अपनी बात कहेगा, कहां तक मुनासिब है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि गन्ने के महकमे की हालत बहुत खराब है। मैं बिजनौर जिले से आता हूं। गन्ने के महकमे की जितनी शिकायतें मेरे पास आती हैं उतनी सब मिला कर दूसरे महकमों की नहीं होती। डी० सी० ओ० और ए० डी० सी० ओ० की बड़ी बड़ी शिकायतें मेरे पास आती हैं। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी गन्ने के महकमे की तरफ आपकी तवज्जह नहीं जाती। मैं ठाकुर साहब से अर्ज करूंगा कि इतनी लिबरल पालिसी से काम नहीं चलेगा जैसी हमारे मंत्री महोदय की पालिसी है। सख्ती होनी चाहिये और अगर ज्यादा सख्ती नहीं हो सकती है तो गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस तरफ तवज्जह दे और कोई तरीका निकाले।

इन अल्फाज के साथ मैं जनरल अप्रूवल बड़ी खुशी के साथ इस बजट को देता हूं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय एवं सदन के साथियो, मैं आपके सामने पहली बार बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यहां सिर्फ चेयर की तरफ संबोधन किया जाता है, सदन के साथियों को नहीं।

श्री भजनलाल--क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे सदन में बोलने का पहला अवसर मिला, इसलिए मुझ से जो कुछ भी टूटे-फूटे शब्द निकल जायं तो मैं आशा करूंगा कि क्षमा किये जायंगे।

मैं कुछ कहने के पहले यह मुनासिब समझता हूं कि जिस जनता ने अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हमें सदन तक पहुंचाया है उसकी आवाज मैं आपके सामने रखूं। औरैया, इटावा जिले में एक कस्बा है जिसकी आबादी २५-३० हजार है, जिसका सम्बन्ध जिला जालौन, आगरा, कानपुर और फर्रुखाबाद से है, जिनके बीचों बीच में यह शहर आबाद है। वह खास कर गल्ले की एक बहुत बड़ी मंडी है। वहां की जनता को हमारे सहयोगी विभाग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने यह प्रोत्साहन दिया कि यदि आप लोग एक लाख रुपया इकट्ठा करके शेयर कर लें तो मैं आपके कस्बे में बिजली सप्लाई कर दूंगा और बाकी का पैसा मैं दूंगा। मुझे कहना यह है कि उनके कहने के आधार पर औरैया कस्बे की जनता ने, जल-कल समिति ने एक लाख रुपये की एवज में आज छः लाख रुपया खर्च कर दिया है। उस शहर के अन्दर खम्भे खड़े हुए हैं, तार लग चुके हैं, पावर हाउस बन चुका है, सब कुछ होने पर भी आज ९ साल का अर्सा हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। जल-कल समिति की जो रिपोर्ट है, मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है--

"औरैया कस्बे में जल-विद्युत के अभाव में होने वाले कष्ट का अनुभव करते हुये स्थानीय जनता ने सन् १९४८ में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहयोगी विभाग, इटावा, के प्रोत्साहन पर कि १ लाख रुपये की शेयर पूंजी एकत्रित कर लें तो ८ गुना सरकार से मिल जायगा, इस आश्वासन पर जल-कल समिति ने ....." मेरे कहने का मतलब यह है

कि इस प्रकार उस जल-कल समिति ने ६ लाख रुपया खर्च कर लिया। लेकिन इतना रुपया खर्च करने पर भी आज वहां की जनता मायूसी की तरफ झुक गयी है। वहां पर आज तक बिजली सप्लाई नहीं की गई है। इसलिये मैं सदन के उपाध्यक्ष महोदय से यह अर्ज करूंगा कि औरैया कस्बे के लिये बिजली सप्लाई करने के लिये कम से कम ४०–५० हजार रुपया दिया जाय ताकि वहां पर बिजली जल सके।

साथ ही साथ दूसरी कोआपरेटिव की बात आई है। कोआपरेटिव एक बहुत अच्छी संस्था है। इसमें कुछ घपलेबाजी हुई है जिसकी वजह से हमारे जिले इटावे का कोआपरेटिव संघ शिथिल होता जा रहा है। मैं वहां का इतिहास आप के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं प्रान्तीय सरकार और विशेषकर प्रांत के कोआपरेटिव विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इटावा जिले में सहकारी विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां अजीतमल में सहकारी संघ है जिसका २० हजार रुपया भूतपूर्व प्रेसीडेंट के पास बकाया पड़ा हुआ है। उसको सहकारी विभाग के कर्मचारी इसलिये वसूल नहीं कर रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष––आप क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत मामले में विस्तार से कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप उसका संक्षेप में हवाला दे दें।

श्री भजनलाल––जो बीस हजार रुपया बकाया है वह उनसे वसूल किया जाय।

अब मैं जेल विभाग की ओर आना चाहता हूं। मैं अपनी बीती बात सुनाकर जेल विभाग की बात पेश करूं तो अच्छा होगा। मैं इटावा जेल में ११ मई को पहुंचा। वहां की व्यवस्था को देख कर जो मुझे दुख हुआ वह मेरा दिल ही जानता है। जेल के पानी के हौज में बड़े-बड़े कनखजूरे मरे पड़े थे, सांप भी मौजूद थे। जब मैंने हौज के पानी को साफ कराया तो जेलर महोदय को बताया कि यह इंतजाम है जिसमें कनखजूरे सड़ रहे हैं, अगर जहर पैदा हो जाय तो कैदियों की क्या दशा होगी?

इसके साथ ही साथ जो खाना वहां रोजाना दिया जाता है उसमें कच्ची रोटी दी जाती है और मैंने भी वह खाई और बड़े प्रेम से खाई। इसलिये कच्ची रोटी रखी जाती है ताकि आटे का वजन बढ़ जाय तो उसका कुछ हिस्सा जेल अधिकारी भी गबन करें। साथ ही साथ तेल में भी कमी कर दी गई। जब श्री अर्जुन सिंह, एम० पी० मौजूद थे। अब मैं फतहगढ़ जेल में चला गया था। उन्होंने देखा कि हिसाब लगाने पर १ मन ३७ सेर तेल बढ़ा। इससे मालूम होता है कि जो बढ़ोत्तरी होती है उसको गायब कर दिया जाता है। मैं फतहगढ़ जेल में पहुंचना चाहता हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी यही हालत थी। बड़ी-बड़ी कटिया जैसी भैंस को जो चौराई वगैरह का साग खिलाया जाता है वह वहां दिया जाता है। वहां भी कच्ची रोटी की मुसीबत सामने आई। जेलर महोदय ने कहा कि आप अपना आदमी भेज दीजिये। जहां भोजन बनता है वहां देख लेगा। हमारे साथी वह जितेन्द्र कुमार वहां गये तो कैदियों के हिसाब से बतलाया कि २४ सेर दाल है। डिप्टी जेलर को बुलाया गया और उनके सामने दाल तुलवायी गयी तो केवल बीस सेर निकली। पूछने पर पता चला कि आटा घट घटा कर रोजाना १६ सेर बच जाता है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि कैदियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वह इस बात का उदाहरण है जैसे कि मवेशीखाने में मुहर्रिर मवेशियों को छै आने के बजाय दो आने में बहला देता है और चार आने उसकी जेब में चले जाते हैं। वही हाल जेल में हो रहा है।

दूसरी घटनाओं को भी पेश कर देना मैं मुनासिब समझता हूं। जो जत्था पहले पहुंच गया था उस समय सुपरिन्टेन्डेंट महोदय छुट्टी पर थे। डाक्टर साहब ने मुआयना बैरक में ही किया था। इसके बाद अभयराज जी का ४८ आदमियों का जत्था पहुंचा तो सुपरिंटेंडेंट महोदय ने कहा कि आप लोग मुआयना आकर कराइयेगा। अभयराज जी ने कहा कि हम

[श्री भजनलाल]

राजनीतिक कैदी हैं लिहाजा वैसा ही व्यवहार हमारे साथ अपनाया जाय, हमें सहर्ष स्वीकार है। उन्होंने कहा कि यह नहीं होगा, आपको जिस प्रकार से हम बुलायेंगे उस प्रकार से आना होगा। तो अभयराज जी ने कहा कि बड़ी ही कृपा होगी अगर आप हमारी ही बैरक में कुर्सी मेज डलवा कर हमारा मुआयना कर लें। इस पर सुपरिन्टेन्डेंट साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने जेलर को इशारा किया और अभयराजजी को तनहाई दे दी गई। इस पर कुछ आदमियों ने नारे लगाये। बहरहाल, उनको फिर बाहर निकाला गया। दूसरे रोज भी जब उन्होंने वही जवाब दिया तो जिलाधीश महोदय के पास सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय का फ़ोन गया। जिलाधीश महोदय वहां पर तशरीफ लाये और उन्होंने मुझे और अभयराज जी को बुला कर सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय से समझौता करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण बजट है। एक ही विभाग पर इतना अधिक समय न लें।

श्री भजनलाल---मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना समय मुझे दिया गया है उसी के अन्दर मैं खत्म कर दूंगा।

उस समय जब अभयराज जी ने बात मान ली तो सुपरिंटेंडेंट साहब को यह बुरा लगा कि हमारे जेल की बात जिलाधीश के पास क्यों पहुंची। इसी पर वह गुस्सा हो गये। गट्ठे के गट्ठे डंडे छिलवाये गये। सुबह ही सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब तशरीफ लाये। उन्होंने खबर भेजी। कांस्टेबिल आया और अभयराजजी से कहा कि मुआयने के लिये चलिये। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो मिनट दिये जायं, मैं अपने कपड़े पहन लूं और अभी आता हूं। कांस्टेबिल के जाते ही एलार्म बजा दिया गया, पगली घंटी जिसे कहते हैं। उस पर जो घटना हुई वह बहुत ही दर्दनाक हुई। उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने जेल के सारे कैदियों को यह छूट दे दी कि वह अपने अपने डंडे लेकर निकल आयें। उन्होंने अभयराज की बैरक को चारों तरफ से घेर कर यह कहा कि तुम लोग जल्दी से चल दो नहीं तो तुम्हारी खोपड़ियां तोड़ देंगे। हमारा सत्याग्रह अहिंसात्मक था, हम फौरन चल दिये। क्या हमारे जेल मंत्री महोदय ने सुपरिन्टेंडेंट महोदय को इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं? अगर सच है तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इसके बाद उनका मुआयना जबर्दस्ती कराया गया। उसी समय जिलाधीश महोदय ने लखनऊ को तार दिया। वह यहां से नैनीताल गया और वहां से आई० जी० महोदय ने हम लोगों का ट्रांसफर आगरा सेन्ट्रल जेल में कर दिया। वहां पर हम लोगों को जेल मैनुअल के मुताबिक पूरी सुविधायें दी गयीं।

वहां एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वहां दो डामिल कैदी, भोंपू और काशीराम ८ तारीख को जेल से निकल कर भाग गये। ये दोनों कैदी, जो जेल के बड़े दरोगा हैं और जेल के बड़े क्लर्क हैं, उन दोनों के बड़े परम भक्त थे और ९-९, १०-१० बजे रात तक बैरिक के बाहर रह कर उनके दफ्तर में काम किया करते थे। उनको उन पर बहुत ही विश्वास था। जो वार्डर लोग थे वे यही समझते रहे कि ये तो रोजाना जाते हैं। ये दोनों कैदी खत्ती से सामान लेने दिन में गये जेल की चाभी लेकर। उन्होंने खत्ती के ताले को चाभी से बन्द नहीं किया, वैसे ही ताला लगा कर चले आये और बाहर का ताला लगा दिया। शाम को ८ बजे ये लोग वहां पर पहुंचे और उस दीवाल पर चढ़ कर उस खत्ती की जगह पर पहुंचे और नसेनी व रस्सा लेकर भाग निकले।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का बजट उसके आय-व्यय का ब्योरा तो होता ही है लेकिन उस पालिसी का भी द्योतक होता है जिसको वह संचालित करता है। यदि हम इस दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से देखें तो हमें इस बजट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें अवश्य मिलती हैं जिनके लिये सिर्फ मैं या इस माननीय सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि इस प्रान्त के दूसरे लोग भी माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देंगे और कृतज्ञता प्रकट करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक महत्वपूर्ण निश्चय जो सरकार ने किया है वह मेरी समझ में निम्नवर्ग के कर्मचारियों के वेतन में पांच रुपये की वृद्धि देना है। कितने ही समय से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। सभी लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि नीचे के कर्मचारियों का वेतनक्रम बहुत नीचा है और ऊंचा उठाना है। १६ अप्रैल को इसी सदन में जब मैंने एक प्रश्न द्वारा इसके बारे में जानकारी की थी उस समय सरकार उस पर विचार कर रही थी और जो कठिनाइयां सरकार के सामने थीं उनके फलस्वरूप ही निश्चय नहीं हो सका था। प्रत्यक्ष है कि ९५ करोड़ के बजट में साढ़े तीन करोड़ की बढ़ोत्तरी बड़ी हिम्मत का कदम है। मैं तो यह मानता हूं कि अभी भी इन निम्नवर्ग के कर्मचारियों के वेतनक्रम को और बढ़ाना है और उस तरफ हमें प्रयत्नशील होना है लेकिन यदि आज उपहास-पूर्ण तरीके से जो यह कहें कि यह पांच रुपये की बढ़ोत्तरी क्या मिली तो मैं केवल यही कहूंगा कि वे सच्चाई से बहुत दूर हैं। अभी माननीय विरोधीदल के नेता ने अपने भाषण में कहा कि सारे बजट में और सारे बजट भाषण में उन्हें एक संकेतमात्र भी नहीं मिला कि समाजवादी ढंग की बात किस प्रकार चलेगी। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यही एक कदम है। अगर यह समाजवादी ढांचे का समाज नहीं बनायेगा तो और क्या बनायेगा ? नीचे के कर्मचारियों के वेतनक्रम को ऊपर उठाया जाय। अगर यह तरीका नहीं है समाजवादी ढांचे का तो और कौन तरीका होगा ? यह ठीक है कि उनकी इच्छा हो और इसमें हम सभी सम्मिलित हैं कि इसको और ऊंचा उठाया जाय, लेकिन साढ़े तीन करोड़ की बढ़ोत्तरी एक साहसपूर्ण कदम है यह तो मानना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जैसे ओल्ड एज पेन्शन हैं और भी चीजें हैं, वे काफी सराहनीय हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ सुविधायें दी गई हैं, वे भी सराहनीय हैं। यद्यपि यह बातें प्रतीकमात्र हैं कदाचित् विवशताओं और आर्थिक समस्याओं के कारण। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा के लिये जो छठे दर्जे को निःशुल्क करने का निश्चय सरकार ने इस साल किया है वह सराहनीय तो है ही। हम सब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि १४ वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थियों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, परन्तु जितना ही जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे उतना हमें बढ़ना है। सरकार ने यह घोषणा की है कि सरकार अगले सालों में ७ वीं और ८ वीं कक्षाओं में भी शिक्षा निःशुल्क करने जा रही है। साथ ही साथ यह भी घोषणा की गई है कि ९ वीं दर्जों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सरकारी कर्मचारियों के वार्ड को, जिनको १०० रुपये से कम वेतन मिलता है, आधा शुल्क देना पड़ेगा। इसको मैं नहीं समझ सका कि क्यों ९ वें दर्जे को ही छांटा गया है, क्योंकि पिछले साल के बजट में ११ वें और १२ वें दर्जे के लिये निःशुल्क था, तो यदि ऊपर से चलते तो कदाचित् इस वर्ष १० वें दर्जे के लिये यह रियायत होती लेकिन खास तौर से ९वें दर्जे को छांटा गया इसकी वजह मैं नहीं समझ सका। मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि जितना साधन इजाजत दे जल्दी से जल्दी हम इस उद्देश्य की पूर्ति करें। परन्तु इन सीमित साधनों को देखते हुये मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि हम छठे, सातवें, आठवें दर्जे को निःशुल्क करें, यह अच्छा हो कि हम यह क्रम रखें कि छठे, सातवें, आठवें, नवें और दसवें दर्जे में १०० रुपये तक आमदनी वाले लोगों के बच्चों की फीस माफ करने के लिये इस वर्ष कदम उठायें। पहिले वर्ष १०० रुपये तक आमदनी वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी। उसके बाद २५० रुपये तक आमदनी वालों के बच्चों की और फिर २ साल के बाद ५०० रुपये तक आमदनी वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क करें। मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें अधिक अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने ३५ लाख रुपया छठे दज तक निःशुल्क शिक्षा करने के लिये रखा है। नवें दर्जे तक आधी फीस के लिये ८६,६२५ रुपया रखा है। इसके मायने यह हैं कि अगर इसी आधार पर फीस का हिसाब लगाया जाय तो यदि छठे से दसवें दर्जे तक सारी कक्षाओं में आधी फीस कर दी जाय तो करीब ४ लाख रुपया होगा। अगर सारी फीस मुआफ कर दी जाय तो ८ लाख रुपया होगा।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

अभी तक हम १०० रुपये तक सरकारी कर्मचारियों के लिये यह सुविधा देते हैं। अगर इस सुविधा को हम सारे समाज के लिये बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि यह जो ३५ लाख रुपया रखा गया है और ८६ हजार यह रखा गया है और कुछ १५, २० फीसदी और अब तक भी दिया ही जाता था तो यह सब मिला कर यह चीज हो सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि गरीब आदमी जिनको सबसे ज्यादा बोझ खल रहा है इस बोझ से जल्दी हल्के हो जायंगे। मैं जानता हूं कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत होगी। वह कठिनाई यह होगी कि कौन आदमी ऐसा है कि जिसकी आमदनी १०० रुपये से कम है। सरकारी कर्मचारियों का तो जाना ही जा सकता है। मेरा विश्वास है कि ऐसी सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इस समय जो नियम है उसमें १० फीसदी फ्रीशिप है और १५ फीसदी हाफ फ्री शिप है। जहां तक मेरा अनुभव है उसका भी बुरा उपयोग कम ही होता है।

एक बात शिक्षा के प्रसंग में और निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा किस तरह से दें। हम किसी एक साल में होने वाले कन्वोकेशन एड्रेसेज या नेताओं के भाषण को उठा कर देखें तो मालूम होगा कि बड़े-बड़े नेता हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं, कोई बहुत जोरदार शब्दों में और कोई उससे कमजोर शब्दों में कि हमारी शिक्षा का स्तर सन्तोषजनक नहीं है। अब समय आ गया है कि जब इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दिया भी जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि एजूकेशन को हम कितनी प्रायरिटी देते हैं। मेरा मत यह है कि आज इस माननीय सदन में हम देश के लिये नियम बनाते हैं और शासन व्यवस्था बनाते हैं लेकिन इन विद्यालयों और स्कूलों में राष्ट्र निर्माण हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं नेता विरोधी दल से इस बात में सहमत हूं कि हमारा प्राइमरी एजूकेशन का स्तर बहुत ही असन्तोषजनक है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि उसके असन्तोषजनक होने की कसौटी यह है कि आज इस सदन में ४३० माननीय सदस्य अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज नहीं सकते या कुछ लखनऊ के बड़े आदमी अपने बच्चों को उनमें भेज नहीं सकते या भेजने में संकोच करते हैं। मैं बड़े नम्र शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि समाजवादी ढंग से कम से कम जांचने का यह तरीका सही नहीं होगा और एक समाजवादी नेता से उस कसौटी को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। सच्चा तरीका यह होगा कि हमारे प्रदेश के ७ करोड वासी जिनके बच्चे उनमें पढ़ते हैं उनका स्तर ऊंचा हो सके। आज हमारे सामने कठिनाइयां हैं जो स्वाभाविक हैं। इतनी बड़ी संख्या के लिये शिक्षा में स्तर का गिरना स्वाभाविक है लेकिन प्राइमरी शिक्षा को सब से अधिक महत्व देना आवश्यक है।

मैं इकानामी के बारे में भी संक्षेप में कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री के भाषण में इकानामी की ओर उठाये जाने वाले कदमों का जिक्र था, जिनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमें एक ऐसा वातावरण पैदा करना है, ऐसी मनोवृत्ति पैदा करनी है जिसमें हम यह महसूस करें कि राष्ट्र की उन्नति के लिये हमें आखिरी पाई बचानी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है कि सन् १९५३–५४ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थानीय विभागीय कर्मचारियों से बातें की थीं जिसके फलस्वरूप ढाई करोड़ रुपये की इकानामी हो सकी। मैं समझता हूं कि आज फिर वह समय है जब इस प्रकार का कदम माननीय मुख्य मंत्री जी उठावें। हमारे मुख्य मंत्री पर सारे प्रदेश की जनता की ही नहीं, सारे राज्य-कर्मचारियों की भी आस्था है। यदि वह इस तरह का प्रयत्न करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी खासी रक़म बच सकेगी। इस बजट में भी हमें बतलाया गया है कि १ करोड ५० लाख रुपये की रकम बच रही है। इसमें ८० लाख रुपया तो मोटरों का है और बाकी ७० लाख से ज्यादा दूसरी मदों का। मेरी राय में इसस ज्यादा बचने की गुंजायश है। जब हमारा देश और प्रदेश समाजवादी समाज की ओर अग्रसर हो रहा है तो जहां यह आवश्यक है कि हम नीचे के कर्मचारियों का वेतन बढ़ावें वहां यह भी आवश्यक है कि ऊपर वालों की ओर हम देखें। हमारे मंत्रिमंडल ने भी लगभग १० परसेन्ट का वालन्टरी कट स्वीकार किया है लेकिन यह

एक प्रतीक मात्र है। हमें इससे आगे बढ़ना है। आज यदि मुख्य मंत्री जी बड़े वेतन पाने वालों से अपील करें तो मुझे विश्वास है कि वे १० प्रतिशत कट करने के लिये खुशी से तैयार हो जावेंगे। जब हमारे यहां ऐसे नेता हुये हैं कि उन्होंने ७०० रियासतों का वालन्टरी लिक्वीडेशन कर दिया तो हमारे यहां ५०० रु० से अधिक वेतन पाने वालों की संख्या को देखते हुये यह कार्य कठिन नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी के लिये यह सर्वथा सम्भव है। यदि बड़े कर्मचारी समय को न देखें और दीवार की लाइनों को न पढ़ सकें तो इस सदन का यह कर्तव्य होगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठावें जिससे उन्हें उतना वेतन मिले जितना न्याय से मिलना चाहिये। उस समय १० या २० प्रतिशत कट पर आप सदन का हाथ नहीं रोक सकेंगे। इस ओर हमें देखना ही होगा।

समय कम है, और मैं केवल इतना और कहूंगा कि सेल्स टैक्स का माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया है। जिस बात का उन्होंने संकेत किया है उससे टैक्स देने वालों को अवश्य सुविधा मिलेगी। इसका कोई विवरण भाषण में नहीं है जो कदाचित् तैयार नहीं हो सका है। जो अनुभव है उसे देखते हुये आवश्यक है कि सेल्स टैक्स के बारे में बहुत सोच समझ कर कदम उठाये जावें। जब सेल्स टैक्स के बारे में सरकार कोई बिल लाती है तो नाना प्रकार की भावनायें जाग्रत हो जाती हैं। यह कहा है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कि एक सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी का बनना। मैं तो चाहता हूं कि जैसे कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने खुद सिपारिश की है कि सारे नगरों में एडवाइजरी कमेटियां बनें। इन सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी के बनने से व्यापारी वर्ग में और शासन वर्ग में एक सामंजस्य उत्पन्न होगा। मैं मानता हूं कि आज सेल्स टैक्स में इवेजन हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में इवेजन हो रहा है। इनकम टैक्स के जो आंकड़े फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताये हैं, पांच करोड़ का इनकम टैक्स यू० पी० से वसूल होता है और बीस करोड़ के एरियर्स हैं। जो इवेजन होता है उसका अनुमान ही नहीं हो सकता। तो जहां पर पांच करोड़ वसूल होता है वहां बीस करोड़ के एरियर्स, बहुत चिन्ता की बात है। ऐसे ही आंकड़े अगर उपलब्ध किये जायं तो सेल्स टैक्स में भी पायेंगे। तो सेल्स टैक्स बढ़ाने के बजाय अगर ऐसे उपाय किये जायं जिनसे सेल्स टैक्स का इवेजन न हो तो टैक्स के बोझ से दबी जनता पर बोझ भी न बढ़े और जो ईमानदार व्यापारी हैं, एक तरफ जो व्यापारी बेईमानी करते हैं, उनका कंपटीशन होता है और दूसरी तरफ सरकार के टैक्स का बोझ होता है, उससे वे बच जायं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२२ जुलाई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७ पर)

निम्नलिखित सारिणी में यह दिखाया गया है कि माह मई एवं जून, १९५७ के महीनों में किन-किन जिलों व नगरों से कितने व्यक्तियों को हैजा, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं इन्फ्लुएंजा की बीमारी हुई और उनमें से कितने की मृत्यु हुई:

नगर और जिला	हैजा		गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस		इन्फ्लुएंजा	
	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु
आगरा नगर	..	..	५	२	१२,३९९	..
आगरा जिला	..	..	६	३	१,४२३ ?	..
अलीगढ़ नगर	..	..	३	१	१७२	..
अलीगढ़ जिला	..	..	८	३	२३	..
इलाहाबाद नगर	..	१	३०४	५८	६४८	..
इलाहाबाद जिला	..	..	६८८	३१५	२६	..
अल्मोड़ा नगर	..	..	..	..	..	..
अल्मोड़ा जिला	..	..	३	१	२४	..
अमरोहा नगर	..	..	..	..	२९	..
आजमगढ़ जिला	..	४५	१२	५८२	२०४	५	..
बहराइच नगर	..	..	..	२	..	..	..
बहराइच जिला	..	..	..	२	२	५८	१
बलिया नगर	..	१	१	..	..	२५	..
बलिया जिला	..	..	..	४०	२०	७	..
बांदा नगर	..	..	..	७	३	२	..
बांदा जिला	..	..	..	१,०८१	३९३	८८	..
बाराबंकी जिला	..	..	..	२५३	१०८	७०	..
बरेली नगर	..	..	..	..	..	..	..
बरेली जिला	..	..	..	..	..	७	..
बिजनौर जिला	..	..	..	..	..	१०१	..
बदायूं जिला	..	..	..	४	४	५	..
बदायूं नगर	..	..	..	१	१	..	..
बुलन्दशहर नगर	..	..	..	..	..	१८	..
बुलन्दशहर जिला	..	..	..	१	१	६७	..
चन्दौली नगर	..	..	..	..	..	..	..
देहरादून नगर	..	..	..	..	..	५	..
देहरादून जिला	..	..	..	१०	५	१७	१
देवरिया जिला	..	२	२	१८८	५६	१	..
एटा जिला	..	..	..	..	..	२	..
इटावा नगर	..	..	..	६	१	..	..
इटावा जिला	..	..	..	७४	२३	..	..

नगर और जिला	हैजा		गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस		इन्फ्लुएंजा	
	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु
फर्रुखाबाद नगर	..	..	..	३२	११	११३	..
फर्रुखाबाद जिला	..	..	..	१९६	७४	८	..
फतेहपुर जिला	..	..	..	५३	२४	..	..
फिरोजाबाद नगर	..	..	..	..	..	४९४९	१
फैजाबाद जिला	..	..	..	२४६	८४	..	..
गढ़वाल जिला	..	..	..	३५	८	५४	..
टेहरी-गढ़वाल जिला	..	..	..	..	..	६४	..
गाजीपुर नगर	..	५	..	..	..	५५	..
गाजीपुर जिला	..	..	..	३०२	१७०	३१	..
गाजियाबाद नगर	..	..	..	..	..	..	..
गोंडा नगर	..	..	..	२	..	६	..
गोंडा जिला	..	..	..	१३	४	..	..
गोरखपुर नगर	..	१	१	११	६	७०	..
गोरखपुर जिला	..	..	..	१३७	५५	२८	..
हमीरपुर जिला	..	..	..	२०६	६०	..	..
हरदोई नगर	..	..	..	३९	१६	६	..
हरदोई जिला	..	..	..	११३	३८	..	..
हरद्वार यूनियन नगर	..	..	..	११	..	२२	..
हाथरस नगर	..	..	..	..	..	..	..
फैजाबाद नगर	..	..	..	१३	..	२१०९	..
रुड़की नगर	..	..	..	..	..	२१	..
हापुड़ नगर	..	..	..	..	..	२६८	..
बस्ती जिला	..	..	..	६६	२३	४०	..
जालौन जिला	..	..	..	५३	१९	१२	..
जौनपुर नगर	..	..	..	५०	२३	..	..
जौनपुर जिला	..	..	..	११७४	४४९	..	..
झांसी नगर	..	..	..	..	..	..	..
झांसी जिला	..	९	२	३०	१७	३७	..
कासगंज नगर	..	..	..	..	..	..	..
कानपुर नगर	..	..	..	२०४	३२	८०४	..
कानपुर जिला	..	..	..	४५०	२८२	२०६	६
खेरी नगर	..	..	..	..	..	१०	..
खेरी जिला	..	..	..	..	..	१२	..
खुर्जा नगर	..	..	..	..	..	६६	..
लखनऊ नगर	..	१४	४	६६१	१०७	४,६३५	३
लखनऊ जिला	..	२९	१०	१२६	२८	६८	..
मैनपुरी नगर	..	..	..	१	..	..	..
मैनपुरी जिला	..	..	..	२७८	१०१	५	..
मेरठ नगर	..	..	..	..	..	२०३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगर और जिला	हैजा		गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस		इन्फ्लुएंजा	
	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु	ग्रस्त	मृत्यु
मेरठ जिला ..	..	..	..	..	२४२	..
मिर्जापुर नगर ..	३	१	८	..	३८	..
मिर्जापुर जिला ..	३८	१६	६८०	२४७	..	..
मुरादाबाद नगर ..	..	..	..	..	३०१	..
मुरादाबाद जिला ..	..	..	१	..	३२	..
मंसूरी नगर ..	..	..	..	..	१८१	..
मथुरा नगर ..	..	..	३	..	२,७६९	..
मथुरा जिला ..	..	..	..	..	२	..
मुजफ्फरनगर नगर ..	..	..	..	..	२३३	..
मुजफ्फरनगर जिला ..	..	..	..	..	३३	..
नैनीताल नगर ..	..	..	..	..	११	..
नैनीताल जिला ..	..	..	..	..	..	..
प्रतापगढ़ जिला ..	८	६	४००	१५४	५२	८
पीलीभीत नगर ..	..	..	..	..	८	..
पीलीभीत जिला ..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली नगर ..	..	..	१९	१०	..	..
रायबरेली जिला ..	२	२	५३६	२५०	..	..
रामपुर नगर ..	..	..	..	..	८२०	..
रामपुर जिला ..	..	..	२	..	३	..
सहारनपुर नगर ..	..	..	..	..	१९४	..
सहारनपुर जिला ..	..	..	६	३	५०	..
सम्भल नगर ..	..	..	..	..	..	..
संडीला नगर ..	..	..	१	१	..	..
शाहजहांपुर नगर ..	..	..	६	..	१५	..
शाहजहांपुर जिला ..	..	..	..	..	२६	..
सिकन्दराबाद नगर ..	..	..	..	..	५६	..
सीतापुर नगर ..	२	१	१२	५	..	..
सीतापुर जिला ..	८८	४३	२१	१२	१५	..
सुल्तानपुर जिला ..	..	..	२५४	१२५	..	..
उन्नाव नगर ..	..	..	३१	१	३८	..
उन्नाव जिला ..	४९	२१	३५३	१५७	..	..
वृन्दावन नगर ..	..	..	..	..	११	..
वाराणसी नगर ..	..	..	३०४	८६	२,०१२	३
वाराणसी जिला ..	३२५	१५२	४२१	१३६	..	..
टांडा नगर ..	..	..	२	१	..	..

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९ पर)

मितव्ययिता समिति (और उनकी उपसमितियों) की सिफारिशों पर आधारित मितव्ययिता की मदें जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है।

	अनुमानित बचत जो वर्ष भर में होगी रु०
१—अन्तर्राज्यिक मस्तिष्क रोग चिकित्सालय, (रांची इन्टर प्राविंशियल मेन्टल हास्पिटल, रांची) को दिये जाने वाला वार्षिक अनुदान बन्द कर दिया जाय	६५,०००
२—जन स्वास्थ्य बजट में दो उपशीर्षक अर्थात् "प्लेग की रोकथाम सम्बन्धी कार्यवाहियां" और "महामारियों की रोकथाम" एक ही में मिला देने चाहिए और कुल मिला कर ५ लाख रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए	२,३०,०००
३—हाईजीन पब्लिसिटी के असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और हाईजीन इन्स्टीट्यूट के असिस्टेंट डाइरेक्टर के दोनों पदों को एक कर दिया जाना चाहिये	१२,०००
४—शिक्षा संचालक के महिला वैयक्तिक सहायक का पद तोड़ दिया जाना चाहिए	१०,०००
५—सचिवालय के शिक्षा विभाग में विशेषाधिकारी का पद तोड़ दिया जाना चाहिये	१०,०००
६—कलेक्शन अफसरों के पद तोड़ दिये जाने चाहिए ..	१,४०,०००
७—सरकारी आस्थानों (Government managed estates) के प्रबन्ध के लिए स्थापित पृथक संगठन तोड़ दिया जाना चाहिए और उनका कार्य तत्संबंधी विभागों को सौंप देना चाहिए ..	(लगभग) ५०,०००
८—प्रान्तीय रक्षक दल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ..	२०,८५,४००
९—(क) उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट डिवीजन को हैन्डलूम प्रोडक्शन डिवीजन में मिला देना चाहिए	
(ख) हैन्डीक्रैफ्ट के इन्चार्ज डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज का पद और कुछ क्लर्क की जगहें समाप्त कर देनी चाहिए ..	
(ग) उत्तर प्रदेश हैन्डीक्रैफ्ट की विभिन्न शाखाओं में इस समय सामान के जो बड़े-बड़े स्टाक जमा हैं उन्हें कम कर दिया जाना चाहिए और यात्रिक भत्ते और आकस्मिक व्यय में, मोटरगाड़ियों और ट्रकों के व्यय में, टेलीफोन के व्यय में, मेलों, प्रदर्शिनियों में सम्मिलित होने के व्ययों में, डिजाइन तैयार करने और प्रतियोगिताओं के आयोजन आदि के व्यय में मितव्ययिता की जानी चाहिए ..	७५,०००
१०—हेडक्वार्टर के स्तर पर हरिजन सहायक विभाग का विलयन (amalgamation) समाज कल्याण विभाग में कर दिया जाना चाहिए	१,००,०००
योग ..	२७,७७,४००

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

तालिका 'क'

बाजपुर मिल के निर्माण कार्य में प्रगति इस प्रकार है--

१--१०८ एकड़ जमीन में से ६८ एकड़ जमीन मिल को मिल चुकी है और बाकी भूमि का अधिकार जल्दी होने की आशा है ।

२--इमारत बनाने का कार्य ठीक तरह चल रहा है, वर्कशाप एवं स्टोर की इमारतें बन चुकी हैं, २६ क्वार्टर बनने का काम चालू है । उनमें से कुछ बन चुके हैं और शेष एक माह के अन्दर बन जावेंगे । मिल की आवश्यक इमारतों के लिए नीवें खोदी जा चुकी हैं और अब उन पर आगे काम जारी है। निर्माण कार्य के लिए २ इंजीनियर, एक मैनेजर तथा अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

३--मिल यार्ड में रेल की पटरी बिछाने के लिए ९४,००० रुपया जमा किया जा चुका है और शीघ्र पटरियां पड़ने की आशा है ।

४--बिजली की लाइन मिल तक आ चुकी है । एक आरटीजियन कुआं भी तैयार हो चुका है और दूसरा नलकूप एक सप्ताह के अन्दर तैयार हो जावेगा ।

५--मिल की कुछ मशीनें १२ जून को विदेश से भेजी जा चुकी हैं और भारत में बनने वाली मशीनें तैयार हैं ।

६--करीब-करीब २४ लाख रुपया इकट्ठा किया जा चुका है और शेष धन एकत्रित हो रहा है ।

इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा ६० लाख रुपए का कर्जा मिलने की सूचना आ चुकी है और यह रुपया लेने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है ।

७--लोहे की कैंचियां, खम्बे वगैरह मिल की site पर ही बन रहे हैं और बहुत कुछ सामान तैयार हो गया है। आवश्यक लोहा, सीमेन्ट व कोयला मंगाने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है और यह सामान इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर)

Statement showing the dues of cane price outstanding against the Sugar Factories as upto 31-5-1957.

Serial no.	Name of factory	Arrears of cane price in lac Rs.							Remarks
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	arrears Total	
1	Simbhaoli	..	..	..	..	..	0·27	0·27	
2	Modinagar	..	..	..	..	..	2·58	2·58	Certificate issued.
3	Mohiuddinpur	..	..	..	..	..	0·48	0·48	
4	Mowana	..	..	..	..	..	0·09	0·09	
5	Sakhoti	..	..	..	..	0.67	2·15	2·82	Rs. 0.67 lac relating to 1954-55 seasonsis under dispute and civil suit is pending in Civil Court in this connection. Certificate for arrears of season 1956-57 issued.
6	Daurala	..	..	..	..	..	1·3	1·39	Certificate issued.
7	Bulandshahr	..	..	..	..	..	13·30	13·30	Certificate issued.
8	Khatauli	..	..	..	..	..	5·48	5·48	The arrears of cane price has since sealed down to Rs. 1·35 lac as on June 22, 1957.
9	Mansurpur	..	..	..	..	..	15·6	15·6	Certificate issued. The arrears of cane price has since scaled down to Rs. 11.47 lac as on June 22, 1957.
10	Rohana	..	..	..	..	..	8·33	8·33	Certificate issued. The arrears of cane price has since scaled down to Rs. 1·61 lac as on June 22, 1957.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Serial no.	Name of factory	Arrears of cane price in lac Rs.							Remarks
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	arrears Total	
11	Shamli	..	..	..	..	..	..	15·20	15·20	Certificate issued. The arrears of cane price has since scaled down to Rs. 3.29 lac as on June 22, 1957.
12	Saharanpur	..	..	..	..	..	..	8·90	8·90	Certificate issued.
13	Lakhsar	..	..	..	..	..	0·01	0·27	3·28	Certificate issued.
14	Deoband	..	..	..	..	..	..	11·55	11·55	Certificate issued.
15	Iqbalpur	..	..	..	..	0·57	0·19	8·65	9·41	Certificate issued.
16	Doiwala	..	..	..	..	0·50	0·01	1·63	2·14	This amount is under dispute. Will be taken up shortly for decision.
17	Bareilly	..	..	..	..	0·10	0·79	10·11	11·00	Certificate issued.
18	Baheri	..	..	..	..	0·12	0·05	0·21	0·38	
19	Amroha	..	..	..	..	..	1·70	7·74	9·44	Certificate issued.
20	Bilari	..	..	..	..	..	0·06	6·58	6·64	Certificate issued.
21	Bijnor	..	..	..	..	0·13	0·26	3·70	4·09	Certificate issued.
22	Seohara	..	..	..	..	..	0·19	1·13	1·32	
23	Dhampur	..	..	..	..	..	..	9·70	9·70	Certificate issued.
24	Kashipur	..	..	..	..	..	1·08	6·02	7·10	Certificate issued.
25	Pilibhit	..	..	..	..	0·22	..	14·07	14·29	Certificate issued. The amount is under dispute.

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

Serial no.	Name of factory	Arrears of cane price in lac Rs							Remarks
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	arrears Total	
26	Buland and Raza	0·06	..	..	..	0·01	4·30	4·37	The factory closed in the month of June.
27	Rosa	..	..	..	..	..	12·34	12·34	Certificate issued.
28	Neoli	..	..	..	..	..	1·22	1·22	The factory is likely to pay off the dues shortly.
29	Gola	..	..	..	..	..	8·30	8·30	This factory is still working and the arrears are expected to be paid off shortly.
30	Sira	..	..	..	..	..	2·23	2·23	Certificate issued.
31	Hargaon	..	..	..	..	..	2·23	2·23	This factory is still working.
32	Maholi	..	..	..	..	0·02	5·97	5·99	Certificate issued.
33	Biswan	..	..	..	..	0·03	3·07	3·10	This factory has closed down shortly and these arrears are likely to be paid off shortly.
34	Barabanki	..	..	..	..	..	4·84	4·84	This factory is still working.
35	Barhwal	..	..	..	..	..	4·62	4·62	This factory has closed on 3rd July, 1957.
36	Masodha	..	..	..	..	..	1·15	1·15	Certificate issued.
37	Shahganj	..	..	..	..	..	0·48	0·48	
38	Hardoi	..	..	..	..	..	2·87	2·87	The factory has worked till late in June, 1957.
39	Khalilabad	..	..	..	..	..	0·99	0·99	
40	Munderwa	..	..	..	..	..	1·71	1·71	Certificate issued.
41	Basti	..	..	..	..	..	0·20	0·20	Certificate issued.
42	Walterganj	..	..	..	..	..	0·02	0·02	
43	Nawabganj	..	..	..	..	..	0·86	0·86	
44	Balrampur	..	..	..	..	..	2·13	2·13	These arrears are likely to be paid off shortly.
45	Tulsipur	..	..	..	..	..	4·44	4·44	This factory has closed very shortly.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Serial no.	Name of factory	Arrears of cane price in lac Rs.							Remarks
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	arrears Total	
46	Jarwal Road ..	..	..	..	..	..	5·45	5·45	This factory has closed very shortly.
47	Siswabazar ..	..	..	..	..	..	1·41	1·41	Certificate issued.
48	Pipraich ..	..	..	..	..	..	3·22	3·22	Certificate issued.
49	Sardarnagar ..	..	..	..	0·01	0·04	4·93	4·98	Certificate issued.
50	Anandnagar ..	..	..	..	..	..	1·54	1·54	Certificate issued.
51	Gauribazar ..	..	..	..	..	..	0·76	0·76	
52	Baitalpur ..	..	..	..	0·26	..	4·71	4·97	Certificate issued.
53	Deoria ..	0·10	..	..	..	..	2·96	3·06	Certificate issued.
54	Chhitauni ..	..	0·15	0·01	..	0·04	1·24	1·42	
55	Captainganj ..	..	0·01	..	..	..	0·93	0·94	Certificate issued.
56	Laxmiganj ..	..	..	..	..	..	5·08	5·08	Certificate issued.
57	Serali ..	..	..	..	..	..	1·67	1·67	Certificate issued.
58	Ramkola P ..	..	..	..	..	..	3·13	3·13	Certificate issued.
59	Ramkola K ..	..	..	..	..	..	3·90	3·90	Certificate issued.
60	Kathkuiyan ..	..	0·12	..	..	..	..	0·12	
61	Padrauna ..	..	..	..	0·65	..	..	0·65	
62	Khadda ..	..	..	..	..	..	8·89	8·89	Certificate issued.
	Total	0·16	0·28	0·01	3·23	4·48	271·45	279·61	

Note—From the latest position received so far a sum of Rs. 31·59 lacs has further been recovered from the factories. Thus the total arrears have scaled down to Rs. 248·02 lacs from Rs. 279·61 lacs.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'नत्थी, ङ

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर)

तालिका 'ख'

Statement of Cane Cess showing outstanding arrears for previous seasons and current season 56-57 as stood on 31-5-57

Serial no.	Name of factory	Previous season (in lac Rs.)	Current Season (in lac Rs)	Total columns 3 & 4
1	2	3	4	5
1	Sardarnagar	2·61	11.11	13.72
2	Pipraich	6·75	3.20	9.95
3	Ghugli	..	4.06	4.06
4	Siswabazar	..	3.40	3.40
5	Pharenda	..	4.83	4.83
6	Purtabpur	..	4.51	4.51
7	Baitalpur	..	4.85	4.85
8	Gauribazar	..	3.87	3.87
9	Deoria	..	5.07	5.07
10	Captainganj	1·51	5.46	6.97
11	Khadda	9·49	3.28	12.77
12	Chhitauni	2·54	..	2.54
13	Laxmiganj	2·96	3.99	6.95
14	Ramkola (K)	3·77	4.43	8.20
15	Ramkola (P)	1·41	6.77	8.18
16	Padrauna	6·89	4.62	11.51
17	Kathkuiyan	9·90	3.31	13.21
18	Seorahi	..	1.64	1.64
19	Munderwa	1·16	3.65	4.81
20	Basti	..	..	..
21	Walterganj	..	..	..
22	Khalilabad	..	3·28	3.28
23	Babhanan	..	..	..
24	Nawabganj	..	..	..
25	Balrampur	1·67	5.06	6.73
26	Tulsipur	2·11	6.29	8.40
27	Jarwal Road	1·50	6.34	7.84
28	Bhurwal	..	..	..
29	Barabanki	..	6.74	6.74
30	Shahganj	..	4.72	4.72
31	Biswan		5.98	5.98
32	Hargaon	..	..	..
33	Maholi	6·77	11.19	17.96
34	Masodha	..	6.35	6.35
35	Hardoi	..	..	..
36	Aira	..	5.88	5.88
37	Gola	2·43	15.26	17.69
38	Rosa	..	4.63	4.63
39	Bareilly	12·44	7.71	20.15
40	Baheri	..	1.51	1.51
41	Pilibhit	8·83	13.39	22.22
42	Seohara	2·39	..	2.39
43	Bijnor	..	9.13	9.13
44	Dhampur	14·58	6.70	21.28
45	Doiwala	..	15.90	15.90
46	Deoband	5.90	6.30	12.20
47	Lakhsar	..	..	..
48	Saharanpur	5.97	10.23	16.20

Serial no.	Name of factory	Previous season (in lac Rs.)	Current season (in lac Rs.)	Total columns 3&4
1	2	3	4	5
49	Iqbalpur	11.15	7.41	18.56
50	Abdullapur	3.38	..	3.38
51	Mansurpur	..	11.09	11.09
52	Khatauli	6.71	9.94	16.65
53	Rohanakalan	.02	6.48	6.50
54	Shamili	..	12.16	12.16
55	Sakatitanda	..	4.02	4.02
56	Daurala	..	..	..
57	Mowana	..	..	..
58	Jaswant	..	5.53	6.26
59	Mohiuddinpur	..	5.01	5.01
60	Modinagar	..	7.29	7.29
61	Simbholi	..	8.00	8.00
62	Panninagar	..	8.54	8.54
63	Kashipur	2.08	6.16	8.24
64	Neoli	..	6.26	6.26
65	Amroha	..	10.29	10.29
66	Bilari	4.38	11.19	15.57
67	Rampur	..	..	..
	Total	141.30	353.01	494.31

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८१ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित किया जाय,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट १९, १९५६ की धारा १ का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा इसे सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय :—

"(२) यह धारा, धारा ३ का उतना अंश जो संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबंधक के प्रतिस्थापन (substitution) से संबद्ध है, तथा धारा ४ दिनांक ३१ मार्च, १९५६ पर तथा से प्रभावी होंगी और प्रभावी हुई समझी जायंगी,

तथा धारा २, धारा ३ के अवशिष्ट भाग (remaining portion) धारायें ५ से ९ तक, तथा धारायें ११ से १५ तक, एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, दिनांक १ अप्रैल, १९५६ पर तथा से प्रभावी होंगी और प्रभावी हुई समझी जायंगी,

तथा धारायें १० और १६ ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगी जिसे राज्य-सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में नियत करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा १२ तथा १३ द्वारा किये गय संशोधन, दिनांक १ अप्रैल, १९५६ के पहले के किसी वर्ष के कर-निर्धारणों के संबंध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे वह निर्धारण किसी भी स्तर तक पूरे हो गये हों या नहीं हो गये हैं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं हो गये थे।"

———

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के साथ ही साथ संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की संशोधित धारा ३–क के अधीन कतिपय विज्ञप्तियां भी ३१ मार्च, १९५६ को प्रचारित की गई थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में किये गये निर्णय में यह विनिश्चित किया गया है कि इनमें से कतिपय विज्ञप्तियां अवैध हैं, क्योंकि ३१ मार्च, १९५६ के दिन संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट की संशोधित धारा ३–क के अधीन, जो कि हाईकोर्ट के विनिश्चिय के अनुसार वस्तुतः १ अप्रैल, १९५६ को प्रचलित हुआ, राज्य सरकार को ऐसी विज्ञप्तियां प्रचारित करने का कोई अधिकार ही न था। तदनुसार संशोधित धारा ३–क को ३१ मार्च, १९५६ से सप्रभाव बनाने के लिये अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८० एल० ए०—१९५७—७९६।